लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

चतुर्थ माला

Fourth Series

4th Lok Sabha

खंड 4, 1967 / 1889 (शक)

Volume (IV), 1967/1889 (Saka)

[6 जून से 19 जून, 1967 / 16 ज्येष्ठ से 30 ज्येष्ठ, 1889 (शक)]

[June 6 to June 19, 1967/ Jyaistha 16 to Jyaistha 30, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)

Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 4 में अंक 11 से 20 तक हैं)

(Volume (IV) Contains Nos. 11 to 20)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 17 बुधवार, 14, जून 1967/24 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

No. 17–Wednesday, June 14, 1967/Jyaistha 24, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
481	ईसाई धर्म प्रचारक	Christian Missionaries ..	2107–2110
484	टेलीविजन सेटों का उत्पादन	Production of Television Sets	2110–2113
485	राज्यों में उच्च सदनों को समाप्त किया जाना	Abolition of Upper Houses in States	2113–2115
488	विशेष पुलिस संस्थान द्वारा कानपुर में ली गई तलाशी	Searches carried out by S. P. E. in Kanpur..	2115–2117
489	दिल्ली के अध्यापकों के वेतन	Delhi Teachers' Salaries	2117–2119
490	आन्ध्र तथा बिहार में उड़ीसा भाषा-भाषी जनता	Oriya-speaking population in Andhra and Bihar	2119–2121
	अल्प सूचना प्रश्न	SHORT NOTICE QUESTION	
12	दिल्ली के कालेजों में प्रवेश	Admission in Delhi Colleges	2121–2125
	प्रश्नों के लिखित उत्तर / ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
483	अध्यापकों के वेतन क्रमों का बढ़ाया जाना	Upgradation of Pay Scales of Teachers	2125–2126
486	तकनीकी शिक्षा के लिये उद्योगों पर शुल्क लगाना	Levy on Industry for Technical Education...	2126
491	दिल्ली में गैर–सरकारी कालेजों को भरण अनुदान	Maintenance Grants to Non-Government Colleges in Delhi	2126–2127
492	लन्दन स्कूल संस्था की क्रिकेट टीम	Cricket Team of London School's Association	2127

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या/ S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
493	मजूरी बोर्ड व्यवस्था — Machinery of Wage Boards	2127–2128
494	कालेज अध्यापकों के वेतन मान — Pay Scales for Colleges Teachers	2128
495	प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल — Study Teams of Administrative Reforms Commission	2128–2129
496	डाक द्वारा हिन्दी पढाने का पाठ्यक्रम — Hindi Correspondence Course	2129
497	बिहार में शिक्षा — Education in Bihar	2129–2130
498	त्रिभाषा सूत्र — Three language Formula ..	2130
499	वैज्ञानिक का वेतन — Pay of Scientists	2130
500	पुस्तकों का आयात — Import of Books	2131
501	कोचीन में डाक और तार के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर — P&T Staff Quarters at Cochin	2131
503	टेलीफोन सेवा — Telephone Services	2131–2132
504	इसराइल का राष्ट्रीय दिवस समारोह — Israel's National Day Celebrations ...	2132
505	फिल्म और सरकस के कलाकार — Film and Circus Artistes	2132
507	जमशेदपुर में स्टेनलेस स्टील का उत्पादन — Production of Stainless Steel at Jamshedpur.	2133
508	कर्मचारी भविष्य निधि — Employees Provident Fund	2133
509	संयुक्त सलाहकार व्यवस्था — Joint Consultative Machinery	2133–2134
510	महानगर परिषद, दिल्ली की शक्तियां — Powers of Metropolitan Council, Delhi ..	2134
अता. प्रश्न संख्या/U. S. Q. Nos.		
2309	टेलीफोन एक्सचेंज, चरखी दादरी — Telephone Exchange Charkhi Dadri ...	2134
2310	दिल्ली-भिवानी टेलीफोन लाइन — Delhi-Bhiwani Telephone Line	2134–2135
2311	भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में राजपत्रित अधिकारियों को दण्ड — Punishment to Gazetted Officers on Charges of Corruption	2135–2137

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

2312	मध्य प्रदेश के आदिम जातीय क्षेत्रों में नये स्कूल	New Schools in Tribal Areas of Madhya Pradesh	2137
2313	दिल्ली उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र तक बढ़ाना	Extension of Delhi High Court to Chandigarh V. T.	2137
2314	मध्य प्रदेश में तार तथा टेलीफोन सुविधायें	Telegraph & Telephone Facilities in M.P. ...	2137
2315	दिल्ली में डाकघर	Post Offices in Delhi	2138–2139
2316	आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में अनुसन्धान	Research in Modern Indian History... ...	2139–2140
2317	सिविल तथा मिलिटरी पदों पर अमरीकी तथा अंग्रेज	Americans and Englishmen on Civil and Military Posts	2140
2318	बिहार के विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय छात्रवृत्तियां	Central Scholarships to Bihar Students ...	2140
2319	नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली नगर निगम के स्कूलों को सहायक अनुदान	Grants-in-aid to N.D.M.C. and D.M.C. Schools	2140-2141
2320	कालेजों में पत्रकारिता पाठ्यक्रम	Journalism Course in Colleges	2141
2321	रेडियो टेलीफोन संचार व्यवस्था	Radio Telephone Communications	2141
2322	गोआ में धर्म प्रचारक	Missionaries in Goa ...	2141–2142
2323	गोआ दमन और दीव में डाकघर	Post Offices in Goa, Daman and Diu ...	2142
2324	कलकत्ता में नौभरक (जहाजों में माल लादने-उतारने वाले)	Stevedores in Calcutta	2143
2325	मगाही का विकास	Development of Magahi ...	2143

अता. प्र. संख्या/ U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
2326	कालीकट में पाक समर्थक	Pro-Pak. Slogans at Calicut	2143-2144
2327	पाकिस्तान द्वारा गोला-बारी	Pak. Firing ...	2144
2328	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings	2144
2329	विधिवेत्ताओं का अन्तर्राष्ट्रीय आयोग	International Commission of Jurists...	2144-2145
2330	दिल्ली में फर्मों से प्राप्त गैर कानूनी दस्तावेज	Illegal Documents recovered from Firms in Delhi	2145
2332	मंत्रियों के निजी सहायक (पर्सनल असिस्टेंट) और सचिव	P. As. P. Ss. to Ministers ...	2145-2146
2333	अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पुलिस लगाने के लिए हुए व्यय का भुगतान	Reimbursement of expenses for policing international border	2146
2334	इंजीनियरों में बेरोजगारी	Unemployment among Engineers	2146-2147
2335	लेकडीह कोयला खान में दुर्घटना	Accident in Lekdih Coal Mine	2147
2336	इटली के साथ सांस्कृतिक करार	Cultural Agreement with Italy	2148
2337	कर के मुकदमों के लिये उच्च न्यायालय	High Court for dealing with tax case	2148
2338	गांधी जन्म शताब्दी समारोह	Gandhi Birth Centuary Celebrations	2148
2339	प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	Report of the Administrative Reforms Commission	2149
2340	पुकपुई, लुंगलेह में मिजो विद्रोहियों से मुठभेड़	Clash with Mizos at Pukpuni, Lungleh	2149
2341	छात्रों को पुस्तकों की निःशुल्क सप्लाई	Free Supply of Books to Students	2149-2150
2342	होम गार्ड	Home Guards ..	2150
2343	नवम्बर, 1966 में दिल्ली में गोहत्या विरोधी प्रदर्शन	Anti Cow Slaughter Demonstration in Delhi in November, 1966	2150-2151

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

2344	चीनी उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Sugar Industry	2151
2345	रसायन तथा उर्वरक उद्योगों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Chemicals and Fertilizer Industries	2151–2152
2346	कोयला खानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति	Industrial Committee on Coal Mining	2152
2347	चंडीगढ़ के संघ राज्यक्षेत्र के उपआयुक्त तथा गृह सचिव	Deputy Commissioner and Home Secretary of Union Territory, Chandigarh	2152
2348	दिल्ली पुलिस का पुनर्गठन	Reorganisation of Delhi Police Force	2152–2153
2349	संविधान का प्रवर्तन	Working of the Constitution	2153
2350	दिल्ली-बीकानेर डाक सेवा	Delhi Bikaner Postal Service ..	2153–2154
2351	दिल्ली उच्च न्यायालय	Delhi High Court	2154
2352	अमरीका के लिये भारत में जासूसी का काम	Spying in India for America	2154–2155
2353	माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग	Secondary Education Grants Commission ...	2155
2354	गोहत्या विरोधी आन्दोलन	Anti Cow Slaughter Agitation	2155
2355	ईसाई धर्म प्रचारक	Christian Missionaries ..	2155–2156
2356		Educational Institutions in Rural Areas	2156
2358	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के प्रशिक्षणार्थियों के लिये रोजगार	Employment for I.T.I. Trainees	2156–2157
2359	शिक्षा मंत्रालय में भर्ती	Recruitment in Education Ministry	2157
2360	संग्रहालयों में रखी गई वस्तुओं के बारे में हिन्दी में ब्यौरा	Hindi in Museum Exhibits	2157
2361	हिन्दी में लिखे गये पत्र	Letters Written in Hindi	2158

अता. प्र. संख्या/ U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
2362 शिक्षा मंत्रालय में छंटनी तथा पुनर्गठन	Reorgnisation and Retrenchment in Ministry of Education	2158
2363 उप–आयुक्त (जल) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Corruption Charges against Deputy Commissioner (Water)	2158
2364 मनीपुर में अग्निकांड	Fire in Manipur ..	2158–2159
2365 संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत नियम	Rules under Union Territories Act, 1963 ..	2159
2366 श्रम स्थिति	Labour Situation	2160
2367 पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति	Displaced Persons from East Pakistan –	2160–2161
2368 कमालपुर, मैसूर में संग्रहालय	Museum at Kamalapur, Mysore –	2161
2369 राजस्थान के एक गांव में डाकुओं का घुस आना	Entry into a Rajasthan village by Dacoits ..	2161-2162
2370 राजस्थान में पाकिस्तानियों द्वारा लूटपाट	Plundering by Pakistanis into Rajasthan ...	2162
2371 राजस्थान में पाकिस्तानी मुसलमानों का घुस आना	Pak. Muslims' entry into Rajasthan ..	2162-2163
2372 शिक्षा संस्थाओं तथा औद्योगिक व्यापार संस्थाओं के बीच समन्वय	Cooperation of Industry in Education	2163
2373 पंजाब की सम्पत्ति का विभाजन	Division of Assets of Punjab	2163-2164
2374 बेरोजगार स्नातक	Unemployed Graduates	2164
2375 उड़ीसा में टेलीफोन का लगाना	Telephone Connections in Orissa ..	2164-2165
2376 उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchanges in Orissa	2165

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
2377	उड़ीसा में डाकघर	Post Offices in Orissa	2165–2166
2378	उड़ीसा में अधिसूचित रिक्त स्थान	Vacancies notified in Orissa	2166–2167
2379	मैसूर, महाराष्ट्र और केरल के बीच सीमा विवाद	Mysore Maharashtra and Kerala Boundary Dispute	2167
2380	बर्मा और लंका से भारत वापस आने वाले भारतीय	Repatriates from Burma and Ceylon... ..	2167–2168
2381	जबलपुर में छापे	Raids in Jabalpur	2169
2382	हस्तिनापुर में पुनर्वास कार्य पर व्यय	Rehabilitation Expenditure in Hastinapur ...	2169–2170
2383	उड़ीसा की प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापक	Orissa Primary School Teachers ..	2170
2384	हिन्दी का प्रशिक्षण	Training in Hindi	2170
2385	हिन्दी की प्रगति	Progress of Hindi	2170–2171
2386	हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दिल्ली के विद्यार्थी	Delhi Students in Haryana and U. P.	2171
2387	फरीदाबाद गाल्फ क्लब के लिये भूमि का नियतन	Allotment of Land to Faridabad Golf Club	2171–2172
2388	भैंसगांव में आरा (सा) मिल	Saw Mill in Bhaisgaon	2172–2173
2389	जनगणना	Census	2173
2390	द्वीपों में कर्मचारी	Employees in Islands	2173–2174
2391	पुलिस के लिये शारीरिक प्रशिक्षण करने के लिये जूते (फिजिकल ट्रेनिंग शूज।	Physical Training Shoes for Police Force ...	2174
2392	अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सागर में पकड़ी गई चीन की शिकार चोर (पोचर) नावें	Chinese Poacher Boats captured in Andaman and Nicobar Sea	2175

अता. प्र. संख्या/U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.			
2393	स्मारकों की देख-भाल पर व्यय	Expenditure on Maintenance of Monuments	2175–2176
2394	घेराओं का कानूनी पहलू	Legal Implication of 'Gheraos'	2176
2395	गोआ में गिर्जाघरों की मरम्मत	Repairs of Churches in Goa ..	2176
2396	दिल्ली जेल में नजरबन्द चीनी लोग	Chinese detainee in Dehli Jail ..	2177
2397	राजधानी में सरकारी कर्मचारियों के निवास स्थानों पर लगे टेली-फोनों पर खर्च	Expenditure on Telephones at the Residences of Government Officials in the Capital ...	2177
2398	दत्ता की सैन्ट्रल काजोर कोयला खान	Dutta's Central Kajore Colliery	2177–2178
2399	भ्रष्टाचार आदि के अनिर्णीत मामले	Vigilance cases pending disposal ..	2178
2400	आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच सीमा विवाद	Boundary Dispute between Andhra and Orissa	2178–2179
2401	घूसिक कोयला खान	Ghusick Colliery	2179
2402	वाणिज्य का राष्ट्रीय डिप्लोमा	National Diploma in Commerce	2179
2403	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्	National Safety Council	2180
2404	उड़ीसा में चलते फिरते डाकघर	Mobile P. Os. in Orissa ..	2180
2405	उत्तर प्रदेश में पुस्तकालयों के लिये सहायता	Aid to Libraries in U. P. ..	2181
2406	उत्तर रेलवे द्वारा मान्यता दिये गये कर्मचारी	Unions Recognised by Northern Railway ..	2181
2407	उड़ीसा के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोटा	I.A.S. Quota for Orissa ..	2182
2408	कालेज तथा कालेजों के विद्यार्थी	Colleges and College students	2182

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

2409	किराये पर ली गई गैर-सरकारी इमारतों में डाकघर	Post Offices in Private rented Buildings	218
2410	पूर्व पाकिस्तान से आये हुए व्यक्ति	Migrants from East Pakistan	2183
2411	पश्चिम बंगाल में 'घेराओं' में आने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	Central Government Employees subjected to 'Gherao' in West Bengal	2184
2412	खेतिहर मजदूर जांच समिति	Agricultural Labour Enquiry Committee ...	2184
2413	सरकारी कार्यालयों में छंटनी	Retrenchment in Government Offices	2184–2185
2414	मिजो विद्रोहियों द्वारा अपहरण	Kidnapping by Mizos	2185
2415	भारत अमरीकी शिक्षा संस्थान	Indo American Educational Foundation ...	2185–2186
2416	रूसी भाषा की पुस्तकों का अनुवाद	Translation of Russian Books	2186
2417	पत्रकारिता के लिए परिभाषिक शब्दावली	Terminology for Journalism ..	2186
2418	अन्तर्देशीय पत्रों की कमी	Shortage of Inland Letters ..	2187
2419	गोहाटी (आसाम) में काहिलीपारा शरणार्थी बस्ती	Kahilipara Refugee Colony in Gauhati, Assam	2187
2420	कोयला उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board on Coal Industry	2187–2188
2421	एमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारी	Emergency Commissioned Officers	2188
2422	भारतीय दण्ड संहिता	Indian Penal Code	2189
2423	अमरीकी खोज जहाज 'ओशनोग्राफर'	American Research Ship "Oceanographer"...	2189

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

2424	'घेराओ' को रोकने के लिये कानून बनाना	Legislation to check 'Gheraos' ..	2189
2425	पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बेरोजगार व्यक्ति	Unemployed S.C. and S.T. in West Bengal...	2189–2190
2426	कालाकाजी कालोनी, दिल्ली	Kalakaji Colony, Delhi	2190–2191
2427	हिन्दी का प्रमाणिक व्याकरण	Standard Hindi Grammer	2192
2428	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा दूसरा विवाह किया जाना	Second Marriage among Central Government Employees	2192
2429	होंशगावाद में शहरी क्षेत्रों का विकास	Development of Urban Areas in Hoshangabad	2192
2430	स्कूलों के लिये स्थान	School Accommodation	2193
2431	मिजो नेता की हत्या	Murder of Mizo Leader	2194
2432	मन्डन मिश्र का स्मारक	Memorial to Mandan Mishra ..	2194
2433	बर्मा से आये हुए विस्थापित लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Displaced Persons from Burma	2195
2435	प्रथम श्रेणी के अधिकारी	Class I Officers ..	2195
2436	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के आरक्षित पद	Reserved Post of Class I Officer	2195–2196
2437	मिजो विद्रोहियों द्वारा षडयन्त्र	Conspiracy by Mizo Rebels	2196
2438	संत फतहसिंह को प्रधान मंत्री का पत्र	Letter by Prime Minister to Sant Fateh Singh ..	2196
2439	हिन्दी सहायकों के लिए पदोन्नति के अवसर	Promotion for Hindi Assistants ...	2197

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

2440	हिन्दी सहायक	Hindi Assistants	2197–2198
2441	हिन्दी सहायकों की नियुक्ति	Appointment of Hindi Assistants	2198
2442	अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय में हिन्दी	Hindi in Aligarh Muslim University	2198–2199
2443	गोआ मूलक विदेशी राष्ट्रजन	Foreign Nationals of Goan Origin	2199
2444	एरिंग समिति का प्रति-वेदन	Ering Committee Report	2199
2445	तकनीकी विकास सर्किल के कर्मचारी	T. &. D. Circle Staff ...	2200
2446	दिल्ली में मूल्य	Prices in Delhi	2200
2447	वैज्ञानिक तथा तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग तथा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	Scientific and Technical Terminology Commission and Central Hindi Directorate ..	2200–2201
2448	छावनियों में रह रहे विदेशी लोग	Foreigners residing in Cantonments	2201
2449	दिल्ली में निष्क्रान्त सम्पति के किराये की वसूली	Rent Collection for Evacuee Property in Delhi ...	2201–2202
2450	डाक तथा तार विभाग की डिवीजनल सलाहकार समितियां	Divisional Advisory Committee of P. &, T. ...	2202–2203
2451	भारतीय श्रमिकों की उत्पादन क्षमता	Productivity of Indian Labour	2203
2452	पाकिस्तान द्वारा सीमा का अतिक्रमण	Border Violations by Pakistanis	2203
2453	चम्पारन में पूर्व पाकि-स्तान के शरणार्थी	Refugees from East Pakistan in Champaran	2204
2454	अन्दमान द्वीपसमूह में सरकारी श्रमिकों का दुरुपयोग	Misuse of Government Labour in Andamans	2204–2205

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

2455	निकोबारी भाषा का विकास	Development of Nicobarese Language	2205
2456	अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में औद्योगिक कर्मचारी	Industrial Workers in Andaman and Nicobar Islands ...	2205
2457	गवर्नमेंट हाउस, रौस द्वीप, अन्दमान द्वीपसमूह	Government House, Ross Island Andamans	2206
2458	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	Higher Secondary School in Andaman and Nicobar Islands ...	2206–2207
2459	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में औद्योगिक कर्मचारियों को यात्रा भत्ता तथा मंहगाई भत्ता	T. A. and D. A. to Industrial Staff in Andaman and Nicobar Islands ...	2207
2462	अपर डिवीजन क्लर्क	Upper Division Clerks	2207–2208
2463	आशुलिपिक	Stenographers	2208
2464	हिन्दी आशुलिपिक	Hindi Stenographers	2208–2209
2465	आशुलिपिक	Stenographers	2209
2466	केन्द्रीय सरकार द्वारा मंगाई गई पश्चिम बंगाल सरकार की फाइलें	West Bengal Government Files Called by Central Government ...	2209
2467	विश्वायतन योगाश्रम को अनुदान	Grants to Vishvayatan Yogashram ...	2210
2469	मनीपुर के थौवल सब डिवीजन में नागाओं द्वारा एक बाजार का लूटा जाना	Looting of a Bazar by Nagas in Thaubal Sub-Division (Manipur) ..	2210-2211
2470	गोआ, दमण तथा दीव में राजनैतिक पीड़ितों को सहायता	Help to Political Sufferers in Goa Daman and Diu ...	2211

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.			
2471	गोआ की मैगनीज खानों के कर्मचारी	Workers in Manganese Mines in Goa	2211
2472	क्षेत्रीय अनुसंधान संस्था, जोरहाट	Regional Research Institute, Jorhat ..	2212
2473	नई दिल्ली में आग लग जाने से झुग्गियों का जल जाना	Jhuggis destroyed by Fire in New Delhi	2212–2213
2475	आगरा में गढ़े हुए खजाने का समाचार	Reported Hidden Treasure at Agra...	2213
2476	आसाम का पुनर्गठन	Reorganisation of Assam	2213
2479	शरणार्थियों को ऋण	Loans to Refugees ..	2214
2480	तकनीकी शिक्षा के लिये अमरीकी ऋण	US Loan for Technical Education ...	2214–2215
2481	उड़ीसा के बारे में केन्द्रीय जांच विभाग की रिपोर्ट	C. B. I. Report on Orissa	2215
2482	भूख हड़तालें	Hunger Strikes	2215–2216
2483	सरकारी कर्मचारियों की स्वायतशासी निकायों में बदली	Transfer of Government Employees to Autonomous Bodies	2216–2217
सभा पटल पर रखे गये पत्र		Papers laid on the Table ..	2217–2218
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति		Committee on Private Members Bills and Resolutions	2219
चौथा प्रतिवेदन		Fourth Report	2219
समिति के लिये निर्वाचन		Election to Committee	2219
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्		All India Council for Technical Education ...	2219
सामान्य आय व्ययक, 1967–68 सामान्य चर्चा		General Budget 1967–68 General Discussion.	2219
	श्री हिम्मद सिंहका	Shri Himatsingka	2219
	श्री मुहम्द इस्माइल	Shri Muhammad Ismail	2221
	श्री काशीनाथ पाण्डेय	Shri Kashi Nath Pandey	2222
	श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	2223

अता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	Shri Y. S. Kushwah	2225
श्री नारायणन्	Shri Narayanan	2225
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	2226
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	2227
स्थगन प्रस्ताव–अस्वीकृत	Motion for Adjournment–negatived	2229
चीन में रह रहे भारतीय राजनयिकों को सुरक्षित रखने में भारत सरकार की तथाकथित असफलता	Alleged failure of the Government of India to protect the Indian diplomatic personnel in China	2229
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ..	2229
डा. राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	2229
श्री मी. रु मसानी	Shri M. R. Masani ..	2231
श्री म. ला सोंधी	Shri M. L. Sondhi ..	2232
श्री रा. कृ. सिंह	Shri R. K. Singh ..	2232
श्री ही. ना. मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	2233
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	2233
श्री प. राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	2234
श्री रा. ढो. भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	2235
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	2235
श्री बेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	2236
श्री स्वैल	Shri Swell	2237
डा. सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	2237
श्री जी. मा. कृपलानी	Shri J. B. Kripalani ..	2238
श्री यश पाल सिंह	Shri Yashpal Singh	2238
श्री मु. क. चागला	Shri M. C. Chagla ..	2239–2241
भ्रष्टाचार निरोध विधियां (संशोधन) विधेयक	Anti corruption Laws (Amendment) Bill ..	2241
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	2241
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	2241

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 14 जून, 1967/24 ज्येष्ठ, 1889 (शक)
Wednesday, June 14, 1967/Jyaistha, 24, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Christian Missionaries

*481 **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) The quantity of foodstuffs received by foreign Christian Missions from foreign countries during the last two years for free distribution;

(b) whether they receive foodgrains from the Government of India also for free distribution;

(c) if so, the quantity thereof; and

(d) whether Government have tried to ascertain as to whether these foreign Christian Missions are not converting poor people of India on the pretext of free distribution of foodgrains ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidhya Charan Shukla) : (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Some individual cases of conversion have been reported from drought affected areas. Government are, however, fully seized of the situation and suitable action is taken where necessary,

Shri O. P. Tyagi : Will Government refuse to recognise the conversion in respect of the people of drought stricken areas ?

Shri V. C. Shukla : The Government has got no such power to refuse recognition of people who of their own will get themselves converted to other religions.

Shri O.P. Tyagi : Is Government aware about the conversion of persons belonging to village, Lohardata in Ranchi district and whether they have received such other similar news from drought stricken areas and if so whether they would appoint a Commission to investigate all such matters ?

Shri V. C. Shukla : We have received information about certain cases and are investigating the same. The Bihar Government are also paying much attention to it and so we do not think it necessary to appoint a Commission.

Shri Raghuvir Singh Shastri : Have Government viewed this question from the point of view that is Shameful to our country that our people can be converted for some foodstuff and clothes ?

Shri V. C. Shukla : We will take action if some one converts our people by offering them certain favours. But what shall we do if they are converted due to their own will ?

Shri A. B. Vajpayee : The Minister of State is giving a self-contradictory answer. He has accepted that he has received complaints in this regard and they are taking action on that. On my visit I found people telling me that they cannot get food and their children do not get milk if they do not put on cross. Will Government in such circumstances giving a general warning to foreign missionaries that if they converted people in drought-stricken areas, they would be dealt with seriously ?

Shri V. C. Shukla : I have not given self-contradictory statement, I received complaint in one case and referred it to Bihar Government. They have not yet informed us about the action taken and we will take action when we hear from them. We have told the Bihar Government to take strong action in such cases.

Shri Bibhuti Mishra : Sir, when a member of this House says something will the Minister take action on it or will he still want for a reply from the State Government ?

Shri V. C. Shukla : I accept what the hon. member has said here,

Shri Sidheshwar Prasad : Such news of conversion create tension in the country. Why then the Government is not getting it investigated and is still waiting the Bihar Government to take action.

Shri V. C. Shukla : We have got this matter investigated immediately. But we have to defpend on the state machinery in such matters.

श्री वे० न० जाधव : क्या सरकार के पास ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा गोआ में मुफ्त खाना बांट कर धर्म परिवर्तन के समाचार मिले हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : गोआ के बारे में इस समय मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

Shri Prakash Vir Shastri : The Neogy Commission and Rege Commission in the reports stated that these Christian missionaries were enverting people to their

religion in the guise of giving them aid. They are not only conevrting the religion but even the nationality of people as it evident from what is happening in Nagaland and NEFA. In view of this will the Government appoint a Commission on an all India level and then take some decisions ?

Shri V. C. Shukla : We keep a close watch in matters where money is received from foreign countries. The money is given only to recognised instiutions. We receive information from State Governments too and we take action if conversion is against the will of people.

Shri Bibhuti Mishra : Will Government control itself the distribution of food and milk etc. ? Will Government take such action that these people may not convert people to their religion ?

Shri V. C. Shukla : We never get such distribution of food stuffs received from foreign countries done through the christian missionaries and we distribute our own food stuff through our own agencies.

श्री धीरेश्वर कलिता : मैं भारतीय ईसाइयों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने के विरुद्ध नहीं हूं; परन्तु आसाम में गोलपाड़ा जिले के डामरा स्थान पर अमरीकन पादरियों का अड्डा है जो मतिया कैम्प में जाते है और उन्हें ईसाई बनाते हैं। क्या सरकार इस पर जांच करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम इसकी जांच करेंगे।

श्री लोबो प्रभु : भारत के संविधान में प्रत्येक धर्म के लोगों को अपना धर्म प्रचार करने का अधिकार है। इन परिस्थितियों में क्या सरकार केवल उन्हीं मामलों की जांच करेगी जिनमें ईसाइयों ने अपने धर्म में लोगों को मिलाया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमें संविधान की स्थिति का पता है। यदि कोई कानूनी तरीके से अपने धर्म का प्रचार करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, परन्तु यदि कोई जबरी किसी का धर्म परिवर्तन करेगा तो हम इसका विरोध करेंगे।

श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या यह सच नहीं है कि अन्न के अभाव के कारण यह ईसाई पादरी गरीब अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। यदि ऐसा है तो सरकार रोकती क्यों नहीं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ऐसे कुछ मामले हमारी नजर में आ रहे हैं और हमने राज्य सरकार को लिखा है कि कार्यवाही करे।

Shri R. Shastri : Is Government aware that the Christian Missionaries in Bihar are also indulging in espionage activities and also they take photos of hungry people and send same to us which creates a bad impression about our country. If so what action will Government take in this regard ?

Shri V. C. Shukla : It does not arise from the question under reply.

Shri A. S. Saigal : Is it a fact that action is taken against those boys who do not take part in the prayers of Christians as they consider it that they are not prepared to accept their religion ?

Shri V. C. Shukla : I have no such information.

टेलीविजन सेटों का उत्पादन

*484. श्री प्र० के० देव :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्रनाथ :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री मा० सुन्दरलाल :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स अनुसंधान संस्था, पिलानी में टेलीविजन सेटों का व्यापारिक आधार पर उत्पादन अब आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि नहीं तो इसमें उत्पादन कब आरम्भ हो जायेगा ।

(ग) वार्षिक उत्पादन लक्ष्य क्या है, और

(घ) जनता को यह टेलीविजन सेट किस मूल्य पर दिया जावेगा ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स अनुसंधान संस्था, पिलानी ने एक बैच उत्पादन यूनिट स्थापित की है और व्यापारिक उत्पादन यूनिट शुरू नहीं की ।

(ख) टेलीविजन सेटों का पहला बैच तैयार हो चुका है ।

(ग) बैच उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 1000 सेट तैयार करने की है ।

(घ) 19" स्क्रीन सेट के लिए विक्रय मूल्य अनुमानत: 1350 रुपये होगा और 23" स्क्रीन सेट के लिए 1500 रुपए हैं । (स्थानीय करों के अलावा) ।

क० प्र० सिंह देव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिलानी में बनाये हुए टेलीविजन सेट आयात किये हुए सेटों से सस्ते होंगे तो क्या प्रति सेट 250 के उनके पुर्जे आयात करने में कोई कठिनाई है ? क्या सरकार को इनके आयात रोकने में कोई कठिनाई है तथा इस प्रकार उसका वाणिज्यिक उत्पादन रोका जाये ?

डा० त्रिगुण सेन : 10,000 सेटों की क्षमता का कारखाना स्थापित करने में 9·5 लाख रु० विदेशी मुद्रा व्यय होगी । आरम्भ में तो प्रति सेट 250 रु० विदेशी मुद्रा के व्यय होंगे परन्तु बाद में जब देशी उत्पादन भारत में होगा तो यह घट कर 100 रु० प्रति सेट हो जायेगी तथा हम आशा करते हैं कि बाद में विदेशी सेटों से देशी सेट सस्ते होंगे ।

Shri Onkar lal Berwa : How many parts in these are foreign and how many indigenous ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : I have already replied to it.

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या सरकार को पता है बाजार में टेलीविजन सेटों की कमी है तथा वे आसानी से मिलते भी नहीं हैं और मिलते हैं तो सूची में लिखे मूल्य से अधिक मूल्य पर मिलते हैं। क्या सरकार इस दिशा में कुछ करेगी।

डा० त्रिगुण सेन : अभी हमने बड़े पैमाने पर उत्पादन आरम्भ नहीं किया है। यदि कोई अधिक मूल्य पर बेचते हैं तो शिक्षा मन्त्रालय इसमें क्या कर सकता है ?

श्री रा० बरुआ : क्या वह धन जो टेलीविजन बनाने में उपयोग किया जा रहा है उसे किसी और अच्छे कार्य में उपयोग किया जा सकता था ?

डा० त्रिगुण सेन : अभी मुझे केवल 3 मास हुए हैं मन्त्री बने। इसलिए कुछ कर नहीं सकता। लेकिन क्योंकि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा अनुसंधान परिषद् ने कई अनुसंधान संस्थाएं खोल रखी है तो यह अच्छा है कि वह इस कार्य को भी करे।

Shri Abdul Ghani Dar : The institute at Pilani is a Birla concern. Did they consult the Government at the time of fixing price of those sets at Rs. 1300/-or Rs. 1500/-. Will he also indicate whether there is Birla's monopoly in it or some other firms have also been permitted to manufacture T. V. Sets. In case some firm have applied for it what is the name of that and whether Government have given the necessary permission ?

डा० त्रिगुण सेन : बिड़ला का इस कारखाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो शिक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के अन्तर्गत एक अनुसंधान संस्था है। हमने और किसी को अनुमति नहीं दी है।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : बजाये इसके कि कुछ सेट बनाये जाय और उन्हें कुछ धनी लोग खरीद लें क्या सरकार का विचार यह है कि स्वयं उन्हें खरीद लें और स्कूलों को दे दे ?

डा० त्रिगुण सेन : जब उनका बड़ी मात्रा में निर्माण होगा तो हमारा मुख्य उद्देश्य यह होगा कि उन्हें शैक्षणिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाये।

Shri Hukam Chand Kachwai : They are providing 1000 sets per year. I want to know the demand of the sets and in order to meet it in full. Will Government permit people in the private sector to produce the sets ?

डा० त्रिगुण सेन : वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन का कार्य दो कम्पनियों अर्थात मैसर्स जे० के० रेयन, कानपुर तथा मसर्स टेलीराड प्राईवेट लिमिटेड, बम्बई को 10,000 टैलीविजन सेट प्रतिवर्ष तैयार करने का कार्य दिया है।

श्री राजशेखरन : इसकी शैक्षणिक सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार भारत में और टेलीवीजन केन्द्र खोलने का विचार रखती है ?

डा० त्रिगुण सेन : यह कार्य सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय की है ।

श्री स्वैल : शिक्षा मन्त्रालय का कार्य अनुसंधान का होना चाहिए न कि टेलीवीजन सेट निर्माण करने का । क्या मन्त्री जी ने शिक्षा को व्यापार का रूप देने के खतरे पर ध्यान दिया है ?

डा० त्रिगुण सेन : इसमें शिक्षा को व्यापार बनाने का प्रश्न कहां से आ गया । अनुसंधान करना वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद का है । मैं तो सोचता था कि माननीय सदस्य उन लोगों को बधाई देंगे जिन्होंने यह कार्य किया है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : योजना में टेलीविजन सेट को क्या प्राथमिकता दी है ?

डा० त्रिगुण सेन : मुझे पता नहीं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मुझे यह सुन कर बड़ी प्रसन्नता है कि इलेक्ट्रानिक्स में बड़ी खोज की है । क्या सरकार को पता है कि इलेक्ट्रानिक्स के अनुसंधान के लिए सीमित मात्रा में राशि दी गई है ? क्या वह इसे बढ़ाना चाहते हैं ?

डा० त्रिगुण सेन : हमारा विचार है कि इसे बढ़ाया जाये और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्या हमारा समर्थन करेंगी ।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has named two companies. Do these belong to Birla or to someone else ? I also want to know whether India now requires T. V. Sets or small machines for irrigation. If India requires these machines, will the work on the other items be stopped and all attention to be divierted to these machines ?

डा० त्रिगुण सेन : हमारे संस्थानों में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है । यदि कोई वाणिज्यक संस्था उससे लाभ उठाना चाहती है तो हम उसे जानकारी दे सकते हैं । मेरे मन्त्रालय का सम्बन्ध केवल अनुसंधान कार्य से है ।

Shri Sarjoo Pandey: Do you think that T. V. sets are essentially required in this country ?

Shri Ram Sewak Yadav : The research work should go on in agricultural field rather than in developing the mechanism of T. V. Sets.

डा० त्रिगुण सेन : मैं इससे पूर्व भी निवेदन कर चुका हूं कि शिक्षा मन्त्रालय का सम्बन्ध केवल अनुसंधान कार्य से है । उस अनुसंधान के आधार पर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाये या नहीं, इस बात का निर्णय करना उद्योग मन्त्रालय का काम है ।

Shri S. C. Jha : How many research scholars are Indians and how many are Foreigners at Central Research Electronics Institute, Pilani ?

डा० त्रिगुण सेन : वहां सभी भारतीय हैं और कोई भी विदेशी नहीं है ।

श्री समर गुह : भारत में एक टेलीविजन सेट बनाने पर कितना खर्च आता है और उसके लिए बाहर से पुर्जे मंगाने में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है ?

डा० त्रिगुण सेन : 10,000 सेटों के उत्पादन की क्षमता वाले कारखाने पर 9·5 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की अपेक्षा होगी ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये । अगला प्रश्न ।

राज्यों में उच्च सदनों को समाप्त किया जाना

*485. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री बृजभूषण लाल :
श्री शारदानन्द
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवाड़ी :

क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने राज्य विधान मण्डलों के उच्च सदनों को समाप्त करने के लिए सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां तो सरकार को इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का सभी राज्यों में उच्च सदनों की समाप्ति के लिए समान नीति अपनाने का विचार है ?

गृह कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) सरकार को ऐसे सुझाव नहीं मिले हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 169 के अधीन विधान परिषदों को समाप्त करने की प्रक्रिया दी हुई है, जिसके अधीन संसद को ऐसे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, यदि सम्बन्धित राज्य की विधान सभा निश्चित बहुमत से इस आशय का एक संकल्प पास कर देती है । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार विधान सभाओं के पालन करने के लिए कोई नीति निर्धारित नहीं कर सकती ।

Shri A. B. Vajpayee: What will be the reaction of Govt. of India in respect to a demand, if made by the Legislative Assembly of any State, for abolition of Legislative Council ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह एक कल्पित प्रश्न है । यदि समस्या सामने हो, तो उसका समाधान खोजा जा सकता है ।

Shri A. B. Vajpayee : May I know whether Govt. will take decision regarding introducing Legislative Councils in States like Madhya Pradesh and Rajasthan, where there are not Legislative Councils ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वास्तव में संविधान के सातवें संशोधन के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद बनाई जायेगी। अब केवल इस बारे में निर्णय करना हैं कि किस तारीख से विधान परिषद बनाई जायेगी।

Shri Brij Bhushan Lal : What is the policy of the Govt. of India in regard to abolition of Upper Houses?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह नीति का प्रश्न नहीं है बल्कि संविधान में प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने की बात है।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether the Minister of Home Affairs and the former Chief Minister of Maharashtra has arrived at the conclusion that the Upper Houses in State and Centre should be abolished; if so what steps are being taken for their abolition ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : केन्द्र में राज्य सभा और राज्यों में विधान परिषदें बिल्कुल भिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं और वे दोनों भिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। जहाँ तक मुख्य मन्त्री पद के अनुभव का सम्बन्ध है, उस समय मैंने महाराष्ट्र में विधान परिषद् चाही थी, और वहाँ विधान परिषद बना दी गई थी।

Shri Madhu Limaye : About 20 to 25 crores of rupees are being spent in a term of 5 years on Upper Houses in the country. I would like to know whether Govt. intend to issue some directives in this respect.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस सम्बन्ध में सरकार ने कभी विचार नहीं किया है। इस बारे में मेरा वैयक्तिक मत यह है कि राज्य सभा या विधान परिषदों को कई अन्य कारणों से रखा जाता हैं। इन्हें मितव्ययिता की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता।

Shri Madhu Limaye : What are other considerations ? Is it to please some politicians ?

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : कुछ महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञों को सत्ता तक पहुंचाने का यह एक ऐसा तरीका है जिसमें उन्हें मतदाताओं का मुंह न देखना पड़े।

अध्यक्ष महोदय : अपना अपना विचार है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : राज्य सभा और विधान परिषदों में बहुत बड़ा अन्तर है। केवल विधान परिषदों को समाप्त करने की प्रक्रिया संविधान में दी गई है, परन्तु राज्य सभा एक स्थायी संस्था है, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं जो संघीय रचना में आवश्यक है। वस्तुतः इस प्रश्न का संबंध राज्यों की विधान परिषदों से है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 486। परन्तु मनुभाई पटेल अनुपस्थित हैं। प्रश्न संख्या 487 का उत्तर 29 जून को दिया जायेगा प्रश्न संख्या 488।

श्री हो० ना० मुकर्जी : राज्यों की विधान परिषदों के समाप्त करने के बारे में काफी चर्चा चल रही है, क्या सरकार इस प्रश्न पर दुबारा गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह प्रश्न सरकार के सामने आयेगा तो उस पर अवश्य ही विचार किया जायेगा, फिलहाल किसी राज्य सरकार का ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है ।

Shri Prakash Vir Shastri: I would like to know whether there is any difference in law and order arrangement in States having Upper Chambers and those not having Upper Chambers ?

Shri Abdul Ghani Dar : What steps Govt. are taking to abolish the system of nomination of Membrrs to Upper Houses so that all the Member of Upper Houses should face the electorates ?

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि जो बुद्धिमान और चतुर लोग चुनाव में परास्त हो जाते हैं, उन्हें नामजदगी के माध्यम से केन्द्रीय स्तर पर राज्य सभा में और राज्य स्तर पर राज्य सभा में लाया जाता है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : द्वितीय सदन को रखने का यह भी एक कारण हो सकता है ।

Shri Kanwar Lal Gupta ? What are the commendable functions these Upper Houses have performed till now ?

Shri Y. B. Chavan ; You may ask them about it.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के सम्बन्ध में स्थिति काफी स्पष्ट हो चुकी है । फिर भी यदि कोई सदस्य इस सम्बन्ध में आगे पूछना चाहता है, तो वह पूछ सकता है ।

विशेष पुलिस संस्थान द्वारा कानपुर में ली गई तलाशी

*488. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष पुलिस संस्थान के अधिकारियों ने 6 दिसम्बर 1966 को कानपुर में श्री रामरतन गुप्त के नियंत्रणाधीन उद्योग समूह के मुख्यालय की तलाशी ली थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां

(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कुछ जांच के सिलसिले में तलाशी ली गई थी ।

(ग) जांच के लिए विभिन्न दस्तावेज, रिकार्ड और लेखा पुस्तकें जब्त की गई है । उनकी पड़ताल जारी है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि कानपुर में और भी ऐसी फर्में हैं जिनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना आवश्यक है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह एक कठिन प्रश्न है। यदि माननीय सदस्य को अन्य फर्मों के सदाचार के बारे में कोई जानकारी है तो वह हमें दे दे। हम निश्चय उसकी जांच करेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : तलाशी के दौरान पुलिस द्वारा किन ऐसी दस्तावेजों का पता लगाया गया था जिनसे फर्म का दोष सिद्ध होता है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : अभी इस मामले की जांच चल रही है और जांच अधिकारी दस्तावेजों की पड़ताल कर रहें हैं। अभी मैं इस जानकारी को नहीं दे सकता।

Shri Yashpal Singh : May I know the number of the documents discovered during the search, the number of documents taken possession of by the Government as also the number of documents left there ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : दस्तावेज जांच अधिकारियों द्वारा कब्जे में लिये गये थे। उन दस्तावेजों का ब्यौरा मेरे पास नहीं है।

श्री कृष्णमूर्ति : हमें यह भी बताया जाता है कि पुलिस ने $1\frac{1}{2}$ महीने पहले हजारों रु० की विदेशी मुद्रा का पता लगाया है। इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : विदेशी मुद्रा के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। केवल कुछ दस्तावेजों का पता लगा है और उनकी पड़ताल हो रही है।

Shri Madhu Limaye : Sir, the matter which has been mentioned is very broad and interlinked. May I know if the hon. Minister is aware of the fact that Shri Ram Ratan has violated several sections of the Income Tax Act, Foreign Exchange Regulation Act, Customs Act, Sales Tax Act and Indian Penal Code, such as section 420 of the I. P. C., if so, whether he proposes to appoint an enquiry committee to probe into the whole affair ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : समिति नियुक्त करके ये काम नहीं किये जाते। ये ऐसे तीन मामले हैं जिनकी जांच चल रही है। उन्होंने कोई अपराध किया है या नहीं मैं इस समय इसकी जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि जांच अभी चालू है।

श्री स्वतन्त्रसिंह कोठारी : क्या माननीय मन्त्री बता सकते हैं कि किस आधार पर तलाशी की जाती है और क्या कोई समय सीमा है जिसके भीतर जब्त किये गये दस्तावेजों की छानबीन हो जानी चाहिए अन्यथा जांच लम्बे समय तक चलती रहती हैं। और मामले का महत्व समाप्त हो जाता है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इसमें अनुचित विलम्ब नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं। परन्तु इसके साथ साथ, यदि दस्तावेजों की संख्या बड़ी हो और वे पेचीदा भी हो तो

हमें उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तलाशियां स्वयं अधिनियम के अन्तर्गत की जाती हैं। जांच के दौरान यदि तलाशियां आवश्यक समझें तो उन्हें तलाशियां करने की शक्ति प्राप्त है। ये सामान्य उपबन्ध हैं।

दिल्ली के अध्यापकों के वेतन

*489. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री अनिरुद्धन :
श्री उमानाथ
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अब्राहम :
श्री एस्थोस :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री शारदानन्द :
श्री बृजभूषण लाल :
श्री रामसिंह अयरवाल :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के दिल्ली प्रशासन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था;

(ख) इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या अध्यापकों ने परीक्षाओं का बहिष्कार करने की धमकी दी थी और;

(घ) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) दिल्ली प्रशासन का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Bibhuti Mishra : For how long the Teachers Salaries' question will remain under consideration of the Government and by what time the Government will take the decision ?

Shri Bhagwat Jha Azad : This matter is under consideration since 6th February 1967 when the Delhi Administration had made a recommendation in this connection. The delay is due to the fact that if teachers, salaries are raised what should be done in regard to other allied matters such as the employees of Delhi Administration, and at the all India level.

Shri Bibhuti Mishra : Are Government contemplating to bring about party in salaries of teachers throughout the country ?

Shri Bhagwat Jha Azad : We have got the recommendations of the Education Commission before us in this connection. Their recommendations are under considera-

tion. Now we will have to make provision for the funds necessary to implement the recommendations of the Education Commission to the extent they have been accepted by the Chief Ministers Conference.

Shri Atal Bihari Vajpayee : To what extent the Delhi Administration have suggested an increase in the teachers, salaries and what is the total expenditure involved in the implementation of their suggestion ?

Shri Bhagwat Jha Azad : For Delhi only it involves an additional expenditure of Rs. 85 lakh and 50 thousand. If the proposal is accepted for Delhi, we should have to concede the same pay scales to other centrally administered areas also which would entail an expendtiure of Rs. 36 lakhs. Thus it entails a total additional expenditure of Rs. 121 lakh and 50 thousand.

Shri Prakash Vir Shastri : What are the specific suggestions received from the Delhi Administration ? What increase has been suggested by them for the different grades of the teachers ?

Shri Bhagwat Jha Azad : These recommendations are pretty lengthy. I would also like to say that the pay scales of teachers working under Delhi admistration are getting the higher pay scales than those suggested by Education Commission. Moreover, these recommendations are different grades such as for the trained graduates, Primary grades and the principals of the Higher Secondary Schools.

Shri Prakash Vir Shastri : The trained graduates are not getting even their pay in Delhi.

Shri Ram Singh : May I know whether the delay in raising the salary is due to he non-congress Government in Delhi, if not, when will the efforts be made to materialise it.

Shri Bhagwat Jha Azad : There is no such thing.

श्री दत्तात्रय कुन्टे : क्या यह सच हैं कि अन्तिम निर्णय पर पहुंचने में सरकार को कम से कम चार वर्ष लगते हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का क्या अर्थ है। इस मामले में सिफारिशें गत फरवरी में ही प्राप्त हुई थीं ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the Government have received complaints from the teachers of private schools to the effect that there is no parity in the salaries of Private and Government school teachers, i. e., in the former case the salaries being relatively low ? What steps do Government propose to take to remove this anomaly in Delhi and other centrally administered areas and what advice they propose to give to the States ?

Shri Bhagwat Jha Azad : It is correct that there is no parity in the salaries of teachers of Private and Government schools. I cannot give in detail as to what should be done in Delhi or on an all India level in this regard, because the recommendations of the Education are still under consideration and apart from that the amount of salary in a particular State depends upon the amount sanctioned by that State.

श्री वी० चं० शर्मा : क्या यह सच है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की संस्था का एक प्रतिनिधिमण्डल माननीय शिक्षा मन्त्री से मिला था और उसने उनके वेतन क्रमों को बढ़ाने और सरकारी और गैर-सरकारी स्कूल के अध्यापकों के बीच जो अन्तर हैं उसको समाप्त करने और उनके लिए प्रवास में आवास की व्यवस्था करने के बारे में मन्त्रालय को सुझाव दिये थे, यदि हां तो उनकी मांगों को पूरा करने या संक्षिप्त रूप में, कोठारी आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : यह सही है कि प्रतिनिधि मण्डल से मेरी भेंट हुई थी। और हमने उनकी मांगों पर भी चर्चा की थी। सरकार का अब तक यही मत रहा है कि यदि हम शिक्षा के स्तर में सुधार करना चाहते हैं और शिक्षण व्यवसाय में योग्य व्यक्तियों को लाना चाहते हैं तो अध्यापकों के वेतनों में सुधार करना आवश्यक है। चूंकि हम प्रतिनिधि मण्डल से मिल चुके हैं, इसलिये इसको क्रियान्वित करने का हम निरन्तर प्रयास करेंगे। हम वित्त मंत्रालय से भी हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं और आशा है कि शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा।

आन्ध्र तथा बिहार में उड़िया भाषा-भाषी जनता

490. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या आन्ध्र और बिहार में उड़िया भाषी लोगों की शिक्षा तथा अन्य मामलों में उपेक्षा की कोई शिकायतें सरकार को मिली हैं। ;

(ख) क्या भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त ने इन शिकायतों पर विचार किया है और सुधार के लिये कुछ उपायों का सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां

(ख) जी हां।

(ग) आंध्र प्रदेश और बिहार राज्यों में उड़िया भाषा भाषी अल्प संख्यकों की अधिकांश शिकायतें दूर कर दी गई हैं। शेष शिकायतों को भाषाई अल्प संख्यकों के लिये नियुक्त आयुक्त संबंधित राज्यों से बातचीत करके दूर कर रहे हैं। 19 मई, 1967 को हुई पूर्वी खण्डीय परिषद की पिछली बैठक में यह निर्णय किया गया था कि बिहार और उड़ीसा के शिक्षा निदेशक, स्थिति का पता लगाने और आवश्यक उपायों पर विचार करने के लिये, मिलकर सराईकेल्ला सब डिवीजन का दौरा करेंगे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आंध्र क्षेत्र के बारे में क्या स्थिति है ? क्या यह सच है कि बिहार के सिंहभूमि और आंध्र प्रदेश के ईचापुर जिलों में जो उड़िया स्कूल थे उन्हें हिन्दी या तेलगू स्कूलों में बदल दिया गया है और उन स्कूलों में उड़िया पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : बिहार सरकार ने सूचना दी है कि सिंहभूम जिले में उड़िया भाषा के शिक्षण की सुविधाएं हैं। 1960-61 में उड़िया भाषा बोलने वाले प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की संख्या 1,284 थी और उड़िया अध्यापकों की संख्या 40 थी। हमने राज्य सरकार से नवीन जानकारी मांगी है जो कि अभी प्राप्त नहीं हुई।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आंध्र के बारे में उत्तर नहीं मिला है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : पूर्वी खण्डीय परिषद में इस पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि आंध्र इसका सदस्य नहीं है परन्तु आंध्र में भी 107 प्राथमिक स्कूलों में 79 अध्यापक 6,835 विद्यार्थियों को उड़िया में शिक्षा दे रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में उड़िया भाषा भाषी अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की जाती है क्योंकि सम्बन्धित राज्य सरकारें गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं करती ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह सच नहीं है। उन भाषाई अल्पसंख्यकों की सहायता के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारें भरसक प्रयत्न करती रही हैं। जो कुछ कमियाँ रह गई थीं उनके बारे में भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने उन राज्य सरकारों को बता दिया था और उनके प्रतिवेदन के अनुसार वे उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री श्रद्धाकर सुपकार : भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त द्वारा इस सभा को भी प्रतिवेदन दिया जाना अपेक्षित है। क्या उनके प्रतिवेदन पर इस सभा में चर्चा करने का अवसर दिया जाता है ताकि हम न केवल उड़ीसा के बारे में चर्चा कर सकें अपितु भारत के सभी राज्यों के भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में चर्चा कर सकें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : ये प्रतिवेदन सभा के सामने रखे जाते हैं। कभी-कभी इन पर सभा में चर्चा भी हुई है, परन्तु यह समय मिलने पर निर्भर करता है।

अध्यक्ष महोदय : इस बजट अधिवेशन में इस पर विचार करना संभव नहीं होगा।

श्री कंडप्पन : मैं चाहता हूँ कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं की ओर सरकार थोड़ा अधिक ध्यान दे। केन्द्रीय शासित क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सुविधायें नहीं दी जाती हैं। उदाहरणार्थ अन्दमान और अन्य क्षेत्रों में तामिल भाषी लोगों को यह शिकायत है। उन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए क्या विशिष्ट व्यवस्था की गई है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि सभा जानती है इस सभा के कानून के अन्तर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया गया है और वह विभिन्न राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। उनके प्रतिवेदन सरकार को दिये जाते हैं और वे सभा पटल पर रख दिये जाते हैं और उसकी प्रतियां संसद सदस्यों में भी बांटी जाती हैं और वे

राज्य सरकारों को भी भेजी जाती हैं। राज्य सरकारें, इन सिफारिशों के प्रगति प्रतिवेदन हमको और आयुक्त को भेजती रहती हैं।

Shri Tulsi Das Jadhav : Do Government propose to appoint in each State a Committee comprising four local persons and one Central Government representative, which would study all these problems and find out a solution for them ?

Shri Vidya Charan Shukla : As I already said the present machinery is competent to deal with all these problems. If this is found inadequate some new arrangements will be thought out.

श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में उड़िया भाषी लोग एक बड़ी संख्या में हैं ? क्या इन लोगों को इनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए आयुक्त ने कोई विशेष उपबन्ध किया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह जानकारी मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that in border areas of several States different dialects are spoken. May I know whether the Oriya speaking people in Bihar are also taught Hindi apart from Oriya for affording them facilities in enterning Bihar services ?

Shri Vidya Charan Shukla : Yes Sir, it is a fact.

श्री श्रीनिवास मिश्र : 1961–62 में बिहार और आंध्र के कितने उड़िया स्कूलों को सरकार से सहायता अनुदान दिये गये थे और तब से अब तक उनमें कितने स्कूलों को सहायता अनुदान दिया जाना बन्द कर दिया गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह जानकारी राज्य सरकारों से मंगानी होगी।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

दिल्ली के कालिजों में प्रवेश

श्री बलराज मधोक
श्री बाबूराव पटेल
श्री श्रीधरन
श्री मंगलाथुमाडोम
श्री दी०चं० शर्मा
श्री प०मु० सैयद
श्री सेक्वीरा
श्री रवि राय
श्री एस. एम. जोशी
डा० सूर्य प्रकाश पुरी
श्री कामेश्वर सिंह

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने दिल्ली के कालिजों में चालू शिक्षा सत्र में

प्रवेश की गुंजाइश तथा प्रवेश प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की संभावित संख्या के बारे में अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस अध्ययन दल के प्रतिवेदन के अनुसार इस शिक्षा सत्र में लगभग 5,000 विद्यार्थियों को कालेजों में प्रवेश प्राप्त नहीं होगा; और

(ग) यदि हाँ, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) । (क) जी हाँ । एक अध्ययन दल नियुक्त किया था ।

(ख) वर्तमान कालिजों में स्थानों को ध्यान में रखते हुए, अध्ययन दल ने 5000 स्थानों की कमी का अनुमान लगाया तथा स्थिति पर काबू पाने के लिए कुछ सुझाव दिये ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने पांच नये कॉलेज खोलने का निश्चय किया है । दो और कॉलेज, एक तो दिल्ली प्रशासन द्वारा तथा दूसरा एक गैर सरकारी संस्था द्वारा, भी आरंभ होने की संभावना है । इनके अतिरिक्त वर्तमान कालेजों में स्थान बढ़ाने का भी प्रस्ताव है ।

श्री बलराज मधोक : इन कालिजों के खोलने के बावजूद बहुत से कला तथा विज्ञान के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा । उनके प्रवेश के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भागवत झा आजाद : इन पांच कालेजों के अतिरिक्त एक छटा कालिज नरेला में खोला जा रहा है जिसमें २५० स्थान होंगे । हम वर्तमान दो सायंकालीन कालिजों में बी० एस० सी० तथा विज्ञान की कक्षायें खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कह सकते ।

श्री बलराज मधोक : क्या दिल्ली से शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो विद्यार्थी दूर-दूर स्थानों पर जाते हैं उन्हें यहीं प्रवेश देने के बारे में कोई निश्चित आश्वासन दिया जा सकता है ?

श्री भागवत झा आजाद : हम तो दिल्ली प्रशासन के द्वारा जो संभव सहायता दी जा सकती है दे रहे हैं । हम इस बात का निश्चित आश्वासन नहीं दे सकते कि सारे विद्यार्थियों को प्रवेश मिल जायेगा ।

श्री बाबूराव पटेल : हम कारखानों की भांति कालिजों में तीन-तीन पारी क्यों नहीं रखते ताकि कारखाने के सामान की भांति पढ़े लिखे निर्माण किये जा सकें ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

श्री श्रीकरन : यह केवल दिल्ली ही की समस्या नहीं रही है । देश के अन्य क्षेत्रों में भी राज्य सरकारों के पास धन की कमी के कारण शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता और इस कारण हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं मिलती । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार एक अध्ययन दल नियुक्त करेगी जो देश के अन्य भागों में भी इस समस्या के बारे में अनुमान लगा सके ? क्या किसी राज्य सरकार ने शिक्षा कार्यक्रम बढ़ाने के लिए केन्द्र से धन मांगा है ?

श्री भागवत झा आजाद : हमारे पास ऐसी कोई प्रार्थना राज्य सरकारों से नहीं आई। हां; गत शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन में अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के प्रश्न पर विचार के समय उन्होंने वेतन के लिए धन मांगा था।

श्री वासुदेवन नायर : कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र को लिखा है। हम वह सूचना देने को तैयार हैं।

श्री मंगलाथुमाडोम : क्या इस कठिनाई को दूर करने के लिए पारी पद्धति लागू करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है।

श्री दी० चं० शर्मा : मैंने फ्रेंकफर्ट में एक स्कूल में चार पारी देखीं। भारत में भी दो पारियां थीं। क्या सरकार इसे लागू करेगी ताकि दिल्ली के स्कूल तथा कालेजों में प्रवेश मिल सके।

श्री भागवत झा आजाद : हमारी ओर से दिल्ली प्रशासन तथा किसी सरकार को दो पारी लागू करने के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

Shri Rabi Ray : The problem of admissions always comes in the month of July every year. Will the Minister give financial assistance to the State Government so that they may start shift system or some evening Colleges ?

Shri Bhagwat Jha Azad : We always consider sympathetically whenever any such request comes from a State Government;

Dr. Surya Prakash Puri : Will the hon. Minister inform about the number of seats reserved for foreign students in Delhi and why they are given preference even if the marks of a foreign student are lesser than that of a local student ?

Shri Bhagwat Jha Azad : I cannot give a definite answer to it but I do not think this is objectionable.

श्री म० ला० सोंधी : केन्द्रीय सरकार भी यहां की राज्य शिक्षा की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। उन्होंने दूर के कार्यक्रमों पर ध्यान देकर निकट भविष्य के कार्यक्रमों की उपेक्षा की है। यहां एक शीघ्र लाभ देने वाला कार्यक्रम होना चाहिए ताकि वर्तमान कठिनाई को दूर किया जा सके। क्या वह कोई अल्प-अवधि का सहायता देने वाला कार्यक्रम बनाया है ?

डा० त्रिगुण सेन : समस्या केवल 350 बी० एस सी सामान्य पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के बारे में है और उनके बारे में हम दिल्ली विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से बात कर रहे हैं। यह समस्या कई हजारों के बारे में अथवा बड़ी नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : जिन्हें प्रवेश नहीं मिल रहा है उनमें लड़कियां कितनी हैं तथा क्या उन्हें प्रवेश के बारे में कोई प्राथमिकता दी जायेगी ?

डा० त्रिगुण सेन : दिल्ली में तो महिला विद्यार्थियों के लिए किसी विशेष प्रबन्ध की आवश्यकता नहीं है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : The answer should be given about the number of girl students.

Shri Madhu Limaye : She wants to know the number of girl students who have not got admission.

Shri Bhagwat Jha Azad : We are not opening Colleges for boys alone but out of the five colleges going to be opened, two are meant for girls. The number of boys seeking admission for Science-group is 2591 and that of girls 681, In the Arts and Commerce groups the number of boys seeking admission is 4888 and that of girls it is 6119. We will be able to give admission to nine thousand students but still four thousand students will not be able to get admission. We will have to think about them.

Shri S. C. Jha : What was the comment of the study team regarding admission to correspondence courses. How many students would get admission to correspondence course ?

Shri Bhagwat Jha Azad : It is a separate question.

Shri Randhir Singh : Will all the five colleges be opened in urban areas or any one of these will be opened in the rural areas as you promised to open one at Narela and if not why not ?

Shri Bhagwat Jha Azad : The Delhi Administration informed us that they have accepted the proposal to open a college at Narela but the new Metropolitan Council has imposed a condition that it would be opened only if 250 students are there to join it. We pointed out that this is a new condition which they have imposed now, We want that a college should be opened at Narela.

श्री गडिलिंगन गौड : क्या मंत्री महोदय यह गारंटी देंगे कि ससत्सदस्यों के बच्चों को भी प्रवेश मिलेगा; क्योंकि वह सात आठ मास से दिल्ली में हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : हम दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से कैसे कह सकते हैं कि उन्हें कालेज में प्रवेश दिया जायेगा । हमारा यह प्रयत्न होगा कि किसी मामले में सहायता की जा सकती है तो करेंगे ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The ex-Education Minister, Shri Chagla had assured us last year that all eligible students will get admission and he asked his officials to chalk out such a plan too. I want to know whether instead of following that the Delhi University has made its conditions of admission more difficult especially for pre-medical and correspondence courses. Is it also a fact that number of students who want admission to Delhi Engineering College is ten-times more than the number of seats available and that the average of Delhi in Science subject is only 17 percent ?

डा० त्रिगुण सेन : सदन की सूचना के लिए मैं यह बता दूं कि दिल्ली कालेज आफ इंजिनियरिंग में 370 की स्वीकृत क्षमता है, जिनमें 120 आंशिक समय के विद्यार्थियों के स्थान

भी हैं । स्कूल ऑफ प्लानिंग तथा आर्किटेक्चर में 60 की क्षमता है तथा इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नालोजी हौज खास में 270 की क्षमता है और इस प्रकार कुल मिलाकर संख्या 700 है । दिल्ली कॉलेज आफ इंजिनियरिंग में 75 प्रतिशत स्थान पूरे समय के कोर्स के विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित हैं जोकि 250 की क्षमता में से 158 होती हैं । सारे भारत का डिग्री कोर्स का राष्ट्रीय सूचकांक 10 लाख में 52 स्थान है तथा दिल्ली का सूचकांक 171, है जोकि किसी भी राज्य में जहां कॉलेज हैं अधिक है । जहां तक डिप्लोमा कोर्सों का सम्बन्ध है दिल्ली उसमें सबसे अच्छा है क्योंकि यहां 281 स्थान हैं जबकि राष्ट्रीय सूचकांक केवल 98 है । इस प्रकार टेक्नीकल शिक्षा में दिल्ली बहुत अच्छा है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Have the eligibility conditions been made more difficult and if so, what are those ?

Shri Bhagwat Jha Azad : This is the job of Delhi University. They have stated that they will not take those who have secured less than 40 percent. As the University is autonomous we cannot interfere in their work.

Shri Kanwar Lal Gupta : The conditions this year are more difficult. What are the reasons for that ? Is it to lessen the seats this year ? Previously there was no condition in the corresponding courses.....

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न है । कोई चर्चा नहीं है ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : यही कारण है कि शिक्षा को व्यावहारिक रूप नहीं दिया है तथा आप कला तथा विज्ञान के विद्यार्थियों को पोलिटेकिनकल तथा कारखानों में प्रशिक्षण केन्द्र, को नहीं भेजते हैं । क्या आप आश्वासन देंगे कि आप इस दिशा में कोई कदम उठायेंगे ?

श्री भागवत झा आजाद : यह तो सुझाव है ।

श्री स्वतन्त्रसिंह कोठारी : यह तो उत्तर नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यापकों के वेतनक्रमों का बढ़ाया जाना

*483. **श्री स० मो बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :
श्री झा० सुन्दरलाल :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अध्यापकों के वेतनक्रमों में वृद्धि करने के लिये सरकार का विचार राज्यों के लिये कुछ धन निर्धारित करने का है,

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकारों ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि वे केन्द्रीय सहायता के बिना अध्यापकों के वेतनक्रमों में वृद्धि नहीं कर सकते ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां। विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों और तकनीकी संस्थानों के अध्यापकों के भी वेतनक्रमों के सुधार हेतु राज्यों को सहायता देने के लिये 1967–68 के बजट में रकम रखी गई है।

(ख) प्रत्येक राज्य के लिए कोई विशिष्ट धन निर्धारित नहीं किया गया है पर राज्यों को उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार अनुदान दिए जायेंगे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्य शिक्षा मंत्रियों ने 28–30 अप्रैल, 1967 को हुए अपने सम्मेलन में यह विचार प्रकट किया था कि केन्द्रीय सरकार की उदार सहायता के बिना स्कूल अध्यापकों के लिए शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतन मानों को लागू करना उनके लिए सम्भव नहीं होगा।

तकनीकी शिक्षा के लिये उद्योगों पर शुल्क लगाना

*486. **श्री मणीभाई जे० पटेल** : क्या **शिक्षा मंत्री** 5 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 534 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये धन जुटाने हेतु उद्योगों पर शुल्क लगाने के बारे में निर्णय करने में विलम्ब क्यों हो रहा है, और

(ख) इस सम्बन्ध में कोई पक्का निर्णय करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) शिक्षा आयोग का विचार है कि शुरू–शुरू में शुल्क लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और स्वैच्छिक आधार पर प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन तथा सहायता मिलनी चाहिए। सरकार का इस समय कोई इरादा नहीं है कि वह तकनीकी शिक्षा की वित्त–व्यवस्था के लिए शुल्क लगाए।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में गैर-सरकारी कालेजों को भरण अनुदान

*491: **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
डा० रानेन सेन :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई एक समिति ने दिल्ली के गैर-सरकारी कालेजों को भरण अनुदानों का पुनर्विलोकन करते हुए आरोप लगाया है कि कुछ संस्थानों में प्रबन्ध समितियों द्वारा विद्यार्थी कोष तथा शिक्षकों की भविष्य निधि का दुरुपयोग किया जा रहा था ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे संस्थानों के नाम क्या हैं तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) समिति ने उल्लेख किया कि कुछ मामलों में कालेजों ने अंशदायी भविष्य निधि तथा विद्यार्थियों की समितियों की निधियों को अपने भाग के घाटे को पूरा करने में प्रयोग कर लिया था ।

(ख) समिति ने अपने प्रतिवेदन में ऐसी संस्थाओं का नाम नहीं दिया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय को इस मामले में लिखा है ।

लन्दन स्कूल संस्था की क्रिकेट टीम

*492. **श्री जार्ज फरनेंडीज ;**
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन स्कूल्स क्रिकेट एसोशियेशन टीम के, जो पिछले वर्ष भारत आई थी , व्यय किस संगठन ने वहन किये थे ,

(ख) उस पर कुल कितना खर्च हुआ था ,

(ग) क्या कोई भारतीय स्कूल्स क्रिकेट टीम इस वर्ष कभी ब्रिटेन जाने वाली है , और

(घ) क्या इस टीम के लिये ब्रिटेन में सब व्यवस्था पूरी हो चुकी है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) भारत के क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने दौरे पर आने वाली टीम की अन्तर्देशीय विमान यात्रा का व्यय वहन किया था और केन्द्र ने (राज्य संगठनों ने) आने वाली टीम के रहने व खाने का खर्च अपने-अपने यहां उठाया था ।

(ख) भारत में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया गया कुल व्यय 61473·28 रुपए था ।

(ग) जी , हां । भारतीय स्कूल्स क्रिकेट टीम 16 जुलाई , 1967 से 31 अगस्त , 1967 तक के लिये ब्रिटेन जाएगी ।

(घ) जी , हां । ब्रिटेन में भारतीय स्कूल्स टीम के ठहरने के दौरान , उसकी अन्तर्देशीय यात्रा के व्यय तथा रहने-खाने के खर्च और अन्य खर्च लन्दन स्कूल्स क्रिकेट एसोशियेशन द्वारा वहन किए जायेंगे ।

मजूरी बोर्ड व्यवस्था

493. **श्री रमानी ।**
श्री उमानाथ :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजूरी बोर्ड व्यवस्था के कार्य संचालन का अध्ययन करने वाली समिति के काम में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या समिति ने कोई प्रश्नावली जारी की है ; और

(ग) समिति का प्रतिवेदन कब तक अन्तिम रूप में तैयार हो जाने की संभावना है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) इस कार्य के लिये एक राष्ट्रीय श्रमसम्बन्धी आयोग द्वारा गठित समिति ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है तथा उसकी पहली बैठक हो गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) समिति द्वारा आयोग के विचार के लिये अपना प्रतिवेदन अक्तूबर 1967 के अन्त तक देने की आशा है ।

कालेज अध्यापकों के वेतनमान

*494. **श्री श्रद्धाकर सुपकार :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा आयोग ने जूनियर लेक्चरारों के जिस वेतनमान की सिफारिश की है क्या वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित कालेज प्राध्यापकों के निम्नतम वेतनमान से भी कम है, और

(ख) क्या उन लेक्चरारों को, जिनकी योग्यता तथा अध्यापन का अनुभव समान होता है, विश्वविद्यालयों अथवा सरकारी कालेजों अथवा गैर-सरकारी कालेजों में भिन्न-भिन्न वेतन-दरें दी जाती हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, नहीं । दोनों ने वही वेतनमान देने की सिफारिश की है ।

(ख) जी, हां । फिर भी, यदि सभी राज्यों ने संशोधित वेतन मानों को लागू किया, तो इनसे वर्तमान परिस्थितियों में यथासंभव लगभग एकरूपता लाई जा सकेगी ।

प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल

*495. **श्री प्र० के० देव :** **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री जी० सी० नायक : **श्री अ० दीपा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के विभिन्न अध्ययन दलों ने अपना अपना अन्तरिम प्रतिवेदन आयोग को दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दलों द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विभिन्न अध्ययन दलों ने प्रशासनिक सुधार आयोग को निम्न प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं:—

(i) नागरिकों की शिकायतों को दूर करने की समस्यायें ।

(ii) समाचार पत्र तथा प्रशासन के बीच सम्बन्ध ।

(iii) भारत सरकार की मशीनरी के बारे में अन्तरिम प्रतिवेदन ।

(iv) जिला प्रशासन ।

(v) योजना की मशीनरी के बारे में अन्तरिम प्रतिवेदन ।

(vi) प्रशासनिक न्यायाधिकरण ।

(vii) वार्षिक प्रशासन ।

(viii) बजट सम्बन्धी सुधार, सरकारी व्यय पर नियन्त्रण आदि ।

(ix) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ।

(ख) अध्ययन दलों ने जो सिफारिशें की हैं उन पर प्रशासनिक सुधार आयोग विचार करेगा । कार्यान्वित करने का प्रश्न केवल आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर ही लागू हो सकता है । आयोग ने अब तक दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं, एक तो नागरिकों की शिकायतों को दूर करने की समस्याओं के बारे में तथा दूसरा योजना की मशीनरी के बारे में । दोनों विचाराधीन हैं ।

Hindi Correspondence Course

***496. Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to starred Question No. 639 on the 24th August, 1966 and state :

(a) whether the scheme prepared by the Central Hindi Directorate to introduce a Hindi Corrrespondence Course to impart working knowledge of Hindi to the non-Hindi-speaking people within and outside India is being implemented;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, reasons therefor ?

The Minister of the State in Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c) The scheme prepared by the Central Hindi Directorate for teaching Hindi to non-Hindi speaking people in India and abroad and to foreigners is still under consideration of the Government. It will be implemented as soon as it is finally approved.

Education in Bihar

***497. Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :
Shri Shiv Chandra Jha :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Bihar State is comparatively backward in education;

(b) if so, whether a scheme is being prepared by the Centra Government for bringing it to the level of other States; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) . Yes, Sir.

(b) ; No, Sir. The Central and the Centrally sponsored schemes of the Ministry of Education are meant for all States and in implementing them, preference is given to all backward States, including Bihar,

(c) Does not arise,

त्रि–भाषा सूत्र

*498. **श्री स्वैल :** **श्री बेरो :**
श्री किकर सिंह : **श्री कोलाई बिरुआ :**
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्यों ने त्रि–भाषा सूत्र अपना लिया है,

(ख) जिन राज्यों ने यह सूत्र नहीं अपनाया है उन्होंने क्या कारण बताये हैं,

(ग) क्या इस सूत्र को अपनाने के बारे में उन राज्यों को कोई निदेश दिया गया है, और

(घ) यदि, हां तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) मद्रास को छोड़कर सभी राज्यों ने नियम के रूप में त्रि-भाषा सूत्र स्वीकार कर लिया है ।

(ख) हिन्दी के अध्ययन को अनिवार्य बनाने के लिए मद्रास राज्य राजी नहीं है । उसने वैकल्पिक आधार पर इसके अध्ययन की व्यवस्था की है ।

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई निदेश नहीं दिया जा सकता है, यह मामला पूर्ण रूप से उनके क्षेत्राधिकार में आता है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वैज्ञानिकों का वेतन

*499. **डा० रानेन सेन : क्या शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में किये गये सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि भारत में वैज्ञानिकों को बहुत कम वेतन मिलता है, और

(ख) यदि हां , तो उनकी दशा सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) अनुसंधान सर्वेक्षण तथा आयोजना संगठन के अकील अहमद और एस० पी० गुप्ता की सर्वेक्षण रिपोर्ट में, जिसका नाम " वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी-विदों का मत-सर्वेक्षण" है, (जिसकी प्रतिलिपि संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है) लिखा है कि :

"हमारी वर्तमान अर्थ-व्यवस्था के प्रसंग में, भारतीय वैज्ञानिक को खास तौर पर पश्चिम के विकसित देशों के वैज्ञानिकों के मुकाबले में बहुत ही कम वेतन मिलता है।"

(ख) जहाँ तक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का संबंध है, कई कार्यवाहियां जैसे योग्यता के आधार पर पदोन्नति तथा अग्रिम वेतनवृद्धि की मंजूरी और काम के पांच वर्षों के निर्धारण के आधार पर पदोन्नतियां आदि पहले ही चालू की जा रही हैं ।

पुस्तकों का आयात

*500. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवमूल्यन के कारण विज्ञान की पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के आयात में कितनी कटौती करनी पड़ी थी, और

(ख) क्या इन पुस्तकों को देश में तैयार करने के बारे में कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) : कोई कटौती नहीं करनी पड़ी थी और वस्तुत: अवमूल्यन के बाद तकनीकी तथा वैज्ञानिक पुस्तकों के आयात की नीति को उदार कर दिया गया था। फिर भी आयात की गयी पुस्तकों के मूल्यों में अवमूल्यन के कारण होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने देश के भीतर मानक पुस्तकों के उत्पादन के मौजूदा कार्यक्रमों की गति को तेज करने का निर्णय किया है और इस प्रयोजन से नई योजनाएं चलाने पर भी विचार हो रहा है।

कोचीन में डाक और तार के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

*501. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री जनार्दनन :
श्री अदिचन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन के डाक और तार कर्मचारियों ने प्रार्थना की है कि स्टाफ क्वार्टरों की व्यवस्था करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए;

(ख) क्या यह सच है कि कोचीन में डाक तार के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने के लिए 1963 में भूमि अर्जित की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्वार्टरों के निर्माण में देरी होने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, नवम्बर, 1963 में।

(ग) क्वार्टरों के निर्माण का काम रुके रहने का मुख्य कारण है फंड की कमी :

Telephone Services

*503. **Shri Sidheshwar Prasad:** **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shashi Ranjan: **Shri Raghubir Singh Shastri :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state ;

(a) whether he has examined the causes of the progressive deterioration in the telephone services;

(b) if so, the method adopted for the said examination; and

(c) the steps being taken to bring about improvement in the said services ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Government are conscious of dissatisfaction prevalent in regard to the inadequacy of the telephone service.

(b) and (c) : A watch is being maintained on the quality of services rendered to the subscribers. Besides investigation and remedial action for each individual case of complaint, constant attention is given to training and supervision of staff as well as maintenance of lines and equipment. With the introduction of advanced technology in ocal and trunk communication service, the standard of service is expected to improve.

इसराइल का राष्ट्रीय दिवस समारोह

*504. **श्री म० ला सोंधी :**
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री राम सेवक यादव :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री काशी नाथ पाण्डे
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ प्रदर्शन-कारियों ने नई दिल्ली में इसरायल के राष्ट्रीय दिवस को मनाने के लिए आयोजित समारोह में निमन्त्रित व्यक्तियों को जाने से रोका ।

(ख) क्या इस प्रदर्शन में विदेशी विद्यार्थियों ने भाग लिया ;

(ग) क्या यह सच है कि एक विदेशी मिशन ने नई दिल्ली में इसराइल के राष्ट्रीय दिवस मनाये जाने पर सरकार से विरोध प्रकट किया है; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच करने का आदेश दिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) प्रदर्शनकारियों ने इस प्रकार के प्रयास किये परन्तु पुलिस से महमानों के लिए रास्ता बनाये रखा ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) भारतीय दंड संहिता की धारा संख्या 147/148/452/353 तथा 186 के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा उस पर जांच हो रही है ।

Film and Circus Artistes

*505. **Shri Sarjoo Pandey :**
Shri Ishaq Sambhali :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4417 on the 27th April, 1966 regarding film and circus artistes and state :

(a) whether Government have since received the report of the Tripartite Committee; and

(b) if so, the main recommendations of the Committee and the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra) : (a) No.

(b) Does not arise.

Production of Stainless Steel at Jamshedpur

*507. **Shri J. Sundar Lal :** (a) Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether a scheme to start the production of stainless steel in the National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur is under consideration;

(b) if so, the progress made in regard thereto; and

(c) whether this stainless steel would be cheaper and better in quality than the stainless steel of foreign make ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) It is difficult to assess whether the nickel-free stainless steel would be cheaper than the corresponding Standard 18/8 stainless steel unless production on tonnage basis is taken up but its properties have been found to be comparable to 18/8 stainless steel.

कर्मचारी भविष्यनिधि

*508. **श्री कं० हाल्वर** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में अनेक नियोजक कानून के अनुसार भविष्यनिधि की रकम सम्बन्धित अधिकारियों के पास जमा नहीं कराते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि पश्चिम बगाल में अनेक नियोजक अपने कर्मचारियों में से भविष्यनिधि में अंशदान जमा कराने वाले लोगों को वार्षिक रिपोर्टें नहीं देते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) कुछ नियोजक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए भविष्य निधि की रकम देने में चूक की है ।

(ख) सदस्यों के लिये लेखों का वार्षिक विवरण देने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त की है न कि नियोजकों की । 31-3-1967 तक सदस्यों को 1965-66 के लेखों के 24055 विवरण जारी करने बकाया थे ।

(ग) ऊपर के भाग (क) में जिस स्थिति का पता चला है उसके लिए कानूनी तथा प्रशासनिक कार्यवाही की है ।

संयुक्त सलाहकार व्यवस्था

*509. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी : **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या 29 मई, 1967 को केन्द्रीय सरकार की संयुक्त सलाहकार व्यवस्था (ज्वायंट कन्सल्टेटिव मशीनरी) तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी मांगों के बारे में कर्मचारियों के साथ कोई समझौता हुआ था और यदि नहीं, तो मध्यस्थता के लिये क्या मामले सौंपे गये ?

गृहकार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एम० रामास्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) कार्यसूची पर 15 विषय थे जिनमें 6 तो पिछली बैठक के थे जो 30 तथा 31 जनवरी 1967 को हुई थी तथा राष्ट्रीय परिषद की समितियों को भेज दी थी । इन 6 विषयों में से 5 पर तो 29 तथा 30 मई की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में विचार हुआ । उनमें से 2 पर तो समझौता हो गया था तथा कार्यसूची के बाकी 3 विषयों पर कोई समझौता नहीं हो सका ।

मध्यस्थता के लिए कोई मामला नहीं भेजा गया क्योंकि उसके लिये कर्मचारियों तथा सरकार दोनों की ओर से किसी ने भी सुझाव नहीं दिया था ।

महानगर परिषद्, दिल्ली की शक्तियां

*510. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद हाल ही में उनसे मिले थे तथा उनसे प्रार्थना की थी कि कार्यकारी परिषद् को कुछ रक्षित विषय हस्तांतरित किये जायें;

(ख) क्या यह भी सच है कि वह ऐसा करने के लिए सहमत हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : गृह कार्य मंत्री इस बात को विचार करने के लिए सहमत हो गये कि मकानों के विषय को महानगर परिषद की पर्यालोकन में जो विषय हैं उस सूची में हस्तांतरित किया जाये । इस मामले पर विचार हो रहा है ।

टेलीफोन एक्सचेंज, चरखी दादरी

2309. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चरखी दादरी (हरियाना) में टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत का निर्माण-कार्य पूरा करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत बनाने के लिए प्लाट का चुनाव कर लिया गया है । भू-अधिग्रहण की कार्रवाई द्वारा जमीन प्राप्त की जायेगी । जमीन पर कब्जा ले लेने के बाद टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत का निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा । मध्यम आकार के एक्सचेंज की इमारत के निर्माण में लगभग डेढ़ वर्ष लग जाता है ।

दिल्ली-भिवानी टेलीफोन लाइन

2310. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1967 से 30 अप्रैल, 1967 के बीच की अवधि में दिल्ली और भिवानी के बीच टेलीफोन लाइन कितनी बार खराब हुई ;

(ख) खराबी होने के क्या कारण थे ; और

(ग) इस टेलिफोन लाइन में खराबी न होने पाये और इसकी व्यवस्था सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक परिपथ 104 बार, दूसरा 117 बार ।

(ख) मुख्य कारण ये हैं--

(i) भिवानी में सार्वजनिक बिजली सप्लाई का बार-बार बन्द हो जाना तथा अप्रैल में राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों की हड़ताल ;

(ii) तांबे के तार की चोरी ;

(iii) बेतहाशा लदे ट्रकों का तारों से टकराने के कारण हुई क्षति ।

(ग) (1) बिजली सप्लाई में सुधार करने की दृष्टि से भिवानी में एक इंजन आल्टरनेटर स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(2) तांबे के तारों की चोरी के मामलों में पुलिस से बातचीत की जा रही है ।

(3) ऐसे स्थानों पर जहां क्षति पहुँच सकती है, लाइनों को ऊंचा उठा दिया गया है ।

भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में राजपत्रित अधिकारियों को दण्ड

2311. श्री बाबूराव पटेल :--क्या **गृह कार्य** मन्त्री 29 मार्च, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 159 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन 11 राजपत्रित अधिकारियों को भ्रष्टाचार के लिए सजायें दी गई थीं, वे किन किन पदों पर काम कर रहे थे और उन्हें क्या-क्या दण्ड दिये गये ;

(ख) इन अधिकारियों से क्षति अथवा गबन की गई राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और वास्तव में कितनी राशि वसूल की गई है ; और

(ग) जिन 108 अधिकारियों को उनके विभागों द्वारा दण्ड दिया गया था, उनके पद के नाम क्या है और उन्हें क्या-क्या दण्ड दिया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) 1. एक आयकर अधिकारी ।	5 वर्ष की कड़ी कैद तथा 75,000 रु० का जुर्माना ।
2. एक आयकर अधिकारी ।	एक वर्ष की कड़ी कैद तथा 500 रु० का जुर्माना ।
3. सैनिक इंजिनियरिंग सेवा का एक गैरीजन इंजिनियर ।	एक वर्ष की कड़ी कैद तथा 2,500 रु० जुर्माना ।
4. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का एक उप खरीद अधिकारी ।	18 मास की कड़ी कैद तथा 500 रु० जुर्माना ।
5. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम का एक असिस्टैन्ट इंजिनियर ।	एक वर्ष की कड़ी कैद तथा 500 रु० जुर्माना
6. राज्य पुलिस दल का एक उप-अधीक्षक जो कि पहले विशेष पुलिस संस्थापन में प्रतिनियुक्ति पर था ।	एक वर्ष की कड़ी कैद तथा 2000 रु० का जुर्माना ।

7. सम्भरण तथा उत्सर्जन महा-निदेशालय का एक असिस्टेंट निदेशक ।	6 मास की कड़ी कैद तथा 200 रु० जुर्माना ।
8. ए० ई० ई० टी० प्रशिक्षण स्कूल होस्टल का एक प्रशासनिक अधिकारी ।	एक दिन की सादी कैद तथा 2,500 रु० जुर्माना ।
9. फिल्म डिविजन के वितरण केन्द्र का एक ब्रांच मैनेजर ।	अदालत के उठने तक कैद तथा 500 रु० जुर्माना ।
10. सामान्य डाक घर का एक पोस्ट मास्टर ।	4 मास की सादी कैद तथा कुल मिलाकर 1000 रु० का जुर्माना ।
11. केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज सहकारी स्टोर्स लिमिटेड का अवतनिक सचिव तथा कोषाध्यक्ष ।	एक वर्ष की कड़ी कैद तथा कुल मिला कर 3,000 रु० का जुर्माना ।

(ख) दोष ठहराये हुए व्यक्तियों को सजा की अवधियों के अतिरिक्त जुर्माना देने का भी दंड दिया था । जुर्माना न दे सकने की अवस्था में उन्हें और अधिक सजा का दण्ड दिया था । उनसे जो धन वास्तव में वसूल पाया उसकी राशि का पता नहीं ।

1. एक इन्सपेक्शन का निदेशक, एक सम्भरण तथा उत्सर्जन का उप निदेशक, सम्भरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय के इन्स्पैक्टिंग तथा सहायक इन्स्पैक्टिंग अधिकारी आदि ।
2. एक वस्त्र आयुक्त, एक वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय का एक उप निदेशक तथा आयात और निर्यात सम्बन्धी एक सहायक कन्ट्रोलर ।
3. रेलवेज के एक विभागीय अधीक्षक, एक स्टेशन अधीक्षक तथा सहायक इंजिनियर्स आदि ।
4. सैनिक खरीद संस्था का एक उप निदेशक, खाद्य तथा कृषि का एक मार्कीटिंग आफिसर तथा सहायक निदेशक आदि ।
5. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजिनीयर्स तथा सहायक इंजिनियर्स ।
6. कमीशन प्राप्त अधिकारी, सैनिक इंजिनियरिंग सेवा के सहायक गैरीजन इंजिनियर्स, सामान्य स्टोर्स निरीक्षालय का अधिकारी तथा रक्षा सेवाओं के अन्य अधिकारी ।
7. आयकर अधिकारी, सीमा शुल्क विभाग के मूल्यांकन करने वाले तथा केन्द्रीय उत्पादन विभाग का एक अधीक्षक ।
8. शिक्षा विभाग के अवर सचिव तथा अनुभाग अधिकारी ।
9. गोदी श्रमिक बोर्ड का एक उप सभापति तथा श्रम निरीक्षक ।
10. विभिन्न सरकारी उपक्रमों के इंजिनियर्स, पर्यवेक्षक तथा अन्य अधिकारी जिनमें एक कोयला धोने सम्बन्धी परियोजना का एक अधीक्षक इंजिनियर भी शामिल है, कोयला धोने के कारखाने का एक वरिष्ठ इंजिनियर, तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का एक एक्जीक्यूटिव इंजिनियर, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का एक अग्नि अधिकारी आदि ।

उन्हें दण्ड निम्न प्रकार से दिया गया था ।

1. पदच्युत करना अथवा सेवा से हटा देना ।	8 अधिकारी
2. हटा देना अथवा सेवामुक्त करना ।	3 अधिकारी
3. अनिवार्य रूप में सेवा से निवृत्त करना ।	1 अधिकारी
4. पद अथवा वेतन का कम करना ।	6 अधिकारी
5. वेतन वृद्धि का रोक देना ।	3 अधिकारी
6. अन्य दण्ड	85 अधिकारी
	कुल : 106

2 अधिकारियों ने सेवा से त्यागपत्र दे दिया ।

मध्य प्रदेश के आदिम जातीय क्षेत्रों में नये स्कूल

2312. श्री बाबुराव पटेल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य के आदिम जातीय क्षेत्रों में नये प्राइमरी स्कूल खोलने तथा प्राइमरी अध्यापकों की नियुक्ति के हेतु और अधिक धन राशि दिये जाने के लिए विशेष प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ।

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार 1966--67 में 210 प्राइमरी स्कूल खोलने का विचार रखती है ।

(ग) बाद में राज्य सरकार ने इस सुझाव को समाप्त कर दिया ।

दिल्ली उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र तक बढ़ाना

2313. श्री काशीनाथ पाण्डे : क्या गृह--कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) जब इसके सम्बन्ध में संसद के दोनों सदनों द्वारा आवश्यक कानून पास कर दिया जायेगा ।

Telegraph & Telephone Facilities in M.P.

2314. Shri Y. S. Kushwah : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Post Officers at Indergarh, Thrat, Uprain, Unnao, Alampur, Daboh, Lahar, Mihona, Atair, Chhoop, Umari, Mehgaon, Mou, Amayan, Gormi, Gohad, Senhura, Baruni, towns in District Bhind and Datia of Madhya Pradesh have telegraph and Telephone public call office facilities;

(b) when these facilities are likely to be provided at places in M.P. where they do not exist at present; and

(c) the maximum distance Government consider essential at which **Telegraph** Offices should be located ?

The Minister of State in the Departments Parliamentary Affairs and Communications (Shri I.K. Gujral) : (a) and (b) A statement furnishing the required information is placed on the Table of the sabha. [Placed in Library, See No. L.T-632/67]

(c) Because of limited resources the Department is providing telegraph offices either on basis of remunerativeness or on limited loss basis at certain stations governed by administrative importance or consideration of population. Hence distance by itself has not been made a criterion by the department for locating the telegraph offices.

दिल्ली में डाकघर

2315. **श्री क० प्र० सिंह देव :** (क) क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में तथा इसके शहरी क्षेत्रों में और अधिक डाकघर खोलने की योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग) लोक-सभा पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है ।

विवरण

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली इसके शहरी क्षेत्रों में नये डाकघर खोलने की योजना तैयार की गई है । संभावित परियात, जनता की आवश्यकताओं और मौजूदा डाकघरों से उनकी दूरी पर विचार करते हुए नये इलाकों और बस्तियों में डाकघर खोले जाएंगे । उद्देश्य यह है कि डाकघर पहुँचने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक किलोमीटर से अधिक न चलना पड़े । डाकघर खोलना इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अधिकतम काम के घंटों और घाटे की वित्तीय सीमा (प्रति डाकघर प्रतिवर्ष 240 रु०) की शर्तें पूरी होती हों और उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो जाए । चौथी योजना के प्रारम्भ होने के समय से 10 डाकघर खोले जा चुके हैं और योजना की शेष अवधि के दौरान 64 डाकघर और खोल दिये जाने की सम्भावना है । उन स्थानों के नाम जहां डाकघर खोल दिये गए हैं या जहां खोलने की सम्भावना है, नीचे दिये गए हैं —

खोले गए डाकघरों के नाम

1. राजौरी मार्केट 2. रामकृष्णपुरम् 3. रेल भवन 4. ग्रीन पार्क मार्केट 5. रामकृष्णपुरम् सेक्टर–VII 6. रामकृष्णपुरम् सेक्टर–V 7. आदर्श नगर 8. एयर फोर्स सेन्ट्रल एकाउन्ट 9. फराशखाना 10. रामकृष्णपुरम् सेक्टर–VI ।

उन स्थानों के नाम जहां डाकघर खोले जाने की सम्भावना है

1. चाँद मोहल्ला 2. मनराज गार्डन 3. मजलिस पार्क 4. सीलमपुर–II 5. ओंकार नगर 6. निर्माण भवन 7. शास्त्री भवन 8. सुपर बाजार (मुख्य) 9. कन्ट्रोल वेहाइकिल डिपो 10 इन्द्रप्रस्थ 11. नीमड़ी 12. आजादपुर मार्केट 13. गुरु अङ्गद नगर 14. मानकपुर 15. दयाबस्ती 16. बापू नगर 17. सफदर जंग ब्लाक ए तथा बी 18. इर्विन अस्पताल 19. सफदर जंग व आउट प्लान 20. सफदर जंग ब्लाक–सी 21. आश्रभ 22. डबल स्टोरी लाजपतनगर 23. शक्ति खामपुर 24. शंकर रोड 25. मनोहर पार्क 26. न्यू मुल्तान नगर 27. पंजाबी बाग

28. नानकपुर गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स कोलोनी 29. ओखला स्थित इन्डस्ट्रियल ले आउट 30. ग्रेटर कैलाश–II 31. कृष्ण नगर (नई दिल्ली) 32. सनलाइट एस्टेट 33. खन्ना मार्केट 34. मानसरोवर गार्डन 35. अजय एन्क्लेव 36. राधा पार्क 37. वीदनपुरा 38. तिहाड़पुर कैम्प 39. गंगाराम अस्पताल रोड 40. इन्डस्ट्रियल ले आउट प्लान II–जे चरण–II 41. गुलाबी बाग 42. रे० डा० व्य० भवन तुगलकाबाद 43. विनय मार्ग 44. सिद्धार्थ बस्ती 45. होली फैमिली अस्पताल 46. महावीर नगर 47. सुदर्शन पार्क 48. लक्ष्मी कोलोनी 49. फ्रेन्ड्स कोलोनी 50. चाणक्यपुरी 51. दयानन्द कोलोनी 52. घोला कुआं 53. किचनर रोड 54. शास्त्री नगर 55. से 64 तक नई कोलोनियां।

आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में अनुसन्धान

2316. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन मूर्ति भवन में आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में अनुसन्धान करने के लिये एक केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (भागवत झा आजाद) : (क) जी हां। केन्द्र, नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के कार्यकलापों के एक अङ्ग के रूप में कार्य करेगा।

(ख) अनुसंधान केन्द्र का विचार निम्नलिखित बातें शामिल करने का है :

(1) आधुनिक भारत के इतिहास और स्वतन्त्रता आन्दोलन के विशेष संदर्भ की पुस्तकों, पुस्तिकाओं, समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, माइक्रो-फिल्मों, स्थिर चित्रों, चल-चित्रों, ध्वनि-रिकार्डों आदि का ग्रन्थालय।

(2) पाण्डुलिपियों का संकलन ऐसे प्रसिद्ध भारतीयों के निजी लेख-पत्र शामिल करते हुए जिन्होंने देश के विकास के किसी पक्ष में, कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो और विभिन्न संगठनों तथा संस्थाओं के विशेषकर जिनका भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्ध रहा था, रिकार्ड।

(3) मौखिक सूचना, खास तौर पर प्रमुख भारतीय नेताओं के संस्मरण जो नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय के लिए विशेषत: रिकार्ड किये गये हों।

(4) अनुसंधान छात्रों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना और अधिछात्रवृत्तियां देकर, सेमिनार तथा भाषण आयोजित करके भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के विशेष संदर्भ में आधुनिक भारतीय इतिहास में अनुसंधान को भी प्रोत्साहन देना; और

(5) केन्द्र में किये गये अनुसंधान का प्रकाशन।

नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय का विचार नवम्बर, 1967 में अनुसंधान सामग्री को छात्रों के प्रयोगार्थ उपलब्ध कर देने का है।

Americans and Englishmen on Civil and Military Posts

2317. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of American and Englishmen employed against civil or military posts in India at present; and

(b) whether it is proposed to replace them by Indian nationals ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Central Scholarships to Bihar Students

2318. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the number of students selected from various rural educational institutions of Bihar, with the names of these institutions, who would receive scholarships from the Central Government during the current financial year ;

(b) whether it is a fact that generally the number of such scholarships awarded to students of Bihar is comparatively less than those of the other States ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (c) Selection of students from the various Rular Institutes in the country for the award of scholarships is not made centrally. Under the scheme of Rural Higher Education, provision is made for the award of stipends by individual Rural Institutes to 20% (additional 5% for girls students of Rural Services and Preparatory Courses) of students on roll in each class at approved rates.

The basis of calculation of the number of stipends is the same for all the Rural Institutes located in the various States. There is one such Rural Institute in Bihar viz the Rural Institute of Higher Studies, Birouli. The exact number of students who would receive stipends during the current financial year will be known only after the admissions are completed.

नई दिल्ली नगरपालिका तथा दिल्ली नगर निगम के स्कूलों को सहायक-अनुदान

2319. श्री हरदयाल देवगुण : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के स्कूलों को 95 प्रतिशत सहायक-अनुदान तथा नई दिल्ली नगरपालिका के स्कूलों को 75 प्रतिशत सहायक-अनुदान और दिल्ली नगर निगम के स्कूलों को केवल 45 प्रतिशत सहायक-अनुदान दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सब स्कूलों को समान आधार पर सहायक-अनुदान देने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) दिल्ली प्रशासन के मामले में, कोई सहायक-अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सरकारी स्कूलों के चलाने समेत सभी कार्यकलापों का पूरा खर्च प्रशासन द्वारा दिया जाता है ।

नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम दोनों के मामले में सहायक-अनुदान शुद्ध अनुमोदित खर्च के 50 प्रतिशत के आधार पर दिया जाता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कालेजों में पत्रकारिता पाठ्यक्रम

2320. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कालेजों अथवा विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता पाठ्यक्रम पढ़ाये जाते हैं; और

(ख) क्या ये कालेज अथवा विश्वविद्यालय डिप्लोमा अथवा डिग्री प्रदान करते हैं और प्रत्येक में यह पाठ्यक्रम कितने समय के लिये होता है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 633/67]**

रेडियो टेलीफोन संचार व्यवस्था

2321. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों के साथ रेडियो टेलीफोन संचार की व्यवस्था है;

(ख) भारत में किन स्थानों पर यह व्यवस्था है; और

(ग) क्या ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि अमरीका में जैसे टैक्सी ड्राइवर टैक्सियों में बेतार संचार की व्यवस्था करते हैं वैसी ही व्यवस्था यहां भी हो ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) इस समय भारत से 26 देशों को सीधी रेडियो टेलीफोन सेवा उपलब्ध है तथा इन सीधी सेवाओं से होकर, कुल मिलाकर 121 विदेशी स्थानों के लिए टेलीफोन व्यवस्था सुलभ है ।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार ।**[पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 634/67]**

(ग) डाक और तार विभाग का दूर संचार अनुसन्धान केन्द्र, सचल वाहनों से संचार के उपयुक्त उपकरण विकसित कर रहा है । यह विकास काफी उन्नत अवस्था तक पहुंच चुका है । इस उपकरण का निर्माण अब से कोई दो वर्ष के भीतर आरम्भ हो जाने की आशा है ।

गोआ में धर्म-प्रचारक

2322. **श्री शिंकरे** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में कितने विदेशी ईसाई धर्म-प्रचारक काम कर रहे हैं;

(ख) वे किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं; और

(ग) क्या गोआ की स्वतन्त्रता के बाद उनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गोआ में 1 जनवरी 1967 को रजिस्टर शुदा विदेशी ईसाई धर्म-प्रचारकों की संख्या 38 थी।

(ख) जो कार्य वे मुख्य रूप से कर रहे हैं, वे हैं, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक तथा धर्म-प्रचार।

(ग) जी नहीं। वास्तव में यह संख्या कम हो गई है।

गोआ, दमन और दीव में डाकघर

2323. **श्री शिंकरे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ, दमन और दीव में इस समय कितने डाकघर हैं तथा उनमें से कितने डाकघरों में बचत बैंक की व्यवस्था है;

(ख) अगले दो वर्षों में गोआ, दमन और दीव में कितने नये डाकघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या इन नये डाकघरों में टेलीफोन तथा तार की सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) गोआ, दमन तथा दीव के संघीय प्रदेश में 129 डाकघर हैं। इन डाकघरों में से 75 में बचत बैंक की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) 21 डाकघर, बशर्ते कि नये अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने पर लगी पाबन्दियां हटा ली जाएं।

(ग) कुछ प्रस्तावित नये डाकघरों में टेलीफोन और तार की व्यवस्था की जाएगी। फिर भी इन सुविधाओं की व्यवस्था करना इस बात पर निर्भर करता है कि विभाग द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार डाकघर 'श्रेणी वाले स्थानों' पर स्थित हों, अन्यथा प्रस्ताव लाभप्रद होने चाहिए या उन पर होने वाले घाटे की पूर्ति की गारंटी मिले। 'श्रेणी वाले स्थान' सामान्यतः ये होते हैं--

(क) तार सुविधाओं के लिये-उपमंडल तहसील मुख्यालय, 5000 से अधिक आबादी वाले स्थान, वे स्थान जहां कम से कम सब-इन्सपेक्टर के पद के अधिकारी के कार्यभार के अधीन काम करने वाले पुलिस स्टेशन हों और खण्ड मुख्यालय।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोन घरों के लिए—जिला तथा उपमंडल मुख्यालय नगर, 20000 से अधिक आबादी वाले स्थान तथा तदनुरूप मुख्यालय नगर।

कलकत्ता में नौभरक (जहाजों में माल लादने-उतारने वाले)

2324. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या श्रम तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की गोदियों में विभिन्न स्टेवैडोटर्स के अधीन काम कर रहे लिपिक तथा पर्यवेक्षक कर्मचारियों की ओर से कलकत्ता स्थित प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को अभ्यावेदन मिले थे;

(ख) क्या ये कर्मचारी काफी लम्बे समय से यह मांग कर रहे है कि उन्हें कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के अधीन रजिस्टर किया जाये;

(ग) क्या यह सच है कि वे गोदी सम्बन्धी अत्यावश्यक कार्यों को नियमित रूप से तथा लगातार करते आ रहे हैं;

(घ) क्या विभिन्न गैर-सरकारी नियोजकों के अधीन उनकी वर्तमान सेवा तथा रोजगार की शर्तें अत्यधिक असन्तोषजनक तथा अनियमित हैं; और

(ङ) उन्हें उन लाभों से जो कि रजिस्टर्ड गोदी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं; लगातार वंचित करने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। उनका बोझ लादने अथवा उतारने से सीधा सम्बन्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) क्योंकि वे पहले से ही विभिन्न स्टेवैडोर्स तथा जहाजी कम्पनियों में मासिक रोजगार पर हैं, उनका रजिस्टर कराना आवश्यक नहीं समझा गया।

Development of Magahi

2325. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether assistance has ever been given to any institution for the development of Magahi ;

(b) if so, the name of the institution and the extent of assistance given ; and

(c) if not, the reasons therefore ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No suitable proposal has yet been received.

Pro-Pak Slogans at Calicut

2326. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news published in the 'Patriot' dated the 24th April, 1967 that certain person pulled down the National Flag at Calicut and raised pro-Pakistani slogans;

(b) whether the matter has been enquired into ; and

(c) if so, the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) According to the information received from the State Government, a lunatic climbed the flagmast at Calicut Collectorate and untied the national flag. He did not shout pro-Pakistani slogans. He was arrested under the Indian Lunacy Act and was sent to the mental hospital. Calicut for treatment.

Pak Firing

2327. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that soldiers of East Pakistan fired upon the border security personnel in Belonia village in Tripura on the 8th, 9th and 10th December, 1966;

(b) if so, the loss of life and property as a result thereof ; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) East Pakistan Rifles personnel fired intermittently on and around Belonia on 8th, 9th and 10th December, 1966.

(b) No loss of life and property was reported.

(c) Effective measures have been taken to prevent any encroachment of Indian territory and constant efforts have been made to dissuade the East Pakistan Rifles personnel from resorting to firing.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2328. श्री दामानी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्त किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में इस समय कार्य करने वाले इन अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) ये प्रतिनियुक्तियां कितने समय के लिए की गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विधिवेत्ताओं का अन्तर्राष्ट्रीय आयोग

2329. श्री जाजे फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री श्रीधरन :
श्री मधु लिमये :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधिवेत्ताओं के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने मार्च/अप्रैल, 1967 में जैनेवा से किये गये अपने बुलेटिन में प्रकाशित एक घोषणा में भारत में मूलभूत मानवीय अधिकारों के दमन के लिये भारत सरकार की आलोचना की है; और

(ख) इस विषय में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के बुलेटिन के मार्च 1967 के अंक में "भारत में मौलिक अधिकारों पर अधिक्रमण" पर छपा लेख देखा है ।

(ख) सरकार ने संसद में निवारक निरोध अधिनियम तथा आयात स्थिति के बारे में समय समय पर अपनी नीतियां प्रस्तुत की हैं । इससे आगे कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

Illegal Documents recovered from firms in Delhi

2330. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that illegal documents were recovered during the course of raids on a hardware firm and 6 other firms in Chawri Bazar, Delhi in April, 1967;

(b) if so, the names of these firms;

(c) the amount of Income-tax evaded by them; and

(d) the action taken against the proprietors of these firms ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d) The Sales Tax Authorities of Delhi Administration raided the firm of Messrs. Suraj Bhan Aggarwal and Sons, Hardware Merchants, Chawri Bazar, Delhi, as well as the residence of its proprietor in Chawri Bazar, Delhi on 7-4 67 and took possession of certain documents. These documents are under examination. The question of taking action against the firm will arise if after examination of the documents etc. it is found that the dealer has committed any irregularities under the provisions of the Bengal Finance (Sales Tax) Act, as applicable to the Union territory of Delhi. Similarly the amount of Income tax evaded, if any, can only be known when the relevant income-tax assessments are completed. No such other firm was raided in April, 1967.

P. As., P, Ss. to Ministers

2332. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the present Ministers of the Central Cabinet have appointed persons from their own States and of their own castes as their P. As, and Private Secretaries ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps proposed to be taken to check such practice ?

The Minister of State in the Minis'ry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) Ministers have discretion in the choice of their per·onal staff, so that they may have persons in whom they have confidence. Such discretion is considered necessary because of the nature of the duties required to be performed by the personal staff. In the majority of cases, however, the persons so appointed belong to one or other of the organised Services.

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पुलिस लगाने के लिए हुए व्यय का भुगतान

2333. **श्री रा० बरुआ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा आसाम में भेजे गये पुलिस दल को अनाज सप्लाई करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त करने के लिए राज्य की पुलिस लगाने के लिये आसाम सरकार द्वारा व्यय किये गये धन को भारत सरकार का विचार आसाम को लौटाने का है; और

(ख) 1960 से वर्षवार कितना धन व्यय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) जो सूचना पूछी है उसका बताना लोकहित में नहीं है ।

इन्जीनियरों में बेरोजगारी

2334. **श्री श्रद्धाकर सुपकार :**

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री गुणानन्द ठाकुर :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्जीनियरिंग की अधिकांश शाखाओं के नये स्नातक तथा ओवरसियर काफी संख्या में बेरोजगार हैं और उन पदों पर नहीं नियुक्त हैं जो उनकी योग्यता के अनुसार उनको मिलने चाहिये थे; और

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप बहुतसी शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों को प्रति वर्ष प्रवेश देना कम कर दिया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) नियोजित तथा अर्धनियोजित इन्जीनियरिंग व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं है । रोजगार कार्यालयों की चालू रजिस्टर पर भिन्न प्रकार के नियोजन चाहने वाले इंजीनियरों की संख्या जिनमें स्नातक, डिप्लोमा प्राप्त तथा जिन्हें प्रेक्टिकल अनुभव प्राप्त व्यक्ति भी शामिल हैं, की संख्या निम्न प्रकार से है । स्नातक और डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों से सम्बन्धित सूचना अलग से प्राप्त नहीं ।

वर्ग	31-12-1966 को चालू रजिस्टर पर दर्ज होने वालों की संख्या
सिविल इंजीनियर	2,548
ओवरसियर	7,972
मैकेनिकल इंजीनियर	9,197
इलैक्ट्रीकल इंजीनियर	6,354
कैमीकल इंजीनियर	150
मट्रोलोजीकल इंजीनियर	66
मायनिंग इंजीनियर	188

(ख) शिक्षा मंत्रालय की सूचना के अनुसार मायनिंग इंजीनियरिंग, डिगरी डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों के नियोजन की असन्तोषजनक अवस्था को ध्यान में रखते हुए देश में माइनिंग इंजीनियरिंग के डिगरी तथा डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश को स्वीकृत क्षमता के 50 प्रतिशत तक प्रतिबन्धित कर दिया है। उड़ीसा सरकार ने भी 1967-68 में अपने राज्य के पौलिटेकनिक्स और इंजीनियरिंग कालेज में स्वीकृत संख्या का केवल 50 प्रतिशत विभाग भर्ती करने का निर्णय किया है, क्योंकि राज्य में इंजीनियरिंग तथा टेकनिसीयनों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जिसके परिणामस्वरूप प्रवेश के लिए मांग भी घटती जा रही है।

Accident in Lekdih Coal Mine

2335. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three persons were buried alive and several others were injured in the Lekdih coal mine thirty miles from Dhanbad;

(b) if so, the causes of the accident;

(c) the loss of life and property sustained as a result of the accident; and

(d) the amount of compensation paid to the families of the dead and those injured ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra) : (a) and (c) Presumably the reference is to the accident that took place in the Laikdih Deep Colliery on the 16th January, 1967, resulting in the death of four persons. No injuries to any other person or any loss of property has been reported.

(b) While a gang of ten loaders was loading blasted coal in a level gallery, in a depillaring section, where pillars were being extracted in conjunction with hydraulic sand stowing, a mass of roof coal measuring approximately 8·0 metres X 5·5 metres X 1·2 metres came down from a height of 2 metres from concealed slips, fatally injuring four leaders.

(d) The Management have agreed to pay compensation. The amount of compensation deposited by them with the Commissioner for Workmen's Compensation for disbursement to the dependants is not known.

इटली के साथ सांस्कृतिक करार

2336. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली के साथ एक सांस्कृतिक करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर के मुकदमों के लिये उच्च न्यायालय

2337. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री काशी नाथ पाण्डे :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर के मुकदमों के लिये एक पृथक उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव रद्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार के सामने कर के मुकदमों के लिए विशेष उच्च न्यायालय का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गांधी जन्म शताब्दी समारोह

2338. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री पार्थसारथी :
श्री दशरथ राम रेड्डी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968–69 में महात्मा गांधी की जन्म-शताब्दी मनाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 635/67]**

प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

2339. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० के० देव :
श्री गु० च० नायक :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री अ० दीपा :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :
श्री दामानी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन पर विचार कर लिया है;

(घ) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) इस समय निश्चित तिथि बताना तो संभव नहीं है परन्तु आयोग ने शीघ्र से शीघ्र कार्य समाप्त करने का लक्ष्य बनाया हुआ है।

पुकपुई, लुंगलेह में मिज़ो विद्रोहियों से मुठभेड़

2340. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 फरवरी, 1967 को मिजो पहाड़ियों के लुंगलेह सब-डिवीजन में पुकपुई में मिजो विद्रोहियों के एक दल के साथ हुई एक बड़ी मुठभेड़ में सुरक्षा दल के 12 व्यक्ति मारे गये तथा कुछ घायल हो गये;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) 10 फरवरी, 1967 को लगभग 50 सशस्त्र मिज़ो विद्रोहियों ने पुकपुई से लगभग 300 गज पूर्व में हमारे फौजी दस्ते को घेर लिया जिसके कारण सुरक्षा दल के 16 व्यक्ति मारे गये तथा कुछ घायल हो गये। बाद में उस क्षेत्र में कुमुक भेजी गई और कुछ विद्रोहियों को पकड़ लिया गया। विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाही जारी है।

छात्रों को पुस्तकों की नि:शुल्क सप्लाई

2341. **श्री मणीभाई जे० पटेल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतर माध्यमिक तथा प्राथमिक पाठशालाओं के ऐसे विद्यार्थियों को, जो अपने लिये पुस्तकें नहीं खरीद सकते, मुफ्त पुस्तकें देने की एक योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई है। किन्तु 1966 में एकत्रित सूचना के अनुसार गरीब और सुपात्र छात्रों को बहुत से राज्यों में प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों के लिए या तो मदद की जाती है या मुफ्त दी जाती हैं।

होम गार्ड

2342. **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री श्रद्धाकर सुपकार :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमा राज्यों में होम गार्ड का सीमा विंग बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी सीमा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में होम गार्ड प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करना स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां। गुजरात की सरकार ने सूचित किया है कि वे यह विंग नहीं चाहते।

(ख) और (ग) सामान्य योजना के अन्तर्गत 20 सामुदायिक विकास खण्डों के लिए एक केन्द्र के हिसाब से क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र की अनुमति दे दी है। सारे देश में 13 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करनी हैं। इनमें से 10 कार्य कर रहे हैं।

Anti-Cow slaughter demonstration in Delhi in November. 1966

2343. **Shri Kanwar Lal Gupta** :
Shri R. S. Vidyarthi :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any compensation has been paid to the families of the persons killed as a result of Police firing in Delhi in connection with the anti-cow slaughter demonstration on the 7th November, 1966;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have also given any assistance to persons whose scooters and cars were set on fire; and

(d) if so, the amount thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Government have sanctioned so far Rs. 1,83,615.00 as ex gratia financial assistance to the Central Government employees whose vehicles were damaged in the disturbances in Delhi on 7th November, 1966.

चीनी उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

2344. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग सम्बन्धी दूसरे मजूरी बोर्ड ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन दे दिया है, जिसमें अन्तरिम सहायता दी जाने की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसे अपना अन्तिरिम प्रतिवेदन देने में कितना समय लगेगा; और

(ग) मजूरी बोर्ड कब तक अपना अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को दे देगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां, बोर्ड ने दो अन्तरिम सिफारिशें की हैं। इस विषय पर सरकारी प्रस्तावों की प्रतिलिपियां संलग्न की हैं। **[देखिये एल० टी० संख्या 636/67]**

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है कि बोर्ड अपनी अन्तिम सिफारिशें कब प्रस्तुत करेगा।

रसायन तथा उर्वरक उद्योगों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

2345. श्री अनिरुद्धन :
श्री उमानाथ :
श्री अब्राहम :
श्री एसथोस :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी रसायन तथा उर्वरक उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की प्रश्नावली का उत्तर देने की अन्तिम तारीख क्या है ;

(ख) क्या 'इंटक' ने अपना उत्तर दे दिया है और यदि हां तो कब; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'न' है, तो क्या इससे मजूरी बोर्ड के काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) आरम्भ में जो समय की हद 1-11-1966 तक थी उसे 31-12-1966 तक बढ़ा दिया था परन्तु उसके बाद में भी जो उत्तर प्राप्त हुए उन्हें भी स्वीकार कर लिया था।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय रसायन उद्योग कर्मचारी संघ जो कि "इंटक" से सम्बन्ध है का उत्तर 22-4-1967 को प्राप्त हुआ था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Industrial Committee on Coal Mining

2346. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 525 on the 5th April, 1967 regarding the Industrial Committee on Dhanbad Coal Mines and state :

(a) whether necessary action has since been taken on the conclusions of the 10th Session of the Industrial Committee on Coal Mining; and

(b) if not, the further time likely to be taken in that regard ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b) As already stated in reply to Question No. 525 on 5th April, 1967, the conclusions of the 10th Session of the Industrial Committee on Coal Mining have been circulated to all concerned for necessary action. On most of the conclusions action is required to be taken by the employers and steps will be taken to have this expedited. Action is also being expedited on such of the conclusions as pertain to the Government.

चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र के उप-आयुक्त तथा गृह-सचिव

2347. श्री बि० कु० मोदक :
श्री उमानाथ :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :
श्री भगवान दास :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र के उप-आयुक्त और गृह-सचिव श्रम आयुक्त तथा श्रम सचिव भी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में कार्यभार होने के कारण यह आवश्यक नहीं समझा गया कि श्रम-आयुक्त तथा श्रम-सचिव बिल्कुल अलग अधिकारी रखे जायें।

दिल्ली पुलिस का पुनर्गठन

2348. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस बल का पुनर्गठन करने के लिए पुलिस के एक सेवा-निवृत्त आई० जी० को हाल में नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह नियुक्ति सेवा-निवृत्त अधिकारियों को फिर से नौकरी देने के बारे में सरकार के निर्णय के अनुरूप हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) जी नहीं। एक पुलिस अधिकारी जो इस वक्त सेवा कर रहे हैं, को दिल्ली पुलिस विभाग के कार्य को अध्ययन तथा उसके पुनर्गठन के बारे में सिफारिश करने के लिये नियुक्त किया है ;

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

संविधान का प्रवर्तन

2349. श्री यशपाल सिंह: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों तथा केन्द्र के बीच अधिकारों का फिर से अपेक्षित निर्धारण करने के लिए मद्रास के मुख्य मंत्री ने पिछले 17 वर्षों में संविधान के प्रवर्तन पर विचार करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग स्थापित किये जाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने मद्रास के मुख्य मंत्री द्वारा प्रेस क्लब आफ दी इण्डिया में दिये गये उत्तर की समाचार-पत्रों में पढ़ा है जिसमें इस प्रकार का सुझाव दिया है।

(ख) इस प्रकार का आयोग नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु केन्द्र राज्यों के सम्बन्धों के कुछ पहलुओं पर प्रशासनिक सुधार आयोग विचार कर रहा है।

दिल्ली-बीकानेर डाक सेवा

2350. डा० कर्णी सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि दिल्ली से डाक द्वारा भेजा गया पत्र बीकानेर में 48 घंटे के बाद दिया जाता है और इसी प्रकार बीकानेर से डाक द्वारा भेजा गया पत्र दिल्ली में 48 घंटे से भी अधिक समय के बाद मिलता है जबकि इन दोनों स्टेशनों के बीच गाड़ी द्वारा यात्रा में 12 घंटे लगते हैं तथा हर रोज मेल तथा एक्सप्रेस दो गाड़ियां चलती हैं ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : मौजूदा व्यवस्था के अन्तर्गत बीकानेर के लिए दिल्ली में सड़कों पर लगी पत्र-पेटियों में अपराह्न 2 बजे से 4 बजे तक और डाक कार्यालयों में अपराह्न 6 बजे तक डाक में डाले गये पत्र बीकानेर में दूसरे दिन वितरित हो जाने चाहिये। जबकि उक्त समय के बाद डाक में डाले गये पत्र तीसरे दिन वितरित होने चाहिये। इसी प्रकार बीकानेर में सड़कों पर लगी पत्र-पेटियों में अपराह्न 3 बज कर 45 मिनट से 4 बज कर 30 मिनट तक तथा डाक कार्यालयों में अपरान्ह 5 बजे

तक डाक में डाले गये पत्र दिल्ली में अगले दिन वितरित होने चाहिए, जबकि उसके बाद डाक में डाले गये पत्र तीसरे दिन वितरित होने चाहिये। फिर भी ऐसी घटनाओं का पता चला है कि मुख्य रूप से इन्सानी कमियों के कारण दिल्ली और बीकानेर के बीच की डाक में देरी हो गई है। उसे दूर करने की कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली उच्च न्यायालय

2351. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1967 को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कितने मुकदमे अनिर्णीत पड़े थे;

(ख) इनमें से सबसे पुराना मुकदमा किस तारीख को दायर किया गया था; और

(ग) इन मुकदमों का निबटारा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 11372।

(ख) आंकड़ों के अनुसार जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार 1955 में किया गया था।

(ग) यह समस्या सरकार की जानकारी में है। दिल्ली उच्च न्यायालय के संशोधन का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Spying in India for America

2352. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the American Inrernational Youth Centre, the National Council for University Students and the Asian Students Press Bureau are engaged in spying activities in India for America;

(b) whether it is also a fact that one of these organisations has been allotted one plot in Diplomatic Enclave and has been given Rupees 6 lakhs in the form of aid for starting a hotel there and also the said organisation has received Rupees 19 lakhs from the U.S.A. Intelligence Department;

(c) if so, whether Government have conducted any inquiry into the activities of the said organisation;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if, not, reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government have no such information.

(b) A plot of land was allotted in 1962 to the Indian Assembly of Youth for construction of the building of the International Centre in Chanakya Puri area. A request from the organisation for a grant of Rs. 6 lakhs for the said centre is being considered by the Deptt. of Tourism. Government have no information that the organisation has received any funds from the U.S.A., Intelligence Department.

(c) to (e) The Intelligence Bureau is making inquiries into he allegations about use in India of money received from foreign sources and the matter raised in the question is covered by that inquiry.

Secondary Education Grants Commission

2353. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any progress has been made in respect of constituting a Secondary Education Grants Commission;

(b) If so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministery of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) There is on proposal for constituting such a Commission under consideration.

(b) Does not arise.

गो-हत्या विरोधी आन्दोलन

2354. **श्री ना० स्व० शर्मा :**
श्री शारदानन्द :
श्री अटलबिहारी वाजपेयी :
श्री बृजभूषण लाल:
श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गो-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने का आन्दोलन देश में अब भी चल रहा है;

(ख) इस सम्बन्ध में आज तक कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ग) इन आन्दोलनकारियों को जेलों में कौन-सा दर्जा तथा क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) गो-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने का आन्दोलन केवल दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में ही जारी बताया जाता है ।

अब तक मिली सूचना के अनुसार गिरफ्तार हुओं की कुल संख्या 26,148 है । बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, महाराष्ट्र, मैसूर तथा पश्चिमी बंगाल की सरकारों से सूचना प्राप्त होने की अभी प्रतीक्षा की जा रही है तथा उसे सभापटल पर रख दिया जायेगा । आन्दोलनकर्ताओं को इस विषय पर जो नियम हैं उनके अनुसार श्रेणी तथा सुविधायें दी जाती हैं ।

Christian Missionaries

2355. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to conduct a survey regarding the number of Christian missionaries functioning in the country;

(b) if so, the broad outlines of the proposed survey; and

(c) when the survey would be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shuukla) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Educational Institutions in Rural Areas

2356. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minisiter of **Education** be pleased to state :

(a) the reasons why Government prefer to set up the higher educational institutions in urban areas rather than in rural ones;

(b) whether Government are aware that the poor villagers are not in a position to get their children educated in higher level educational instiution because most of them are in urban areas and on the other hand the children of the residents of cities are able to avail of the highest education living in their own house; and

(c) whether Government propose to provide uniform facilities and opportunities to the children of rural areas in this respect ?

The Minister of Education (Dr. **Triguna Sen**) : (a) to (c) Institutions of higher education need, for their catchment areas, a fairly large population which, depending upon the nature of the institution, varies from 15,000 to 100.000. They have, therefore, to be generally located in urban areas. It is true that the location of the bulk of the institutions of higher educations in urban areas and the system of open-door admissions to them, does create inequality of opportunity between urban and rural population. The Education Commission has recommended that this unequal access to higher education between urban and rural areas should be reduced to the minimum by the adoptiion of the following measures:—

(1) Adoption of the principle of selective admissions to institutions of higher education;

(2) Giving preferential consideration to students from rural areas in making selections for admission to institutions of higher education; and

(3) Increasing the number of scholarships to be awarded in institutions of higher edueation awarding a proportion of scholarships to the best students in each group of schools (arranged on socio-economic considerations) with a view to providing an equality of opportunity to rural students.

The recommendations of the Commission are under the consideration of Government.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के प्रशिक्षणार्थियों के लिये रोजगार

2358. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा बड़ी संख्या में प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल रहा है विशेषकर बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनको नौकरियां देने के लिये सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सूचना नीचे दी जाती है–

	तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से 31-1-1957 तक सफल हुए प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	**31-1-1967 तक रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या**
अखिल भारत	2,27,225	38,758
पश्चिमी बंगाल	19,691	5,726
बिहार	21,476	5,530

(ख) यद्यपि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, उद्योग, यातायात, तथा अन्य परियोजनाओं के विकास के कारण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित व्यक्तियों को जो अभी तक बेरोजगार हैं, अधिक रोजगार के अवसर मिलने की आशा है, तो भी सरकार इस प्रश्न पर अलग से विचार कर रही है ।

Recruitment in Education Ministry

2359. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of vacancies notified in his Ministry, its subordinate offices and autonomous bodies under it during the last five years (upto the 31st December, 1966; and

(b) the number of vacancies filled through the Employment Exchanges during this period ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b) The time and labour involved in the collection of the requisite information will not be commensurate with the results to be achieved.

Hindi in Museum Exhibits

2360. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the details containing information about the exhibits kept in the Museums administered by the Central Government are displayed in Hindi also; and

(b) if not, the steps being taken to do so in future ?

The Minister of State for Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) Of the three Museums directly administered by the Ministry, viz., the National Museum, New Delhi, National Gallery of Modern Art, New Dalhi and the Indian War Memorial, Red Fort, Delhi, particulars of exhibits displayed in the National Museum, and the National Gallery of Modern Art, are given in Hindi also. Fifty per cent of the particulars of the exhibits in the Indian War Memorial have been translated into Hindi and the work of translating the descriptions in Hindi of the remaining exhibits is in hand.

Letters Written in Hindi

2361. **Shri Ram Charan** : Will the Minitster of Education be pleased to state :

(a) the total number of letters written in Hindi which were received in his Ministry and its attached and subordinate offices in the first six months of 1966; and

(b) the number of such letters replied in Hindi and English, respectively ?

The Minister of Edncation (Dr. Triguna Sen) : (a) 9711

(b) 5585 and 994 respectively.

Reorganisation and Retrenchment in Minister of Education

2362. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any schemes for reorganisation and retrenchment of surplus employees and officers in his Ministry and or for placing them at the disposal of Ministry of Home Affairs have been formulated;

(b) if so, the main features thereof;

(c) the number of Gazetted aud non-gazetted employees to be affected in the proposed reoganisation ?

The Minister of Education (Dr, Triguna Sen) : (a) to (c) No scheme of reorganisation of the Ministry has yet been formulated. The Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance has, however, examined the staffing requirements of this Ministry and has made its final recommendations regarding the non-gazetted staff, as a result of which 3 Upper Division Clerks have been rendered surplus. The names of the surplus Upper Division Clerks have been communicated to the Ministry of Home Affairs for absorption elsewhere.

उप-आयुक्त (जल) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

2363. **डा० रानेन सेन :**
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली नगर निगम उप-आयुक्त (जल) पर भ्रष्टाचार के लिये मुकदमा चलाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने अपने प्रस्ताव संख्या 104 तारीख 1 जून, 1967 के अनुसार श्री बी० एन० सेठ पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है ।

मनीपुर में अग्निकाण्ड

2364. **श्री स्वेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के उखरूल सब-डिवीजन के सांगशाक ग्राम में 5 अप्रैल, 1967 को एक अग्निकांड में 25 लाख रुपए के मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हो गई और हजारों लोग बेघर हो गए;

(ख) क्या यह क्षेत्र सरकार और विरोधी नागाओं के बीच शान्ति समझौते के अन्तर्गत आता है; और

(ग) क्या सरकार ने आग लगने के कारण का पता लगाया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 5 अप्रैल 1967 को 200 नागा विद्रोहियों ने मनीपुर के उखरूल सब-डिवीजन के सांगशाक ग्राम में आक्रमण कर दिया। उन्होंने कुछ भवनों को जिनमें एक गिरजा, दो मकान, उन क्षेत्रीय स्वयं सेवकों के क्वार्टर जो विद्रोहियों के विरुद्ध हैं तथा 4 धान के गोदामों को भी आग लगा दी। कोई जन-हानि नहीं हुई। गैर-सरकारी सम्पत्ति की हानि का अनुमान लगभग 3,000 रु० है।

(ख) यह क्षेत्र सरकार तथा विद्रोही नागाओं के बीच शान्ति समझौते के अन्तर्गत आता है।

(ग) विद्रोहियों ने पीछे हटते समय मकानों को आग लगा दी थी।

संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत नियम

2365. श्री सेक्वीरा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 46 तथा 50 के अन्तर्गत कोई नियम बनाये गये हैं और/अथवा निदेश जारी किये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त नियमों और/अथवा निदेशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 46 (1) के अन्तर्गत मन्त्रियों को कार्य देने तथा अधिनियम के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र के मंत्रियों द्वारा अधिक सुविधा के कार्य करने के लिये नियम बनाये हैं। धारा 46 (3) के अन्तर्गत प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक ने उन आदेशों तथा लिखित को प्रमाणित करने के लिये नियम बनाये हैं जो उसके नाम पर जारी किये जायें। धारा 50 के अन्तर्गत जिसमें प्रशासक भारत रक्षा अधिनियम 1962 तथा भारत रक्षा नियम 1962 के अन्तर्गत अपने अधिकारों के उपयोग के लिये एक निर्देश जारी किया है।

(ख) मंत्रियों को कार्य बांटने तथा धारा 46 (3) के अन्तर्गत प्रशासक ने जो नियम बनाये थे वे सम्बन्धित संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी राजपत्रों में 1963 में प्रकाशित कर दिये थे। धारा 50 के अन्तर्गत राष्ट्रपति का निर्देश भारत राजपत्र में 5 जुलाई 1963 को प्रकाशित किया था। विभागों आदि में सरकारी कार्य निबटाने के लिये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह प्रक्रिया नियमों में दिया गया है। इन परिस्थितियों में इन पत्रों की प्रतिलिपियों को सभा-पटल पर रखने का प्रस्ताव नहीं है।

श्रम स्थिति

2366. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी राजदूत श्रम स्थिति तथा सरकार की श्रम नीति के बारे में विचार-विमर्श करने के लिये उनसे मिले थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने भारत में पूंजी लगाने वाले अमरीकी लोगों को सन्तुष्ट करने का कोई आश्वासन दिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) (क) तथा (ख) : केन्द्रीय श्रम तथा पुनर्वास मंत्री से अमरीकी राजदूत की बैठक केवल एक शिष्टाचार की बैठक थी ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति

2367. डा रानेन सेन : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए बहुत से विस्थापित व्यक्तियों को दिल्ली में बसाया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो किन शर्तों पर ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जो विस्थापित पूर्वी पाकिस्तान से 1-4-1958 से पहले चले आये थे उनको भूमि देने के लिए एक बस्ती का कालकाजी के पास विकास किया जा रहा है ।

(क) इन प्लाटों का प्रीमियम भूमि अर्जन करने तथा उसे विकास करने पर जितना व्यय आयेगा और जिसका अनुमान 30 रु० प्रति वर्ग गज है लिया जायेगा । इस राशि का 20 प्रतिशत पेशगी दिया जायेगा तथा बकाया रकम चार बराबर की वार्षिक किश्तों में दी जायेगी जिस पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज लगेगा यदि अदायगी ठीक समय पर की गई अन्यथा यह ब्याज $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर लगेगा । यह भूमि 99 वर्ष के पट्टे के आधार पर दी जायेगी जिसमें भूमि का किराया प्रीमियम के 3 प्रतिशत प्रति वर्ष के दर से लगेगा ।

जिन लोगों को भूमि दी जायेगी उन्हें प्लाटों का कब्जा लेने के बाद दो वर्ष के अन्दर-अन्दर मकान बनाने होंगे ।

प्लाटों को लेने के पात्र होने की शर्तें इस प्रकार हैं :–

(i) प्रार्थना-पत्र देने की तारीख को प्रार्थी 21 वर्ष से ऊपर की आयु का होना चाहिये ;

(ii) प्रार्थना-पत्र देने वाला अथवा उसकी पत्नी/पति अथवा परिवार के किसी आश्रित, के पास जिनमें बिना विवाहित लड़कियां भी शामिल हैं, कोई अपना मकान अथवा रिहायशी प्लाट भारत में नहीं होना चाहिये ।

(iii) प्रार्थी संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में किसी सेवा/पेशे में लाभप्रद रोजगार पर हो अथवा लाभप्रद रोजगार पर हो तथा 31 मार्च 1958 से पहले से लगातार रह रहा हो।

इस शर्त में थोड़ी सी छूट दी गई है तथा प्रार्थी दिल्ली में कम से कम बिभाजन के बाद से वर्ष से दिल्ली में रह रहा हो सिवाय सुरक्षा सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए जिनके बारे में रिहायश की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है।

(iv) प्रार्थी वास्तव में पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ विस्थापित होना चाहिये।

(v) निम्न व्यक्ति भी पात्र हैं बशर्ते कि वे पाकिस्तान में अपने मकान छोड़ आये हों तथा भारत के किसी भाग में मकान नहीं लिया हो :—

उन सरकारी कर्मचारियों के परिवार जिन्होंने यहां आने के लिए सहमती दी तथा जो इस परिभाषा में स्वयं भी विस्थापित हैं।

वे परिवार जिनके मुखिया सरकारी सेवा में अथवा कहीं और लाभप्रद रोजगार पर विभाजन से पूर्व वहां थे जिसे अब "भारत' कहते हैं तथा स्वयं इस परिभाषा के अन्तर्गत विस्थापित नहीं हों परन्तु उनके परिवार के अन्य व्यक्ति विशेष तिथियों से पूर्व भारत में चले आये हो।

कमालपुर, मैसूर में संग्रहालय

2368. श्री अगाड़ी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के बेल्लारी जिले में हुम्पी के निकट कमालपुर में विजयनगर काल का एक संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो कब और इस पर कितना खर्च आने का अनुमान है; और

(ग) क्या इस कार्य के लिए कोई भूमि अर्जित की गई है और उस पर कब्जा कर लिया गया है और यदि हां, तो इस संग्रहालय का अब तक कितना निर्माण हो चुका है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) 1967; 4,52,382 रुपये।

(ग) जी हां। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा, जो इस निर्माण के लिए जिम्मेदार है, शीघ्र ही निर्माण कार्य के लिए तकनीकी मंजूरी दिये जाने और उसके बाद टेण्डर आमंत्रित किये जाने की आशा है।

Entry into a Rajasthan Viliage by Dacoits

2369. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that dacoits who have got shelter in vest Pakistan ontered the village Awai, District Jaisalmer (Rajasthan) on the 12th December, 1966, chopped off

nose, ears, tongue and hands of three Moghwal Harijans and escaped with their jewellery and cattle ;

(b) whether it is also a fact that about two months before this incident ears, nose, tongue and hand of the son of Shri Narsingh Ram Vishoni, resident of the village Kanasar, District Jaisalmer, were also chopped off ; and

(c) if so, the details of protection given by the Central and the State Governmenj to these people ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) No such incident took place on the 12th December, 1966. However, an almost identical incident took place on the 12th December, 1964, when two dacoits entered Awan (not Awai) village, District Jaisalmer. One of the dacoits has been arrested and is under trial in the Sessions Court, Jodhpur. The other one is absconding and is believed to be in Pakistan.

(d) No, Sir,

(c) Adequate arrangements oxist to deal with such incidents.

Plundering by Pakistanis into Rajasthan

2370. Shri P. L. Barupal : Will ths Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total loss of life and property sustained as a result of plndering by Pakistanis during the last year in border villages of Barmer (Rajasthan) ;

(b) the security measure taken to this border District ; and

(c) whether any compensation has been demanded from the Governmeut of Pakistan ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) (a) Three policemen and one civilian lost their lives, and property worth Rs. 76, 685 was lost as a result of robberies, dacoities and thefts committed by Pakistanis during 1966 in the border village of Barmer (Rajasthan).

(b) Intensive patrolling has been enforced throughout the border area to prevent Pakistanis from committing sueh depredations,

(c) No compensation has been demanded from the Pakistan Government. Such cases are settled between the two sides at the Sector Commanders' level, under the Ground Rules. Of the 40 camels and 230 heads of cattle lifted by Pakistanis in the Barmer District during 1966, return of 27 camel and 161 heads of cattle was secured.

Pak. Muslims' entry into Rajasthan

2371. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is fact that the Muslims of Pir Pagara situated in Pakistan entered the territory of Rajasthan in the last week of September, 1965 and abducted women and carried away cettle belonging to some Harijans of Nithdon village to Pakistan after beating them ;

(b) whether it is also a fact that they also took away 8 camels and 2 men from the border village Tanot in Jaisalmer ; and

(c) if so, the action taken by Government so far in this connection ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c) On 21-9-1965 and 23-9-65 Pak military personnel and Pak Rangers entered Barmer and Jaisalmer dis-

trict and committed outrages like murders (2 persons were shot dead], burning and looting of property, lifting of cattle and kidnappinng of Indian Nationals. Most of the lifted cattle and all the kidnapped persons later returned to India. A protest was lodged with the Pak authorities. The State Government have not linked these incidents. with the followers of Pir Pagara.

शिक्षा संस्थाओं तथा औद्योगिक व्यापार संस्थानों के बीच समन्वय

2372. श्री दामानी : क्या **शिक्षा** मंत्रीं यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा संस्थाओं तथा औद्योगिक व्यापार संस्थानों के बीच कोई समन्वय स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है तथा किस अभिकरण के द्वारा समन्वय हो रहा हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) (एक) उद्योगों का सहयोग अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा उसकी उन विशेष समितियों के साथ सक्रिय रूप से लिया जाता है जो देश में तकनीकी शिक्षा के विकास से संबंधित सभी मामलों अर्थात इंजीनियरी और टेक्नोलोजी की विभिन्न शाखाओं में आदर्श पाठ्यक्रम तैयार करने, शिक्षा और प्रशिक्षण के नए केन्द्र खोलने तथा विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान केन्द्रों का विस्तार करने, विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए आवश्यकताओं के निर्धारण आदि के बारे में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सलाह देती है ।

(दो) डिप्लोमा स्तर पर सेन्डविच पाठ्यक्रम चलाने के लिए उद्योग व्यावहारिक प्रक्षिशण की सुविधाएं दे रहे हैं तथा स्नातकों और डिप्लोमाधारियों को संस्थानोत्तर प्रशिक्षण सुविधाएं दे रहे हैं ।

पंजाब की सम्पत्ति का विभाजन

2373. श्री हेमराज : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुनर्गठन से पहले पंजाब की सम्पत्ति की कोई सूची तैयार की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) इस सम्पत्ति का पंजाब, हरियाणां, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के चार एककों को किन सिद्धान्तों पर नियतन किया गया हैं ;

(घ) दिल्ली में क्या और कितनी सम्पत्ति थी ; और

(ङ) हिमाचल प्रदेश को क्या और कितनी सम्पत्ति दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ङ) पुनर्गठन से पहले के पंजाब की सम्पत्ति में भूमि, भवन, गोदाम, मशीनरी, मोटर गाड़िया तथा बहुत से अन्य सामान

शामिल हैं। इन सम्पतियों को उत्तरदायी राज्यों में बांटने के उपबन्ध पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 48 में दिये हुए हैं। केन्द्रीय सरकार ने इन सम्पत्तियों की कोई सूचि नहीं बनाई चाहे वह पुनर्गठन से पहले राज्य सरकार के अन्दर अथवा बाहर हो (जिसमें दिल्ली भी शामिल है।) जो सम्पति हिमाचल प्रदेश को मिली है उसका ब्यौरा देना संभव नहीं है क्योंकि उसे एकत्रित करने में बहुत समय तथा श्रम लगेगा।

बेरोजगार स्नातक

2374. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है बेरोजगार स्नातकों की संख्या बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इन स्नातकों के लिये उपयुक्त रोजगार की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) (क) इस बारे में ठीक ठीक जानकारी प्राप्त नहीं है, मार्च 1966 से दिसम्बर, 1966 तक रोजगार कार्यालयों में रोजगार सहायता पाने वाले स्नातकों तथा उससे अधिक पढ़े हुए व्यक्तियों की संख्या 44,024 से बढ़ कर 93,581 हो गई।

(ख) पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्नातक तथा उससे अधिक पढ़े हुए लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में बढ़ने की आशा है। रोजगार कार्यालयों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 1961 से दिसम्बर 1966 तक 1,32,733 स्नातकों और उससे अधिक पढ़े लोगों को रोजगार दिलाया गया।

उड़ीसा में टेलीफोनों का लगाना

2375 **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री ख० प्रधानी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1967 को उड़ीसा के विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों में प्रत्येक एक्सचेंज में अलग अलग टेलीफोन लगाने के बारे में कितने आवेदनपत्र अनिर्णीत पड़े थे ; और

(ख) इन आवेदनपत्रों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सभा-पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 644/67**

(ख) साधन उपलब्ध होने पर ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन देने के लिए नये एक्सचेंज खोलने, मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करने तथा जमीन के नीचे केबल बिछाने के डाक-तार विभाग द्वारा लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं।

उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंज

2376. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री ख० प्रधानी :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1967 को उड़ीसा में कितने टेलीफोन एक्सचेज थे ;

(ख) क्या 1967–68 में उनकी संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 58

(ख) जी हां ।

(ग) निम्न पांच स्थानों पर एक्सचेंज खोले जाने की संभावना है :

1. अट्टाबीरा
2. बरपाली
3. वासुदेवपुर
4. जौदा
5. राज खरियार

उड़ीसा में डाकघर

2377 **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967–68 में उड़ीसा में कुछ उप-डाकघरों को प्रधान डाकघर तथा शाखा डाकघरों को उप-डाकघर बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल) (क) तथा (ख) –निम्न प्रस्ताव विचाराधीन है –

(i) जिला कटक के जगतसिंहपुर उप डाकघर का दर्जा बढ़ाकर प्रधान डाकघर बनाना

(ii) निम्नलिखित 20 शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें उप-डाकघर बनाना–

शाखा डाकघर का नाम	जिला
1. बाली खंड	बालासोर
2. बंगा मुंडा	बालनगीर
3. नालीवार	कटक
4. भापुर	धेनकनाल
5. नारायनपुर	गंजम
6. मुज्जागदा	गंजम
7. लंजीगढ़	कालाहांडी
8. चन्दीली	कोरापुट
9. कृष्णचन्द्रपुर	मयूरभंज
10. विसोई	मयूरभंज
11. फ्रिगिया	फुलबानी
12. वेरवांई	पुरी
13. पिचकुली	पुरी
14. गोपालपुर	पुरी
15. डूगरीपल्ली	सम्बलपुर
16. लांईकेरा	सम्बलपुर
17. रैमेद	सम्बलपुर
18. लथीकाटा	सुन्दरगढ़
19. गुरुण्डिया	सुन्दरगढ़
20. सहरपैडा	कियोन्झार

उड़ीसा में अधिसूचित रिक्त स्थान

2378 श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री हीरजी भाई :
श्री घुलेश्वर :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल 1967 तक उड़ीसा में सरकारी, गैर-सरकारी क्षेत्र संस्थानों में कितने रिक्त स्थान अधिसूचित किये गये ; और

(ख) अप्रैल, 1967 के अन्त तक विभिन्न रोजगार कार्यालयों के जरिये इन संस्थानों में कितने रिक्त स्थान भरे गये ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में मंत्री (श्री ल० न० मिश्र) (क) और (ख) सूचना नीचे दी गई है ।

क्षेत्र	जनवरी–अप्रैल 1967 तक रिक्त स्थानों की अधिसूचित संख्या	जनवरी-अप्रैल 1967 तक पूरित स्थानों की संख्या
सरकारी	7,275	5,215
गैर-सरकारी	1,437	714
जोड़	8,712	5,929

मैसूर, महाराष्ट्र और केरल के बीच सीमा विवाद

श्री बाबूराव पटेल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर, महाराष्ट्र और केरल के बीच सीमा विवाद के बारे में बनाये गये महाजन आयोग ने अब तक कितने साक्षियों की गवाहियां ली हैं ;

(ख) आयोग पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है ।

(ग) क्या केरल की वर्तमान सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि उसे इस आयोग के निष्कर्ष मान्य होंगे ;

(घ) यदि हां, तो यह आश्वासन किस प्रकार का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) श्रीमान 7572 ।

(ख) 31 मई, 1967 तक लगभग 80,000/– रु०

(ग) केरल सरकार ने इस प्रकार का आश्वासन न ही तो मांगा था और न ही दिया गया।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

बर्मा और लंका से भारत वापस आने वाले भारतीय

2380. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 तक बर्मा तथा लंका से कितने भारतीय भारत वापस आये;

(ख) इन वापस लौटने वाले भारतीयों में से कितने भारतीयों को बसाया गया है तथा किस प्रकार ;

(ग) कितने परिवारों को अभी बसाया जाना शेष है ; और

(घ) उसका पुनर्वास न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ला० न० मिश्र) :(क) से (घ) बर्मा से वापस आने वाले

जो समाचार मिले हैं उनके अनुसार 31 मार्च 1967 तक बर्मा से 1,55,208 (लगभग 45,000 परिवार) लौटे हैं। पुनर्वास के लिए जो अब तक सहायता दी हैं वह इस प्रकार है :-

		व्यक्ति
(1)	व्यापार ऋण जो स्वीकार किये हैं।	38,332
(2)	व्यापार ऋण जिसे पूरी तरह अथवा अंश में बांटा है।	32,908
(3)	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों राज्य सरकार के कार्यालयों सहकारी उपक्रमों तथा अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं में रोजगार	9,329
(4)	कृषि की भूमि की बांट	406
(5)	व्यापार के लिए तथा मकानों के लिए स्थानों का बांटना।	1,348
(6)	उचित मूल्य की दुकान तथा अन्य लाईसेंस आदि का बांटना।	86
(7)	वृद्ध आयु की पेनशन।	150
(8)	पुनर्वास अनुदान	71
(9)	शिक्षा सम्बन्धी रियायतें	968

बर्मा से आये लगभग 859 परिवार जो विभिन्न राज्यों में इस समय कैम्प में रह रहे है वे पुनर्वास सहायता की आवश्यकता में हैं। जो परिवार कैम्पों में नहीं रह रहे हैं उनकी संख्या तथा आर्थिक स्थित का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

आवश्यकताओं का अनुमान लगाना तथा राज्यों में वापस आने वालों के लिए पुनर्वास की योजना बनाने का कार्य राज्य सरकारों का है। इस दिशा में भूमि सुधार तथा उद्योग प्रारंभ करने का कार्य किया जा रहा है। इस दिशा में राज्य सरकारों को याद दिलाया जाता है।

(ii) लंका से वापस आये लोग

भारत-लंका करार 1964 के अन्तर्गत भारतीय नागरिकों का यहां वापस आना अभी शुरू नहीं हुआ। फिर भी कुछ भारतीयों ने अपना वापस आने का प्रबन्ध स्वयं कर लिया हैं और वापस आ भी गये हैं। ऐसा अनुमान है कि यह परिवार अपने पुनर्वासन का प्रबंध स्वयं कर रहे हैं।

जबलपुर में छापे

2381. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबलपुर जिले में लोक निर्माण कार्य विभाग के कुछ अधिकारियों के निवासस्थान से, जहां सतर्कता आयोग के अधिकारियों ने हाल में अचानक छापे मारे थे, नकदी, जवाहरात जिसमें 50,000 रुपये के मूल्य का हीरे का हार और कई लाख रुपये के मूल्य का सोना तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं शामिल हैं, बरामद की गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) यह पता चला है कि राज्य सतर्कता आयोग, भोपाल ने लोक निर्माण कार्य विभाग के कुछ अधिकारियों तथा मध्य प्रदेश सरकार के अन्य अधिकारियों के विरुद्ध बहुत से मुकदमे दर्ज किये हैं। यह मामला राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

Rehabilitation Expenditure in Hastinapur

2382. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :-

(a) the total expenditure incurred so far since Independence for the rehabilitation of displaced persons from East Pakistan at Hastinapur, District Meerut, U. P. and the number of people rehabilitated;

(b) whether it is a fact that the scheme drawn up for developing the above town has not been fully implemented so far;

(c) whether it is also a fact that pre-fabricated iron bridges taken from the Defence Department which were installed over different streams for the development of Hastinapur Ganga "Khadar" area gave way that very year, because the foundations for any of the said bridges were not laid and they were just erected on the water and are still lying there; and

(d) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra) : (a) Displaced persons from East Pakistan have been moved to Hastinapur only since February 1964. A statement of schemes sanctioned for their rehabilitation at Hastinapur and the number of families covered by such schemes is laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library, See. No. L. T. 637/67] The schemes are being implemented by the Uttar Pradesh Government and the Rehabilitation Industries Corporation. Information about the actual expenditure incurred and the number of displaced persons, if any, rehabilitated so far, is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) The work of construction of the Township and development of civic amenities taken up earlier in connection with rehabilitation of displaced persons from West Pakistan has already been completed. In so far as industrial and training schemes are concerned, the Industrial Training Institute has already started functioning. The Spinning Mill is nearing completion and is expected to go into production towards the end of 1967. Steps are being taken to expedite implementation of the other schemes mentioned in the statement laid on the Table of the House in reply to part (a).

(c) and (d) Information is being collected from the Uttar Pradesh Government and will be laid on the Table of the Sabha.

उड़ीसा की प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापक

2383. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा में प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के लिये त्रिलाभ योजना लागू कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा तार से भेजी गई सूचना के अनुसार एक अपर प्राइमरी उत्तीर्ण अशिक्षित प्राइमरी स्कूल अध्यापक का कम से कम मासिक वेतन 50 रुपये धन 37 रुपये महंगाई भत्ता है। इसमें आगे सुधार करना एक वेतन आयोग के विचाराधीन है।

(ग) 1 अप्रैल, 1964 से अमल में लाई जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Training in Hindi

2384. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the progress made in regard to imparting training in Hindi to the employees of the Central Government;

(b) whether the number of trainees have been increased;

(c) the number of employees who have completed Hindi training since its inception and the number of those who have not been able to learn Hindi so far; and

(d) whether Hindi classes are not held now for those who could not learn Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) The enrolment of employees for training in Hindi which was 16,000 in 1959 has increased to over 37,000 in 1966-67.

(c) More than 1.84 lakh employees have passed the prescribed Hindi examinations so far. The number of employees who have yet to pass these examinations has been estimated at about 3.50 lakhs.

(d) Hindi classes are being held as hitherto.

Progress of Hindi

2385. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :-

(a) the progress made so far in the use of Hindi in his Ministry;

(b) when the work regarding the switch-ov er to Hindi would be completed in his; Ministry,

(c) whether any beneffi is provided to the Hindi knowing employees; and

(d) if so, the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Progress made in the actual use of Hindi for various official purposes of the Union in the Ministry of Home Affairs is shown below :

1. Letters received in Hindi are usually replied in Hindi.
2. Government resolutions are issued both in Hindi and English.
3. Administrative reports and reports to Parliament are published in Hindi also.
4. Out of 112 departmental forms, 104 have been printed in the bilingual form.
5. About 78% of the staff working in the various Sections in this Ministry have a working knowledge of Hindi or have been trained in Hindi

(6) Noting in Hindi has been introduced in six selected sections in this Ministry so far.

(b) The Official Languages Act, 1963, provides for the use of both Hindi and the English language for various official purposes of the Union without any time limit. Therefore, the question of introducing the exclusive use of Hindi for the Union official purposes does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Delhi Students In Haryana and U. P.

2386. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the amount of special grants given by the Central Government to the States of U. P. and Haryana during the last three years for meeting the expenditure incurred by them in connection with the education of those students of Delhi who daily go to these States; and

(b) the total number of such students ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) The Central Government does not give any grant for this purpose.

(b) No assessment of the number of such students has been made.

फरीदाबाद गॉफ क्लब के लिये भूमि का नियतन

2387. **श्री मृत्युञ्जय प्रसाद :**
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री य० द० शर्मा :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि का एक टुकड़ा जिसे फरीदाबाद टाउनशिप के निवासियों के लिये पार्क बनाने अथवा वहां पर मनोरंजन की अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये रखा गया था, सितम्बर 1961 में एक गॉफ क्लब को दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसका नियतन किन शर्तों पर किया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इनमें से एक शर्त यह थी कि वह क्लब अपने खर्च पर बच्चों के लिये एक पार्क बनायेगा और उसकी देख-भाल करेगा ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस क्लब ने उन शर्तों को, जिन्हें उसने मंजूर किया था, इस बीच पूरा किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस भूमि को उस क्लब से अपने कब्जे में लेने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां। फरीदाबाद टाउनशिप के "सैन्ट्रल ग्रीन" के 305 एकड़ भूमि के क्षेत्र में से 127·98 एकड़ भूमि कंटरी गॉफ क्लब लिमिटेड फरीदाबाद को पट्टे पर दे दी थी।

(ख) पट्टे के निबन्धन तथा शर्तें विवरण में दी हुई हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 638/67]**

(ग) जी हां।

(घ) क्लब ने बच्चों के पार्क के विकास की शर्त को छोड़कर बाकी सब शर्तें पूरी कर दी हैं।

(ङ) मामला विचाराधीन है।

भैंसगांव में आरा (सा) मिल

2388. श्री मृत्युञ्जय प्रसाद : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके विभाग द्वारा मई, 1961 में एक आरा मिल अर्जित की गई थी और अप्रैल, 1962 में भैंसगांव में लगाई गई थी तथा बाद में उसको दो अलग अलग स्थानों में ले जाया गया था ;

(ख) आरा मिल की लागत कितनी थी और इसकी स्थापना पर शुरू में कितना धन व्यय हुआ था तथा इसको अन्य स्थान पर ले जाने में कितना धन व्यय हुआ ;

(ग) क्या यह सच है कि इसके बाद मिल बेकार पड़ी रही ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस कारण सरकार को कितनी हानि हुई; और

(ङ) भविष्य में इस आरा मिल को किस प्रकार इस्तेमाल में लाने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ङ) इस प्रश्न का विषय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1967 के एक लेखापरीक्षा

पेरा में आ जाता है। कुछ आवश्यक तथा विस्तार से सूचना इडाकरण परियोजना प्रशासन से एकत्रित की जा रही है। पूरे तथ्य लोक लेखा समिति के सामने रख दिये जायेंगे जब समिति पुनर्वास विभाग के प्रतिनिधियों की गवाही लेगी।

जनगणना

2389. **श्री कार्तिक ओराओं :** क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1951 की और 1961 की जनगणना के अनुसार (1) हिन्दुओं, (2) मुसलमानों, (3) सिखों और (4) ईसाइयों की कुल जनसंख्या कितनी थी और इस समय कितनी कितनी है ;

(ख) उपरोक्त तारीखों को अनुसूचित जातियों के लोगों की (उनमें से ईसाई और इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेने वाले लोगों को छोड़कर), कुल जनसंख्या कितनी थी ;

(ग) अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की (उनमें से ईसाई और इस्लाम अथवा सिख धर्म ग्रहण कर लेने वाले लोगों को छोड़कर), कुल जनसंख्या कितनी था; और

(घ) अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों की (मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के अतिरिक्त) कुल जनसंख्या कितनी थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 639/67]**

द्वीपों में कर्मचारी

2390 **श्री प० मु० सैयद :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्कदीव, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीप समूहों में नियुक्त मुख्य देश (मेन लैंड) के अधिकारियों को कितना विशेष वेतन, मकान किराया तथा अन्य भत्ते दिये जाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन द्वीप समूहों के उन अधिकारियों को जो प्रशासन शाखाओं में काम करते हैं, तथा जो इन द्वीपों के निवासी हैं कोई विशेष वेतन, मकान किराया अथवा रहने के लिये सरकारी क्वार्टर नहीं दिये जाते ; और

(ग) यदि हां, तो इन द्वीप समूहों के लोगों के साथ ऐसा भेद-भावपूर्ण बर्ताव करने के क्या कारण हैं और उसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क)

क्रमांक संख्या	विशेष वेतन। भत्ते की किस्म	दर
1.	द्वीप विशेष वेतन	मूल वेतन का 40% परन्तु 350 रु० प्रतिमास अधिकतम के अधीन रहते हुए।

2.	मुफ्त उपस्कर रहित रिहायशी मकान के बदले मकान किराया भत्ता।	**वेतन श्रेणी**	**दर**
		75 रु० से कम	7-50
		75 रु० तथा उससे ऊपर परन्तु 100 रु० से कम।	10-00
		100 रु० तथा उससे ऊपर परन्तु 200 रु० से कम	15-00
		200 रु० तथा उससे ऊपर	मूल वेतन का 7½%
3.	महंगाई भत्ता	क्षेत्र से भर्ती किये कर्मचारियों को जिस प्रकार लागू होता है।	

(ख) तथा (ग) इन रियायतों का उद्देश्य यह है कि मुख्य भाग (मेन लैंड) से ठीक, योग्य तथा अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को दूर इन द्वीपों में सेवा के लिये आकर्षित किया जा सके। एक विशेष प्रतिकर भत्ता जो कि मूल वेतन के 10% दर के हिसाब से होगा परन्तु 10 रु० प्रतिमास के अधीन होना चाहिए वह प्रशासन के सब स्थानीय भर्ती किये प्रशासन के कर्मचारियों के लिए स्वीकार कर दिया है। यह उस अवधि के लिए मिलेगा जब कोई अपने स्थानीय द्वीपों से दूर के द्वीपों में कार्य करेंगे।

पुलिस के लिये शारीरिक प्रशिक्षण करने के लिये जूते (फिजिकल ट्रेनिंग शूज)

2391. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्डमान और निकोबार पुलिस बल को पिछले एक वर्ष से अधिक अवधि से भूतपूर्व पुलिस सुपरिन्टेंडेंट तथा रिजर्व इंस्पैक्टर के समय में शारीरिक प्रशिक्षण करने के लिये जूते नहीं दिये गये हैं किन्तु हिसाब में दिये गये दिखाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने और इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस प्रकार की कोई अनियमितता हमारे सामने नहीं आई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सागर में पकड़ी गई चीन की शिकार-चोर (पोचर) नावें

2392. **श्री गणेश :** क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1958 से लेकर अब तक अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सागर में चीन की कितनी शिकार-चोर (पोचर) नावें पकड़ी गई हैं;

(ख) पकड़ी गई नावों में से कितनी नावें बाद में छोड़ दी गईं और कितनी नावें जब्त कर ली गईं;

(ग) जब्त की गई कितनी नावों में शीतन-यंत्र (रेफ्रीजरेटर) थे और इन शीतन-यंत्रों का निपटान किस प्रकार किया गया;

(घ) नावांगन (डॉकयार्ड) में ऐसी कितनी नावें पड़ी हैं जिनको कोई काम में नहीं लाया जा रहा; और

(ङ) इस प्रकार जब्त की गई नावों को काम में न लाने के क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस प्रकार की तीन नावें पकड़ ली हैं।

(ख) इन तीन नावों में एक छोड़ दी गई, एक जब्त कर ली गई तथा एक के मामले पर जो अभी हाल ही में पकड़ी गई थी जांच हो रही है।

(ग) जब्त की गई नाव में कोई शीतन-यंत्र (रैफ्रीजरेटर) नहीं था।

(घ) तथा (ङ) जब्त की गई नाव को सार्वजनिक नीलाम में निबटा दिया गया क्योंकि नाव की स्थिति ऐसी थी कि उसकी मरम्मत पर आवश्यकता से अधिक व्यय आता तथा इसमें जो पुर्जे लगाये जाते वे भारत में नहीं मिलते हैं।

स्मारकों की देख-भाल पर व्यय

2393. **श्री अगाड़ी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950 से लेकर आज तक वर्ष-वार तथा राज्य-वार देश में रक्षित स्मारकों के संरक्षण तथा देखभाल पर भिन्न-भिन्न मदों के अन्तर्गत, जिनमें स्थायी चौकीदारों के वेतन शामिल हैं, खर्च की गई राशियों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में कितने स्मारक हैं; और

(ख) इस काम के लिये कितने चौकीदार नियुक्त किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) : यह सूचना निम्नलिखित कारणों से एकत्र करना बहुत कठिन है :—

(1) सूचना छाँटने के लिए 17 वर्षों की लेखाओं का विस्तारपूर्वक अध्ययन करना पड़ेगा;

2. सर्वेक्षण संगठन को मंडलों में बांटा गया है जो राज्यों के क्षेत्रों के अनुरूप नहीं है और इसलिए खर्च के आंकड़े मंडल-वार उपलब्ध हैं और उनको राज्य-वार अलग करना सम्भव नहीं है;

(3) पिछले 17 वर्षों में एकाधिक पुनर्गठन होने के कारण राज्यों की सीमाओं में अनेक परिवर्तन हुए हैं;

(4) पुनर्विलोकनों के कारण और संरक्षण हटाने तथा संरक्षित सूची में नये स्मारकों को शामिल करने के कारण स्मारकों की संख्या बदलती रही है।

अपेक्षित आंकड़े इकट्ठे करने में जो समय और मेहनत लगेगी वह प्राप्त होने वाले नतीजों की सममात्रिक न होगी। फिर भी, देश भर में विभिन्न संरक्षित स्मारकों में नियुक्त स्मारक-परिचरों की संख्या इस समय 789 है।

'घेराओं' का कानूनी पहलू

2394. श्री काशीनाथ पांडे : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'घेराओं' के कानूनी पहलू की व्याख्या कर सकी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में प्राप्त किया गया कानूनी मत क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह को अनुचित रूप से घेरे रखना ही 'घेराव' माना गया है। निश्चय रूप से यह शान्ति और व्यवस्था पर प्रभाव डालता है। इसके लिये राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। इसकी कानूनी व्याख्या प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर की जायेगी।

Repairs of Churches in Goa

2395. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the amount given by the Central Government for carrying out repairs to the churches in Goa during the period from its liberation upto the 31st March, 1967 ;

(b) whether Government have given similar assistance for carrying out repairs to religious places of other religions ; and

(c) if so, the amount thereof ?

The Minister of State in the Ministry of home Affairs (Shri Vidya Charnan Shukla) : (a) and (b) The Central Government have not directly spent any amount for the repairs of Churches or any other religious institutions in Goa, Daman and Diu, but the local Government has spent some amount on the repairs of Churches and Temples.

(c)	Churches :	Rs. 69,033.67
	Temples :	Rs. 15,226.11

Chinese Detained in Delhi Jail

2396. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of Home Minister be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain Chinese detained in Jail in Delhi under the Foreigners Registration Act, have applied for their release from detention on various grounds ;

(b) if so, the number of such persons, the respective dates on which they submitted their applications and the action taken by Government on each application ; and

(c) the grounds offered by the applicants for their release from detention and the basis on which those applications were granted or rejected by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) Two Chinese nationals detained in Delhi under the Foreigners Act, 1946 (not under the Foreigners Registration Act) made such representations.

One of them applied for release on parole on 12-10-1966 and again on 19-11-1966 for treatment for Diabetes. He was released on parole for three months on 6th February, 1967. He again applied on 21-3-1967 for permanent release on grounds of good conduct. Since his continued detention was not considered necessary, he was released on a permanent basis.

The other detenue applied for release on 23-12-1966 to enable him to raise adequate funds for meeting the expenses of his and his family's journey to China. His request for release was not agreed to on security grounds. He has, however, been informed that if his family or any body else could make necessary arrangements, for his return to China, Government would have no objection to his leaving the country.

राजधानी में सरकारी कर्मचारियों के निवास स्थानों पर लगे टेलीफोनों पर खर्च

2397. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1964-65 और 1965-66 में दिल्ली तथा नई दिल्ली में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के घरों पर लगे हुए टेलीफोनों के बिलों के चुकाने पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के घरों पर लगे टेलीफोनों के सम्बन्ध में अलग से कोई हिसाब नहीं रखा जाता । अतः सूचना उपलब्ध नहीं है ।

दत्ता की सेन्ट्रल काजोर कोयला खान

2398. **श्री प्रदिचन :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक श्रम आयुक्त (सेन्ट्रल) रानीगंज ने 16 मार्च, 1967 के समझौते के अनुसार दत्ता की सैण्ट्रल काजोर कोयला खान के मजदूरों को देय बकाया राशि के भुगतान के बारे में एक पंचाट दिया है;

(ख) क्या प्रबन्धकों ने इस पंचाट को कार्यान्वित किया है: और

(ग) यदि नहीं, तो पंचाट को शीघ्र कार्यान्वित कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां। 15 मार्च 1967 के समझौते के अनुसार पंचाट दिया गया है, और 16 मार्च, 1967 के अनुसार नहीं।

(ख) जी, हां। वर्तमान स्थिति में यह जहां तक कार्यान्वित किया जाना चाहिये था, कार्यान्वित कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भ्रष्टाचार आदि के अनिर्णीत मामले

2399. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प्र० के० देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के 6000 मामले अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों के निपटारे के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 17 अगस्त 1966 को केन्द्रीय कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के 6316 मामले अनिर्णीत थे। उनमें से 622 मामले राजपत्रित अधिकारियों और शेष अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध हैं।

(ख) विलम्ब के मुख्य कारण ये हैं पार्टियों द्वारा देर कराने वाले उपायों को अपनाना, गवाहों को उपस्थित होने के लिये बाध्य करने सम्बन्धी शक्ति का अभाव और कुछ मामलों की जटिलता, जिसमें संयुक्त कार्यवाही नियमों-प्रक्रियाओं की व्याख्या और/या अन्तर्विभागीय परामर्श किया जाना आवश्यक होता है।

(ग) मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये विभागों के अध्यक्षों, मुख्य सतर्क अधिकारियों से बार बार कहा जाता है।

आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच सीमा विवाद

2400. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प्र० के० देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा की सरकार ने आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के बीच सीमा विवाद के बारे में जांच करने के लिये एक सीमा आयोग की नियुक्ति की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो आयोग कब नियुक्त किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

घूसिक कोयला खान

2401. डा० रानेन सेन :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल में घूसिक कोयला खान के कर्मचारियों ने प्रबन्धकों द्वारा उनकी मांगे स्वीकार करने से इन्कार कर दिये जाने के विरोध में 27 अप्रैल, 1967 से 'काम न करो' (सिट-इन-स्ट्राइक) हड़ताल कर रखी है; और

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) 3 जून, 1967 को विवाद न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया था। बाद में दोनों पार्टियां पंच निर्णय के लिये राजी हो गयी और यूनियन ने हड़ताल वापिस ले ली ।

वाणिज्य का राष्ट्रीय डिप्लोमा

2402. श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में कुछ कालेजों को दिये गये आश्वासनों के विपरीत अप्रैल, 1967 में वाणिज्य के राष्ट्रीय डिप्लोमा की परीक्षा लेने के अपने निर्णय को बदल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क और (ख) जी नहीं। सरकार ने केरल की किसी संस्था को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। तथापि, उम्मीदवारों की मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने एक विशेष मामले के रूप में निश्चय किया है कि राष्ट्रीय वाणिज्य डिप्लोमा परीक्षा 1967 में भी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाए ।

National Safety Council

2403. **Shri Sarjoo Pandey :**
Shri Ishaq Sambhali :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 155 on the 23rd February, 1966 regarding the Industrial Safety Conference and state :

(a) whether a decision has since been taken to set up a National Safety Council of India ; and

(b) if so, the names of the members of the said Council ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra) : (a) The National Safety Council was registered as a Society under the Societies Registration Act, 1860 on 4th March, 1966.

(b) The names of the members of the Council as registered are :—

Sarvashri	N. N. Chatterjee
	P. Sadagopan
	B. R. Seth
	B. N. Datar
	N. S. Mankiker
	Satish Loomba
	Balwant Singh

The above body will function till a large membership, for which a drive is being launched, is secured, and the Council begins to function according to its Rules and Regulations.

उड़ीसा में चलते फिरते डाकघर

2404. **श्री ख० प्रधानी :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में चलते फिरते डाकघरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार 1967-68 में उस राज्य में और ऐसे डाकघर खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद- कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) कोई नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Aid to Libraries in Uttar Pradesh

2405. **Shri Sarjoo Pandey :**
Shri Ishaq Sambhali :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether grants have been given by the Centre to some organisations in Uttar Pradesh for running Libraries ;

(b) if so, the names thereof and the Districts where they are functioning ;

(c) whether applications from some libraries in Uttar Pradesh for the grant have been received direct by his Ministry ; and

(d) if so, the action being taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Unions Recognised by Northern Railway

2406. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the Unions recognised by the Northern Railway Administration which have been registered in Delhi and the Unions among them which have been submitting their statements of income and expenditure and membership lists to the Registrar of Trage Unions, Delhi during the last 5 years ; and

(b) the membership of each of these Union during the last 5 years ?

The Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra) : (a) The following two Unions of Railway employees have been accorded recognition by the Northern Railway Administration :—

(1) Northern Railway Men's Union ; and
(2) Uttariya Railway Mazdoor Union.

Both the Unions have been submitting their statements of income and expenditure and membership lists during the last 5 years.

(b) The figures of membership of the two unions as furnished by them are given

Membership of

Year	Northern Railway Men's Union	Uttariya Railway Mazdoor Union
1961-62	31,246	20,291
1962-63	35,011	27,262
1963-64	38,200	Information not received.
1964-65	45,368	27,514
1965 66 (Upto Dec. 1965 only)	44,240	28,151

उड़ीसा के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोटा

2407. श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में प्रतिनियुक्त कोटे में कितने पद उड़ीसा राज्य के लिये इस समय खाली हैं; और

(ख) इन पदों पर नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं तथा कोटा पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के प्रतिनियुक्ति कोटे में उड़ीसा राज्य के लिये 33 स्थान हैं ।

(ख) केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कोटे के सभी स्थान भरे हुए हैं । इस समय केंद्रीय सरकार के अधीन उड़ीसा के इंडियन सिविल सर्विस/भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के 33 अधिकारी काम कर रहे हैं । इस प्रकार कोई भी स्थान रिक्त नहीं है । इसलिये कोटे को पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

कालेज तथा कालेजों के विद्यार्थी

2408. श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कला तथा तकनीकी के कितने कालेज हैं;

(ख) इन कालेजों में कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं; और

(ग) गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा कितने कालेज चलाये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) 1-1-1965 को नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे कालेजों की कुल संख्या, जिनमें कला और इंजीनियरी तथा टेक्नीलोजी में पाठ्यक्रमों की सुविधाएं हैं क्रमश; 1,577 (जिनमें 231 विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग शामिल है किन्तु हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यताप्राप्त 1215 इंटरमीडिएट कालेज शामिल नहीं है और 133 है (जिनमें 21 विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग भी शामिल है ।

(ख) कला और इंजिनियरी-टेक्नीलोजी पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 31-3-1964 को क्रमश: 6,67,696 और 71,504 है ।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में दी गई संस्थाओं की कुल संख्या में से 1029 कला कालेज और 35 इंजीनियरी तथा टेक्नीलोजी कालेज प्राइवेट निकायों द्वारा चलाए जा रहे हैं ।

किराये पर ली गई गैर-सरकारी इमारतों में डाकघर

2409. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री होरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने डाकघर हैं;

(ख) ऐसे कितने डाकघर किराये पर ली गई गैर-सरकारी इमारतों में है; और

(ग) इन डाकघरों की इमारतों के किराये के रूप में प्रति वर्ष कितनी राशि दी जा रही है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 97,490

(ख) और (ग) आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्व पाकिस्तान से आये हुए व्यक्ति

2410. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) मार्च 1967 तक पूर्व पाकिस्तान से कितने प्रव्रजक भारत आये और कितने प्रव्रजकों ने मकान बनाने तथा भूमि खरीदने के हेतु ऋणों के लिये निर्धारित समय के अन्दर आवेदन पत्र दिये थे; और

(ख) कितने आवेदकों के आवेदनपत्रों पर अभी ध्यान नहीं दिया गया और इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) ऐसा मान लिया गया है कि पूर्वी पाकिस्तान से 1-1-1963 से बाद में नये प्रव्रजकों के बारे में यह जानकारी मांगी गई है। केवल उन प्रव्रजकों को पुनर्वास सहायता दी गई है जो सरकार द्वारा स्थापित शिवरों में दाखिल हुए थे। ऐसे व्यक्तियों के लिये गृह-निर्माण हेतु या अन्य ऋण लेने के लिये कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है।

कितने व्यक्तियों ने गृह-निर्माण या भूमि हेतु ऋण लेने के लिये आवेदन किया था और कितने आवेदन विचाराधीन हैं और उनके कारण क्या हैं इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है। जैसे ही अपेक्षित जानकारी उपलब्ध होगी वैसे ही यह सभा पटल पर रख दी जायेगी

पश्चिम बंगाल में 'घेराओं' में आने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

2411. श्री पार्थसारथी : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार के कोई कर्मचारी 'घेराओं में आ गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा उनके पदनाम क्या हैं; और

(ग) उन्हें पर्याप्त संरक्षण देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) सभी प्रशासनिक अधिकारियों को यह अनुदेश दे दिया गया है कि घेराव की स्थिति में वे पुलिस की सहायता ले सकते हैं, जिसमें अनुचित दबाव अनुचित घेराबन्दी अपराधपूर्ण प्रवेश या अपराध करने के लिये उकसोन जैसे अपराध भी सम्मलित हैं।

खेतिहर मजदूर जांच समिति

2412. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेतिहर मजदूरों की रहने–सहने की वर्तमान हालत के बारे में जांच करने के उद्देश्य से तीसरी खेतिहर मजदूर जांच समिति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस समिति का प्रतिवेदन मिल चुका है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं। देहात में मजदूरों के बारे में जांच की जा रही है। इस जांच का सम्बन्ध खेतिहर मजदूरों के वर्तमान निर्वाह स्तर से नहीं है बल्कि यह जांच देहात के मजदूर परिवारों (जिसमें खेतिहर मजदूरों के परिवार भी सम्मिलित हैं) के उपभोग खर्च रोजगार तथा बेरोजगारी, कमाई और ऋणग्रस्तत्म के सम्बन्ध में की जा रही है।

(ख) देहात मजदूरों की जांच के बारे में प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कार्यालयों में छंटनी

2413. श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1966 से 1 मई, 1967 तक कि अवधि में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई ;

(ख) उनमें राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या क्रमशः कितनी है;

(ग) उनमें इंजिनियर, डाक्टर तथा अन्य तकनीशनों आदि तकनीकी संवर्गों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) छंटनी किये गये इन कर्मचारियों को रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों के कर्मचारियों की छंटनी से कोई सम्बन्ध नहीं है। और ऐसे राज्य सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित जानकारी भी केन्द्रीय सरकार के पास नहीं है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, उससे सम्बन्धित जानकारी एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Kidnapping by Mizos

2414. Shri Jagannath Rao Joshi : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the leaders of Chakma community have disclosed that 139 persons have been killed and many others kidnapped by Mizo rebels as reported in the 'Vir Arjun' on the 22nd May, 1967 ;

(b) whether it is also a fact that nearly 14 thousand Chakmas have fled from their native places for fear of Mizo rebels and the rest of the people are very much discontented ;

(c) if so, the action taken in this regard ; and

(d) the extent of loss to life and property inflicted by Mizo rebels so far ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a)to(d) According to our present information, 27 Chakmas have so far been killed and 42 kidnapped by Mizo hostiles. Chakma villagers have been one of the targest of depredation by the Mizo hostiles and, therefore, they have been shifting from scattered villages to larger and safer settlements. The extent of loss of property suffered by Chakmas separately has not been estimated. Security measures have been taken to afford necessary protection of life and property to Chakmas against the activities of the hostiles.

भारत-अमरीकी शिक्षा संस्थान

2415. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री नीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री डे० एच० पटेल :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री मधु लिमये :
श्री क० मि० मधुकर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको या प्रधान मंत्री को विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों तथा अन्य शिक्षाविदों की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है, जिसमें भारत-अमरीकी शिक्षा संस्थान की स्थापना के विचार का समर्थन किया गया है;

(ख) यह ज्ञापन कब प्राप्त हुआ था; और

(ग) क्या इसकी प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) भारत सरकार को समय समय पर, भारत–अमेरिकी प्रतिष्ठान की स्थापना के विचार के पक्ष तथा विपक्ष में देश की विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों से अभ्यावेदन, ज्ञापन और वक्तव्य प्राप्त हुए है । इन दोनों विरोधी विचारों के उदाहरण ये हैं : (एक) प्रतिष्ठान के विरुद्ध दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा जारी किया गया वक्तव्य, और (दो) प्रतिष्ठान के पक्ष में विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और शिक्षाविदों का दिनाँक 16-5-1966 का ज्ञापन । प्रत्येक की एक प्रति संलग्न है । [पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 640/67]

Translation of Russian Books

2416. **Shri Hardayal Devgun** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether the Scientific and Technical Terminology Commission has formulated a scheme to get the books in Russian language on various subjects translated and published into Hindi ;

(b) whether certain books have been selected for the purpose and allotted to certain persons for translation into Hindi ;

(c) if so, the manner in which these persons were selected ; and

(d) the progress made so far in this direction ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Under the scheme of translation, preparation and publication of Standard works of University level, the Commission for Scientific and Technical Terminology is also bringing out Hindi translations of Russian books on various subjects ;

(b) Yes Sir, but only those Russian books of which English versions are not available have been allotted to certain persons for translations.

(c) For this purpose applications are invited from Russian knowing persons who are desirous of doing translation work through press notifications. Persons who are found to possess proficiency in Russian language and who are at the same time conversant with the subject-matter of the books and also know Hindi are selected.

(d) So far 27 books have been selected of which 3 have been published one is in press and the remaining are under translations.

Terminology for Journalism

2417. **Shri Hardayal Devgun** : Will the Minister of Education be pleased to State:—

(a) whether the Scientific and Technical Terminology Commission has prepared some terminology for Journalism ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of state in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Not yet.

(b) Question does not arise ;

(c) The Commission will take up tha work of evolution of terminology in Journalism after the terminology in library science, which is at present being evolved, has been finalised.

Shortage of Inland Letters

2418. Shri Nageshwar : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the names of the Districts in Uttar Pradesh where there is scarcity of Inland Letters for the last one year and whether Jaunpur District is one of them ;

(b) the reasons for this scarcity ; and

(c) whether Government are aware that in spite of scarcity of Inland Letters in the Post-Offices, they are easily available in the market on payment of extra money ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentry Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) There has been occasional shortage of inland letters in Post Offices in Uttar pradesh including Jaunpur District at one time or the other during the last one year.

(b) Inadequate supply from the Controller of Stamps, Nasik due to lack of printing capacity.

(c) No, Sir.

गोहाटी-(आसाम)-में काहिलीपारा शरणार्थी बस्ती

2419. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में गोहाटी में काहिलीपारा शरणार्थी बस्ती केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये धन से बसाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि मंजूर की गई थी ;

(ग) क्या उस धन में एक पानीघर (वाटर वर्क्स) बनाने की योजना भी शामिल थी ; और

(घ) यदि हां, तो आसाम की राज्य सरकार द्वारा अब तक यह पानीघर न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम-रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) 4,93,244 रुपये ।

(ग) जी, हां ।

(घ) आसाम की सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है, और बाद में सभापटल पर रख दी जायेगी ।

कोयला उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

2420. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग सम्बन्धी-मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या ये सिफारिशें सर्वसम्मत हैं और यदि नहीं, तो मतभेद क्या हैं ;

(ग) इन मतभेदों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या इस मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

श्रम-रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) सरकार अभी मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन का अध्ययन कर रही है। जब तक सरकार उसके बारे में कोई निर्णय नहीं करती तब तक उस प्रतिवेदन को प्रकाशित करने का विचार नहीं है।

(घ) जैसे ही प्रतिवेदन पर सरकार कोई निर्णय कर लेगी तैसे ही उसकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में रख दी जायेंगी।

एमर्जेन्सी कमीशन-प्राप्त अधिकारी

2421. श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :
श्री अदिच्चन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1966 में हुई अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं में एमर्जेंसी कमीशन-प्राप्त अधिकारियों के लिये 70 पद सुरक्षित रखे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था और उनमें से कितने चुने गये थे ; और

(ग) क्या शेष यह भी एमर्जेन्सी कमीशन-प्राप्त अधिकारियों में से भरे जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के (सेवा मुक्त एमर्जेन्सी कमीशन-प्राप्त/अल्पावधि-कमीशन-प्राप्त अधिकारी) परीक्षा, 1966 के आधार पर सेवा मुक्त एमर्जेन्सी कमीशन-प्राप्त/अल्पावधि-कमीशन-प्राप्त अधिकारियों द्वारा भरे जाने वाले सुरक्षित पदों की कुल संख्या 102 थी।

(ख) साक्षात्कार के लिये 55 उम्मीदवार बुलाये गये थे जिनमें से 25 को छांट लिया गया था।

(ग) शेष सुरक्षित पद उन उम्मीदवारों द्वारा भरे जायेंगे जो नियमित संयुक्त प्रतियोगात्मक परीक्षा में सफल होंगे, परन्तु उतने ही रिक्त स्थानों को इस वर्ष होने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा की (मुक्त सेवा/एमर्जेन्सी कमीशन-प्राप्त/अल्प वधि-कमीशन-प्राप्त अधिकारी) परीक्षा के आधार पर भरा जायेगा।

Indian Penal Code

2422. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to scrap Sections 106 and 151 of the Indian Penal Code ;

(b) if so, whether a bill to this effect is proposed to be introduced in the current session ; and

(c) if not, the legal steps Government propose to take to check the arbitrary action on the part of the police officers ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Adequate Constitutional and other legal safegurds are already available.

American Research Ship "Oceanographer"

2423. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an American Research ship, "Oceanographer" is arriving at Bombay Port during this month ; and

(b) if so, the object of the visit ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes, Sir. The Oceanographer arrived at Bombay on 8th June, 1967.

(b) To undertake oceanographic studies-particularly Geological and Geophysical-in the Indian Ocean including the Arabian Sea and the Bay of Bengal.

Legislation to Check "Gheraos"

2424. **Shri Sarjoo Pandey** :
Shri Ishaq Sambhali :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to enact a legislation for the settlement of industrial disputes and checking the 'Gherao' agitations organised by the workers in the country ; and

(b) if so, when a Bill to this effect is likely to be introduced in the House ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation Shri L. N. Mishra) : (a) The Statute Book contains legislation for the settlement of industrial disputes ; the Government do not propose undertaking legislation for dealing with "Gherao".

(b) Does not arise.

पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बेरोजगार व्यक्ति

2425. **श्री क० हाल्दर** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1966 को पश्चिम बंगाल में विभिन्न रोजगार दिलाने वाले कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के (1) शिक्षित तथा (2) अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को 1966 में रोजगार दिलाया गया ?

श्रम, रोज़गार तथा पनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) प्रार्थियों का वर्गीकरण	31-12-1966 तक चालू रजिस्टर में दर्ज नाम	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
मैट्रिक सर कम (जिसमें अनपढ़ भी शामिल हैं) *	27,014	4,017
मैट्रिक और उससे अधिक	7,395	416
जोड़	34,409	4,433

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के क्रमश: 4109 और 634 आदमीयों को रोजगार दिलाया गया ।

कालाकाजी कालोनी, दिल्ली

2426. श्री म० ला० सोंधी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से आये हुये विस्थापित व्यक्तियों के लिये कालाकाजी, दिल्ली में एक बस्ती का पूरी तरह विकास किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वहां भिन्न भिन्न आकार के कितने रिहायशी प्लाट बनये गये हैं ;

(ग) ये प्लाट किस आधार पर मिल सकते हैं और इन प्लाटों को आवंटित करने की क्या प्रक्रिया है ;

(घ) उपयुक्त व्यक्तियों को कितने प्लाट आवंटित किये गये हैं ;

(ङ) इन अलाटियों को इन प्लाटों का कब्जा कब तक मिल जायेगा ताकि वे अपने मकान बनाना आरम्भ कर सकें ;

* अनपढ़ों के सम्बन्ध में अलग आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते ।

(च) क्या निर्मित फ्लैटों का भी आवंटन करने का कोई विचार है ; और

(छ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां । परन्तु विकास-कार्य अभी चल रहा है ।

(ख) योजना के अधीन विकसित प्लाटों की संख्या :—

320 वर्ग गज	181 प्लोट
233 वर्ग गज	434 प्लोट
160 वर्ग गज	1384 प्लोट
योग	1999 प्लोट

(ग) ये प्लोट ऐसे विस्थापितों को दिये जायेंगे जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करेंगे :—

(एक) आवेदक की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिये ।

(दो) आवेदक या उसकी पत्नि/पति या उसके परिवार के आश्रित सदस्य के पास भारत में कहीं पर भी मकान या प्लाट न हो ।

(तीन) आवेदक दिल्ली में रोजगार पर लगा हुआ हो या वह दिल्ली में नौकरी कर रहा हो और विभाजन के बाद गत कम से कम 8 वर्षों से वह दिल्ली मैं नौकरी कर रहा हो और विभाजन के बाद गत कम से कम 8 वर्षों से वह दिल्ली में रह रहा हो या इतने समय तक रह चुका हो ।

(चार) आवेदक पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित हो या उसका परिवार पाकिस्तान से भारत आया हो ।

(पाँच) 4-1-1966 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से 31 मार्च 1966 तक आवेदन-पत्र मांगे थे। अधिकारियों की एक समिति ने ऐसे आवेदन-पत्रों की जांच कर ली है और उपयुक्त विस्थापित व्यक्तियों को कालोनी में प्लोट के नियतन के लिये अनुमानित लागत का 20 प्रतिशत पहले ही जमा कराने के लिये कहा गया है ।

इन प्लोटों को नियत क रने की प्रक्रिया अभि अन्तिम रूप से तय नहीं की गई है, परन्तु लाटरी डालकर प्लाट देने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

(घ) शर्त पूरी करने वाले 1432 लोगों को प्लोटो को दिये जाने के बारे में पत्र भेजे जा चुके हैं ।

(ङ) प्लोटो का कब्जा खरीदने वालों को तभी दिया जायेगा जबकि वहां बाह्य सेवाओं समेत विकास-कार्य पूरा हो जायेगा जिसमें बिजली, मल-निर्वहन और पेय-जल व्यवस्थाएं सम्मिलित हैं जिनका प्रबन्ध नगरपालिका के अधिकारी करेंगे ।

(च) जी, नहीं ।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दी का प्रामाणिक व्याकरण

2427. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी का कोई प्रामाणिक व्याकरण उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रामाणिक व्याकरण की पुस्तकों की सूची बताई जाये ; और

(ग) यदि नहीं, तो हिन्दी का प्रामाणिक व्याकरण प्रकाशित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) निम्नलिखित मानक हिन्दी व्याकरण उपलब्ध हैं :—

(एक) हिन्दी व्याकरण-लेखक-श्री कामता प्रसाद गुरु

(दो) 'ए' बेसिक ग्रामर आफ माडर्न हिन्दी-लेखक डा० आर्येन्द्र शर्मा
(शिक्षा मंत्रालय का प्रकाशन)

डा० आर्येन्द्र शर्मा द्वारा लिखित "बेसिक ग्रामर आफ माडर्न हिन्दी" का एक परिवर्धित संस्करण निकालने का प्रस्ताव है ।

Second Marriage Among Central Government Employees

2428. Shri Valmiki Choudhary : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Central Government employees who have married second time after the Special Marriage Act was enacted ;

(b) whether they have been granted permission for the said purpose by Government ; and

(c) if so, the circumstances under which the said permission was granted ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

होशंगाबाद में शहरी क्षेत्रों का विकास

2429. श्री झा. सुन्दर लाल :
श्री गं० च० दीक्षित :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए नये प्रव्रजकों के पुनर्वास के लिये मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, इटारसी, हारदा तथा सोहागपुर में निर्धारित किये गये चार शहरी क्षेत्रों के विकास में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस विकास कार्य को शीघ्र करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रव्रजकों के 170 नये परिवारों को छोटे व्यापार तथा अन्य रोजगार मुहैया कराने हेतु निम्नलिखित शहरों में बसाने के लिये 5,79,500 रुपये की अनुमानित लागत की एक योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है :—

होशंगाबाद	54 परिवार
इटारसी	58 परिवार
हारदा	31 परिवार
सोहागपुर	27 परिवार

मध्य प्रदेश सरकार के सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त (सैटिलमैंट) विभाग द्वारा इन परिवारों के लिये घरों और दुकानों के लिये भूमि प्राप्त की जा रही है। जैसे ही भूमि के तबादले सम्बन्धी कार्यवाही पूरी हो जायेगी, तैसे ही वहां पर घर, दुकान और सड़कें बनाने का काम हाथ में लिया जायेगा।

(ख) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे भूमि के तबादले सम्बन्धी औपचारिकताएं शीघ्रातिशीघ्र पूरा करें।

स्कूलों के लिये स्थान

2430. **श्री श्रीधरण :**
श्री विश्वम्भरम :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री अनिरुधन :
श्री अदिचन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों के स्थान के मामले में हो रही कठिनाई पर काबू पाने के लिये वित्तीय सहायता के लिये राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) केरल राज्य के शिक्षा मंत्री ने उस राज्य के स्कूलों के आवास में सुधार करने के लिए एक विशेष अनुदान या ऋण के लिए अनुरोध किया था।

(ख) यह अनुरोध मानना सम्भव नहीं हो सका, क्योंकि केन्द्रीय आयोजना में ऐसी किसी मदद के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

मिज़ो नेता की हत्या

2431. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरण :
श्री निहालसिंह :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या गृह-कार्य मंत्री 30 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 869 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व मिज़ो नेता, श्री लैमाना की हत्या के बारे में की जा रही जांच का क्या परिणाम निकला है ; और

(ख) मिज़ो लोगों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 8 व्यक्ति पकड़े गये थे और वे जांच के दौरान जेल में रहे थे। 4 मार्च 1966 को जब मिज़ो विद्रोहियों ने जेल तथा अन्य स्थानों पर गोलियां चलाई तो वे एजल स्थित जेल से भाग गये थे। राज्य सरकार से इस जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है कि वे पुन: पकड़े गये हैं या उनका पता चल गया है या नहीं। पहले राज्य सरकार ने यह सूचना दी थी कि कत्ल के मामले में उन व्यक्तियों के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला था। फिर भी कानूनी हिरासत से भागने के लिये उन पर मुकद्दमा चलाया जायेगा । कत्ल के मामले में भी 22-6-1966 को अन्तिम रिपोर्ट भेजी गई थी।

(ख) हमारी सुरक्षा सेना निरन्तर उनकी निगरानी कर रही है । सिलचर-एजल-लुंगलेह सड़क के दोनों ओर 10 मील के क्षेत्र में सीमित समूह बनाने की योजना हाल में ही क्रियान्वित की गई है।

Memorial to Mandan Mishra

2432. Shri Gunanand Thakur :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether Government propose to raise a memorial of Shri Mandan Mishra, an old scholar of Mithial, at his birth place (Mahshi) in District Saharsa (Bihar) as in the case of Kalidasa and Vidyapati ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Government feel that it should ordinarily be left to appropriate voluntary organisations, and State Governments, if they so choose to take the initiative in such cases.

Rehabilitation of Displaced Persons From Burma

2433. Shri Nihal Singh :
Shri Bramhanandji :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Sheopujan Shastri :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that while the Central Government are providing free livelihood, educational facilities etc. to the displaced persons coming from pakistan, only nominal facilities are being provided to the displaced persons coming from Burma ;

(b) if so, the reasons for such a differentiation ;

(c) whether it is also a fact that 113 deisplaced persons coming from Burma have requested the Central Government to rehabilitate them in Katihar town of District Purnea in Bihar and to provide them with all facilities ; and

(d) if so, the decision taken on their request ?

The Minister of State in the Ministry of Labour employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b) A statement indicating the facilities granted to the repatriates from Burma and migrants from East Pakistan admitted in the camps is attached. [**Placed in Library, See No. L. T. 641/67**] It will be seen that the benefits and facilities granted are by and large the same.

(c) and (d) No such request has been received by Central Government But 107 Burma repatriates families have been resettled in Katihar by Bihar Government. 106 of these families have been granted business loans and also loans for construction of shops. All the families have been allotted houses. They have also been sanctioned maintenance grant for a period of three months.

Class I Officers

2435. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of class I Officers in each Department of the Central Government, separately ; and

(b) their number, according to the States from which they hail ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House, as soon as possible.

Reserved Post of Class I Officer

2436. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Class I Officers belonging to I. A. S., I. P. S., I. F. S. and I.M.S etc. working under the Central and State Governments at present ;

(b) whether the present strength of these Officers against reserved posts is in accordance with the total number of vacancies during the last fifteen years ;

(c) if these posts have not been filled up in full measure by such officers the reasons therefor ; and

(d) whether Government propose to bring any improvement in this direction and if so, what ?

The Minister of State to the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Indian Medical and Health Service has not yet been constituted. The number of officers working in the other services at present under the Central and State Governments is as follows :

I. A. S.	2325
I. P. S.	1341
I. F. S. 'A'	279
I. F. S. 'B' (Grade I, Class I)	101

(b) No, Sir. The percentage shortfall in recruitment of S. C. and S. T. candidates against reserved vacancies, for the last fifteen years (1952-1966), for the I. A. S., I. P. S. and I. F. S. is shown in the statement annexed. [**Placed in Library See No. L. T. 642/67**]

(c) Sufficient number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates of the requisite standard were not available for recommendation by the Union Public Service Commission.

(d) It would be observed from the statement annexed that since the year 1963 there has been no shortfall in the recruitment of Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates against the reserved vacancies. Improvement in this direction has, therefore, already been brought about.

मिज़ो विद्रोहियों द्वारा षड़यन्त्र

2437. श्री स्वैल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 मई, 1967 को पकड़े गये एक मिज़ो विद्रोही से बरामद हुए दस्तावेजों से यह पता लगा है कि उन्होंने भारतीय नौसेना के जहाजों को नष्ट करने का एक षड़यन्त्र रचा था ; और

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की पूरी जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो जाँच का क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) 9 मई 1967 को एक मिज़ो विद्रोही से पकड़े गये दस्तावेजों में कुछ ऐसे पत्र भी थे जो तथाकथित मिज़ो गुप्तचर सेवा द्वारा पाकिस्तान की सैनिक गुप्तचर सेवा को लिखे गये थे । इस मामले का अधिक ब्यौरा देना लोकहित में नहीं है । क्योंकि इससे सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

संत फतेहसिंह को प्रधान मन्त्री का पत्र

2438. श्री स्वैल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचार पत्रों में छपे इस आशय के आरोपों की ओर दिलाया गया है कि दिसम्बर, 1966 में प्रधान मन्त्री द्वारा सन्त फतेहसिंह को जो पत्र लिखा गया था, वह सन्त फतेहसिंह के पास से चुरा लिया गया है और केन्द्रीय सरकार को लौटा दिया गया है ;

(ख) क्या इन आरोपों के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) समाचार पत्रों में कल्पना पर आधारित ऐसा समाचार छपा था कि गत दिसम्बर में उपवास कर रहे सन्त फतेहसिंह को प्रधान मन्त्री ने सरदार हुकमसिंह के द्वारा जो पत्र भिजवाया था, उसको चुरा लिया गया है ।

(ख) और (ग) ये आरोप बिल्कुल निराधार हैं । प्रधान मन्त्री ने कोई भी ऐसा पत्र सरदार हुकमसिंह के द्वारा सन्त फतहसिंह को नहीं भिजवाया था ।

Promotion for Hindi Assistants

2439. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is discontentment among Hindi Assistants working in the Central Secretariat, since they are working in the very posts for more than seven years continuously and have no chances of promotion to the next higher posts; and

(b) if so, the action taken to remedy the situation particularly when persons in other comparable services and in the same pay-scales have been promoted ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) Posts of Hindi Assistants are isolated ex-cadre posts. Such ex-cadre posts obviously cannot have any higher posts in direct line for promotion. In order however to allow avenues of advancement to the Hindi Assistants, all Ministries etc., have been advised that the Hindi Assistants should normally be permitted to apply for class II and class I (Junior) posts under the Central Government for which higher qualifications in Hindi or a high degree of proficiency in Hindi and experience of Hindi work are required, considering whether preference could be given to Hindi Assistants in the matter of selection for appointments to higher posts for which they are otherwise eligible and qualified,

Hindi Assistants

2440. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Rabi Ray :
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindi Assistants are not eligible to sit in the Departmental Competitive Examination for the post of Section Officer, although there is no regular channel of promotion for them;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the conditions laid down for allowing other Assistants in this very scale to sit in the said examination ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) to (c) Hindi Assistants do not form part of the C. S. S. and can, therefore, obviously not be made eligible for the Limited Departmental Competitive Examination for the Section Officers grade in the C. S. S., which is a promotion examination intended for eligible officers belonging to the Central Secretariate Services only.

Appointment of Hindi Assistants

2441. Shri Molahu Prasad :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Hindi Assistants and Hindi Translators have been appointed on ad hoc basis in some of the Ministries and Offices, although they could not pass U. P. S. C. examination;

(b) if so, the number of such employees;

(c) whether it is proposed to hold a test under the auspices of U P. S. C. to regularise them, and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : In June 1959, the U. P. S. C. held an examination for Hindi Assistants and all the candidates who had qualified therein were absorbed in available vacancies. The vacancies which remained unfilled there after or which arose later were filled by respective Ministries etc., on **ad hoc** basis from among suitable working personnel. No examination having been held for the posts of Hindi Translators apppointments to these posts are made by the respective Ministries etc., in accordance with the normal recruitment procedure.

It will thus be seen that **ad hoc** appointments to the posts of Hindi Assistants could be made only where U. P. S. C. qualified candidates were not available. Information in regard to the number among such **ad hoc** appointees, of those who had appeared in and could not pass the U. P. S. C. examination is not available.

(c) Yes, Sir. It is proposed to hold an examination for Hindi Assistants as soon as convenient to the U. P. S. C.

(d) Does not arise.

Hindi in Aligarh Muslim University

2442. (Shri Digvijai Nath) : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in Aligarh Muslim University, Hindi is taught not in Devnagari script but in Roman script,

(b) if so, tho reasons therefor; and

(c) whether it has affected the demand from the South Indian students wanting to learn Hindi in Devnagari script ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Only those students whose mother tongue is not Hindi/Urdu but who are required to offer elementary Hindi as a compulsory

subject for study, have been permitted to use Roman instead of Devnagari script, if they so desire.

(b) The University is of the view that it would be easier for these students to pick up a working knowledge of elementary Hindi if they learn it through Roman script.

(c) The use of Roman script for those offering elementary Hindi is not compulsory. Other courses in Hindi are taught through Devnagari script. The option given by the University, therefore, has not affected the students wanting to learn Hindi in Devnagari script.

गोआ-मूलक विदेशी राष्ट्रजन

2443. **श्री शिंकरे** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में गोआ-मूलक विदेशी राष्ट्रजन कितने हैं जिनके पास पुर्तगाल के पासपोर्ट हैं;

(ख) पुर्तगाली पासपोर्ट रखने वाले इन लोगों में से कितने लोग भारत को छोड़कर पुर्तगाल में अथवा अफ्रीका स्थित पुर्तगाली बस्तियों में जाने को इच्छुक हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसा कोई प्रतिबन्ध लगा रखा है कि भारत छोड़कर बाहर नहीं जा सकते;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि कोई प्रतिबन्ध लगाया हुआ नहीं, तो उन्हें भारत छोड़ने के लिए सुविधायें देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1 जनवरी 1967 को गोआ में पुर्तगाली पंजीकृत राष्ट्रजनों की संख्या 564 थी।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) ऐसे व्यक्तियों के भारत छोड़ने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उन्हें अपने प्रस्थान के बारे में पंजीकरण अधिकारी को सूचित करना होता है और अपने पंजीकरण के प्रमाणपत्रों पर इस आशय की अनुमति लेनी पड़ती है।

एरिंग समिति का प्रतिवेदन

2444. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेफा प्रशासन सम्बन्धी एरिंग समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सिफारिशों का सारांश सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये एल०टी० संख्या 643/67] प्रतिवेदन की एक प्रति संसदीय पुस्तकालय को भेजी जा रही है।

तकनीकी विकास सर्किल के कर्मचारी

2445. श्री रामसिंह अयरवाल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक व तार विभाग में तकनीकी विकास सर्किल के कर्मचारीवृन्द (इन्जीनियरी सुपरवाइजरों तथा मकैनिकों) का विकेन्द्रीकरण करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) ऐसे अधिकारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जो बहुत समय से सेवा कर रहे हैं और अपने जन्म स्थानों से दूर हैं तथा देश भर में इधर-उधर के नगरों में काम कर रहे हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) इस समय तकनीकी तथा विकास संगठन के इंजीनियरी सुपरवाइजरों के संवर्ग का विकेन्द्रीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तकनीकी तथा विकास संगठन में मैकैनिक का संवर्ग 21 जुलाई, 1966 से विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है।

(ख) तकनीकी तथा विकास सर्कल के मैकैनिकों के विकेन्द्रीकरण के आदेश जारी होने के फलस्वरूप उन्हें अपनी पसन्द के सर्कल/टेलीफोन परिमंडल के लिए विकल्प देने के लिए कहा गया है। विकल्प देने वाले इन कर्मचारियों को विभिन्न चरणों में कई वर्षों में पूरा होने वाले कार्यक्रम के अनुसार धीरे-धीरे उनके पसन्द के सर्कलों/यूनिटों में स्थानान्तरित किया जा रहा है। उनकी पसन्द के सर्कल में उनका प्रवरता-क्रम सामान्य नियमों के अनुसार बना रहेगा अर्थात् उनके प्रवरता-क्रम पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Prices in Delhi

2446. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Avatar Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Executive Councillor, Metropolitan Council, Delhi met him and discussed measures to check the spiralling prices in Delhi;

(b) whether his suggestions in this regard were accepted,

(c) if not, the reasons therefor, and

(d) the details of the said suggestions ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d) : The Chief Executive Councillor, Delhi, met the Home Minister on the 27th May, 1967 to discuss certain matters. Measures to check prices in Delhi were not specifically discussed by him with the Home Minister.

Scientific and Technical Terminology Commission and Central Hindi Directorate

2447. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Ministry of Works, Housing and Supply has allotted office accommodation for the offices of scientific and Technical Terminology Commission and the Central Hindi Directorate in Rama Krishna Puram, New Delhi;

(b) whether it is also a fact that great difficulties are being experienced at the places where the offices of the said Commission and Directorate are housed at present; and

(c) if so, the time by which both the offices would shift to the new accommodation ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) **and** (b) : Yes, Sir.

(c) The new building in which accommodation has been made available to these two offices has yet to be fitted with electric fittings and(window) glass panes, etc. They will move in as soon as the building is ready for occupation.

छावनियों में रह रहे विदेशी लोग

2448. श्री रणजीत सिंह :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री रामसिंह अयरवाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पादरियों, धर्म-प्रचारकों तथा बसे हुए व्यक्तियों के रूप में इस समय छावनियों में कितने विदेशी रह रहे हैं;

(ख) क्या ये लोग वहां के सैनिक कार्यालयों, क्लबों तथा कर्मचारियों के पास बिना किसी रोक-टोक के आ-जा सकते हैं; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखकर कि वहां इस प्रकार उनका रहना सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है, इन विदेशियों को छावनियों में रहने की अनुमति न देने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है और वह राज्य सरकारों से एकत्र की जायेगी ।

(ख) विदेशियों के सैनिक अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिलने या अथिति के रूप में उनके क्लबों में प्रवेश करने पर कोई पाबन्दी नहीं है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

दिल्ली में निष्क्रान्त-सम्पत्ति के किराये की वसूली

2449. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में निष्क्रान्त-सम्पत्ति के अधिकृत किरायेदारों से जब किराया वसूल किया जाता है, तो इन्हें इन दो किस्मों की रसीदों, में से एक रसीद दी जाती है, लाइसेंस शुल्क दर्शाने वाली रसीद अथवा किराये की रसीद;

(ख) यदि हां, तो किन सम्पत्तियों के लिए लाइसेंस शुल्क की रसीद दी जाती है तथा किनके लिए किराया की रसीदें दी जाती हैं;

(ग) यह भेदभाव करने का क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान बड़ी संख्या में बेदखली कराने के लिए दायर किये गये उन मामलों की ओर दिलाया गया है, जो निष्क्रान्त-सम्पत्ति के अलाटियों ने उन किरायेदारों पर किये हैं जिन्हें लाइसेंस शुल्क रसीद दी गई थीं, क्योंकि उन्हें लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति माना जाता है न कि किरायेदार; और

(ङ) यदि हां, तो लाइसेंस शुल्क रसीदों और किराया की रसीदों के अन्तर को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, ताकि सभी लोगों को किरायेदार माना जाये न कि लाइसेंस-प्राप्त व्यक्ति ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) जी नहीं। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार केवल किराये की रसीदें दी जानी होती है। यदि किसी खास रसीद में लाइसेंस शुल्क के स्थान पर किराया शब्द कटा हुआ है तो ऐसा केवल भूल से हो गया है। आरम्भ में जब विस्थापित व्यक्तियों को सम्पत्तियाँ आवंटित की गई थीं तो किरायों का अनुमान ठीक ढङ्ग से नहीं लगाया गया था। किराये के निर्धारण तक जिन लोगों को मकान आवंटित किये गये थे उनसे केवल लाइसेंस शुल्क लिया गया था। बाद में; न्यायिक कार्यवाही में किराये के निर्धारण पर जिस व्यक्ति के नाम में मकान आवंटित थे उन्हें केवल किराया ही देना होता था न कि लाइसेंस शुल्क।

(घ) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक तथा तार विभाग की डिवीजनल सलाहकार समितियां

2450. **श्री गु० च० नायक :**
श्री म० माझी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे भारत में डाक व तार विभाग के प्रत्येक सर्किल में डिवीजनल सलाहकार समितियां हैं;

(ख) यदि हां, तो ये समितियां कब स्थापित की गई थीं;

(ग) क्या ये समितियां कार्य कर रही हैं, अथवा नहीं; और

(घ) इन समितियों के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (घ) तक--स्थानीय महत्व के डाक-मामलों पर विचार करने के लिए 1 मई, 1963 से प्रत्येक

डाक डिवीजन में डिवीज़नल सलाहकार समितियां बनाई गई थीं । तथापि खर्चे में हर तरह से कमी करने की दृष्टि से फिलहाल ये समितियां तोड़ दी गई हैं ।

भारतीय श्रमिकों की उत्पादन-क्षमता

2451. श्री शिवचन्द्र झा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय श्रमिकों में उत्पादन करने की उतनी ही क्षमता है जितनी कि अन्य पश्चिमी देशों के श्रमिकों में; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) इतने बड़े पैमाने पर तुलना करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है । सामान्यतः जब कि कुछ मामलों में भारतीय श्रमिक की उत्पादन-क्षमता बराबर हो सकती है, बहुत सारे अन्य मामलों में ऐसा नहीं है । श्रमिक की उत्पादन-क्षमता अनेक कारकों पर निर्भर करती है और सार्थक तुलनाओं के लिए उनकी तुलना करना सम्भव होना चाहिये । श्रमिकों की अधिक उत्पादन-क्षमता कई कारणों से हो सकती है जैसे कि प्रौद्योगिकीय विकास का स्तर, प्रयोग में आने वाली मशीनों की संख्या और उनकी किस्म, प्रशिक्षण तथा राज-सहायता की व्यवस्था, मंजूरी की स्थिति, रहन-सहन का उच्च स्तर आदि ।

Border Violations by Pakistanis

2152. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of times Pakistanis violated the Indian border (West Bengal) from 1st January, 1966 to 30th April, 1967,

(b) the number of houses burnt during these violations;

(c) the number of persons abducted and murdered;

(d) the value of property and cattle stolen;

(e) the action taken by Government about the said violations, and

(f) the number of persons (including women) and cattle returned by them ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :

(a) I. (i) Number of intrusions committed by East Pakistan Rifles. 3

(ii) Cases of firing by East Pakistan Rifles across the border. 1

II. Pak nationals were involved in intrusions and trans-border crime, as follows :

(i) Incidents of dacoity and armed assault. 51

(ii) Incidents of kidnapping. 12

(iii) Incidents of cattle lifting, 42

(iv) Number of incidents where Pak nationals were apprehended for entering Indian territory clandestinely. 795

(b) Three huts and a cow-shed.

(c) Sixteen persons were kidnapped in the above-mentioned 12 incidents of kidnapping. Three persons were murdered.

(d) The value of property and cattle stolen is estimated to be approximately Rs. 1,25,000/-.

(e) Strict vigilance is being maintained and patrolling on the border has been intensified.

(f) Nine persons, including a woman, and 78 heads of cattle have been returned.

Refugees from East Pakistan in Champaran

2453. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the land allotted for agriculture to the refugees who came from East Pakistan and were rehabilitated at Champaran is lying unutilised,

(c) whether Government propose to enquire into the difficulties which have led to the non-utilisation of these lands allotted to them; and

(c) the steps proposed to be taken to see that these lands allotted to refugees in Champaran become wholly productive ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha.

अन्दमान द्वीपसमूह में सरकारी श्रमिकों का दुरुपयोग

2454. श्री गणेश : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता लगा है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर सरकारी मजदूरों को घरेलू निजी काम-काज में लगाया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि श्रमिकों का दुरुपयोग इतना व्यापक हो गया है कि इन मजदूरों की मजूरी के रूप में राज्य-कोष से कई लाख रुपये बर्बाद होते हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में स्थानीय सतर्कता समिति के सदस्यों ने मुख्य सतर्कता आयुक्त को, जब वह पिछली बार इन द्वीप समूहों में आये थे, अभ्यावेदन दिया था;

(घ) यदि हां, तो इस क्षति तथा धन की बरबादी को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) क्या जनता की संस्थाओं ने खुले आम यह धमकी दी है कि वे उन अधिकारियों के, जो सरकारी मजदूरों से अपना निजी घरेलू काम-काज करवाते हैं, घरों के सामने सत्याग्रह आरम्भ करेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) समय-समय पर प्रशासन को इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सरकार प्रशासन को हिदायतें जारी कर रही है कि यह एक वांछनीय प्रथा नहीं है और इसको बन्द कर देना चाहिए।

(ग) और (घ) सरकारी श्रमिकों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में सतर्कता समिति के एक सदस्य ने केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के साथ एक भेंट में कहा था। उनसे कहा गया था कि वह विशिष्ट मामलों को प्रशासन की जानकारी में लाएं।

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

निकोबारी भाषा का विकास

2455. श्री गणेश : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के निकोबारी आदिम जातियों के लोगों द्वारा बोली जाने वाली निकोबारी भाषा का विकास करने का विचार है, ताकि यह भाषा निकोबार द्वीपसमूह में शिक्षा का माध्यम बन सके;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो निकोबारी लोगों को अपनी शिक्षा, संस्कृति तथा प्रशासन के वाहन के रूप में अपनी प्रादेशिक भाषा के प्रयोग एवं विकास के मामले में उन सुविधाओं से वंचित रखना, जो अन्य भारतीय राष्ट्रजनों को प्राप्त है, किस प्रकार वांछनीय है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) और (ख) निकोबारी केवल एक बोली है। इसकी अपनी कोई लिपि भी नहीं थी। सरकार का प्रस्ताव है कि इस बोली को देवनागरी लिपि में विकसित किया जाए।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में औद्योगिक कर्मचारी

2456. श्री गणेश : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में उद्योग-वार कितने औद्योगिक कर्मचारियों को स्थायी बनाया गया है तथा इन उद्योगों में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) ऐसे अथायी तथा नैमित्तिक कर्मचारी उद्योग-वार कितने हैं जो एक वर्ष से अधिक समय से तथा तीन वर्ष से अधिक समय से सेवा कर रहे हैं;

(ग) क्या एक वर्ष से अधिक सेवा वाले सभी कर्मचारियों को स्थायी बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या मुख्य श्रम आयुक्त ने इन द्वीपसमूहों की अपनी पिछली यात्रा के दौरान अन्दमान प्रशासन को एक वर्ष की सेवा वाले सभी कर्मचारियों को स्थायी कर देने का परामर्श दिया था ?

श्रम, रोज़गार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभापटल पर रख दी जायेगी।

गवर्नमेंट हाउस, रौस द्वीप, अन्दमान द्वीपसमूह

2457. श्री गणेश : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई ऐसा आदेश है जिसके द्वारा अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूह में रौस द्वीप समूह स्थित पुराने गवर्नमेंट हाउस को गिराने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि अप्रैल, 1967 में कुछ व्यक्ति इस इमारत से मूल्यवान इमारती लकड़ी निकाल ले गये थे; और

(ग) यदि हां, तो किस अधिकारी ने इसकी अनुमति दी और इमारती लकड़ी किस काम में लाई गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ऐसे द्वीप पर सरकारी इमारतों की जिस सामग्री को धूप और बारिश से क्षति पहुंच रही है, अन्दमान और निकोबार प्रशासन ने उस सामग्री को हटाने का आदेश दे दिया है । इस सामग्री को सार्वजनिक निर्माण विभाग के नये निर्माण कार्यों में काम में ले लिया जायेगा चूंकि परिवहन की कठिनाइयों के कारण वहां पर इमारत निर्माण सामग्री की कमी है ।

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

2458. श्री रा० कृ० सिंह : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में चल रहे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं;

(ख) वहां तीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होने तथा रंगाट और दिगलीपुर में दो और विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को दृष्टि में रखते हुए क्या इस केन्द्रीय स्कूल पर व्यय करना उचित है;

(ग) इस केन्द्रीय विद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश देने के सम्बन्ध में क्या नियम हैं;

(घ) ऐसे कितने सरकारी कर्मचारी हैं जो इस द्वीपसमूह के स्थायी निवासी नहीं है और जिनसे अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम वाले इस विद्यालय में भेजने की आशा की जाती है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी इस द्वीपसमूह में प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा उनके स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या कितनी है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) मार्च 1967 में नामांकन का कक्षा-वार ब्यौरा निम्नांकित है :–

पहली कक्षा	33
दूसरी कक्षा	35

तीसरी कक्षा	29
चौथी कक्षा	28
पांचवीं कक्षा	17
छठी कक्षा	10
सातवीं कक्षा	8

नामांकन अभी चल रहे हैं–ऐसा बताया गया है कि 263 आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ।

(ख) विद्यमान स्कूल ने मार्च 1967 में ही केन्द्रीय स्कूल योजना अपनाई है–इसलिए कोई राय जाहिर करना अभी जल्दबाज़ी होगी ।

(ग) अन्य बातें समान रहने पर, दाखिलों में रक्षा कर्मचारियों समेत उन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है जिनका तबादला होता रहता है ।

(घ) और (ङ) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । केन्द्रीय स्कूल हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल हैं । इस स्कूल के भी योजना में शामिल होते ही इसमें हिन्दी लागू कर दी गई है ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में औद्योगिक कर्मचारियों को यात्रा भत्ता तथा महंगाई भत्ता

2459. श्री रा० कृ० सिंह : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीसमूह में स्थायी औद्योगिक कर्मचारियों को यात्रा भत्ता तथा महंगाई भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सुविधा अन्दमान लोक निर्माण विभाग के कार्य-भारित औद्योगिक कर्मचारियों को पहले ही दी जा चुकी है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर 'हां' हो तो अन्य स्थायी औद्योगिक कर्मचारियों को यह सुविधा न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

Upper Division Clerks

2462. Shri Ramanand Shastri : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of Upper Division Clerks in his Ministry and the number of those among them who belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(b) the number of such Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lower Division Clerks who have put in more than 10 years of service and have not been promoted to the post of Upper Division Clerk ; and

(c) if the number of reserved posts of Upper Division Clerks is less than the number which should be reserved in accordance with the orders of the Ministry of Home Affairs, whether the deficiency in the quota would be made up ?

The Minister of Education (Dr. Trigun Sen) : (a) 98, out of which 10 belong to Scheduled Castes.

(b) 19

(c) The special reservation orders do not apply to the Upper Division Clerks cadre.

Stenographers

2463. Shri Ramanand Shastri : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the number of Hindi and English Stenographers in his Ministry at present ;

(b) the number of Stenographers, among them, recruited through U. P. S. C. ;

(c) whether the number of posts of Hindi and English Stenographers reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being held by the persons belonging to these communities ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

2463. The Minister of State in The Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a)	Hindi Stenographers	—	4
	English Stenographers	—	68
(b)	Hindi Stenographers	—	2
	English Stenographers	—	67

(c) and (d) Recruitment of English Stenographers is made by the Ministry of Home Affairs through U. P. S. C. on an all-India basis and reservation is made by them at the source. None of the posts of Hindi Stenographers is reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

Hindi Stenographers

2464. Shri Ramanand Shastri : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of posts of Hindi Stenographers in his Ministry ;

(b) whether some posts have been reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them and whether the persons belonging to these castes are working on those posts ;

(c) If not, whether persons belonging to these castes are proposed to be appointed against the reserved posts ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) Four ;

(b) No Sir ;

(c) and (d) : One post has been filled by transfer of an employee from another Department. When vacancies are filled by transfer method no reservation is to be made for Scheduled Castes and scheduled Tribes. One post is lying vacant and is not expected to be filled in the near future. If it is decided to fill this post by direct recruitment method, orders regarding reservation, for Scheduled Castes and Scheduled Tribes would be applicable. The other two are borne on the personal staff of Ministers and are filled at the discretion of the Ministers concerned.

Stenographers

2465. Shri Ramanand Shastri : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of posts of Hindi Stenogarphers in his Ministry ;

(b) the number of posts reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per orders of the Ministry of Home Affairs ;

(c) whether all the reserved posts are being held by persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) 5

(b) None.

(c) and (d) Do not arise.

West Bengal Government Files Called by Central Government

2466. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri '
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Molahu Prasad :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the West Bengal Government have asked the Central Government to return those papers, belonging to the State, which were called by the Central Government ;

(b) if so, the complete details thereof ; and

(c) the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) A request has been received from the West Bengal Government for the return of certain records that had been trensferred from the custody of the State Government to that of the Central Government.

(b) It will not be in the public interest to disclose the details.

(c) Government are considering the matter.

Grants to Vishvayatan Yogashram

2467. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Molahu Prasad :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government had stopped giving grant to vishvayatan Yogashram situated in New Delhi about four years back, as some irregularity had been detected in its accounts :

(b) whether it is also a fact that this Ashram was again given a grant of Rs. 31 thousand last year;

(c) If so, the reasons therefor ;

(d) whether it is proposed to sanction grant to the Ashram this year also ; and

(e) if so, how the public is benefited by the grant paid to the said Ashram ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The grant was revived after the Yoga Ashram accepted certain conditions suggested by Government regarding the re-constitution of its Board of Trustees and for the proper maintenance of its accounts etc.

(d) Yes, Sir.

(e) The public is benefited through the Instructions in Yoga provided at the Centres run by the Ashram.

मनीपुर के थौबल सब डिवीजन में नागाओं द्वारा एक बाजार का लूटा जाना

2469. **श्री हेम बरुआ :**
श्री नाथ पाई :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री समर गुह :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह–कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में सशस्त्र विद्रोही नागाओं ने मनीपुर के थौबल सब डिवीजन में एक बाजार को लूटा था तथा मोर्चे, यारीपोठ आदि स्थानों में विद्रोही कार्यवाहियां की थीं ; और

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा मनीपुर की जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) 15 सशस्त्र नागा विद्रोहियों ने थौबाल उप-डिवीज़न के वेखोंग बाज़ार की चार दुकानों को लूटा। नक़दी सहीत 4000 रु० की सम्पत्ति लूटी गई। इस सम्बन्ध में एक मामला दर्ज

किया गया था। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मनीपुर राइफल्ज़ द्वारा गश्त का प्रबन्ध किया गया है। मोर्चे और यारीपोठ से नागा विद्रोहियों द्वारा घटी गई किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

गोआ, दमण तथा दीव में राजनैतिक पीड़ितों को सहायता

2470. श्री शिंकरे : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1967 तक गोआ, दमण तथा दीव में राजनैतिक पीड़ितों से भूमि के आवंटन तथा आर्थिक सहायता के लिए क्रमशः कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) कितने आवेदकों को भूमि मंजूर की गई ; तथा कितनी भूमि मंजूर की गई ;

(ग) कितने आवेदकों को आर्थिक सहायता मंजूर की गई और मार्च, 1967 तक कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) क्या सरकार का विचार स्थानीय प्रशासन के लिये अधिक धन नियत करने का है, जिससे कि राजनैतिक पीड़ितों की दशा में प्रभावी रूप से सुधार किया जा सके ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) 6 भूमि आवंटन के लिये और 3035 वित्तीय सहायता के लिये।

(ख) कोई नहीं।

(ग) 506 आवेदकों को 6,31,580 रु० सहायता अनुदान के रूप में मंजूर किये गये हैं।

(घ) 1967–68 के बजट में 2,50,000 रु० का अनुदानों के लिये और 3 लाख रु० का ऋणों के लिए उपबन्ध किया गया है।

गोआ की मैंगनीज़ खानों के कर्मचारी

2471. श्री शिंकरे : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ की लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क खानों के मालिकों के पास कितने कर्मचारी कार्य करते हैं ;

(ख) वे किन किन राज्यों के हैं तथा प्रत्येक राज्य के कितने कितने प्रतिशत लोग हैं ;

(ग) उन्हें मकान देने के लिए खान मालिकों ने क्या व्यवस्था की है ; और

(घ) उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य–मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

क्षेत्रीय अनुसन्धान संस्था, जोरहाट

2472. श्री रा० बरुआ : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय अनुसन्धान संस्था, जोरहाट में इन्जीनियरों के पदों के लिये प्रार्थना-पत्र मांगते समय डिप्लोमा प्राप्त लोगों को डिग्री प्राप्त लोगों के समान माना गया था ;

(ख) यदि हां, तो ओवरसिअरों तथा बी० ई० डिग्री प्राप्त लोगों को किस सिद्धान्त के अनुसार एक ही श्रेणी में रखा गया था ;

(ग) प्रार्थना-पत्र भेजने वाले लोगों में बी० ई० डिग्री वाले कितने लोग आसाम के थे तथा राज्य के बाहर के कितने लोग थे ;

(घ) क्या आसाम के बी० ई० डिग्री प्राप्त किसी प्रार्थी को दिल्ली में साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था ;

(ङ) क्या राज्य के बाहर के डिप्लोमा प्राप्त लोगों को आसाम के बी० ई० डिग्री प्राप्त लोगों के ऊपर वरीयता देकर साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे तथा क्यों उस श्रेणी में अन्तिम रूप से नियुक्तियां की गई ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं। योग्यताएं, अर्थात "डिजाइन निर्माण और अनुसन्धान में कम से कम 5 वर्ष के अनुभव के साथ, सिविल इन्जीनियरी में डिग्री अथवा डिप्लोमा" निर्धारित की गई थीं, ताकि पद के लिए पर्याप्त आवेदन आ सके।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 18 आवेदकों में से केवल एक असम से था, जिसकी योग्यता बी० ई० डिग्री थी। अन्य राज्य के बाहर के थे, जिनमें से पांच की योग्यता बी० ई० डिग्री थी।

(घ) जी नहीं। असम के प्रार्थी को अनुसन्धान का कोई अनुभव नहीं था।

(ङ) जी हां।

(च) प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोग शाला, जोरहाट द्वारा साक्षात्कार में उम्मीदवारों को बुलाने के वास्ते चुनने के लिए अपनाई गई कसौटी शैक्षिक योग्यताएं, अनुसन्धान अनुभव और अनुसंधान में रुचि थी जैसा कि प्रकाशित अनुसन्धान लेखों से स्पष्ट है।

नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवार के पास बी० एस० सी० डिग्री और सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा है और उसे एक वर्ष का निर्माण अनुभव तथा 8 वर्ष का अनुसन्धान अनुभव है। उसने 15 अनुसन्धान लेख प्रकाशित किये हैं।

नई दिल्ली में आग लग जाने से झुग्गियों का जल जाना

2473. श्री० दी० चं० शर्मा : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या 31 मई, 1967 को नई दिल्ली में मिन्टो पुल के निकट रेलवे लाइन के साथ साथ बनी झुग्गियों में रह रहे 100 से अधिक परिवार निराश्रित हो गये थे, जब वहाँ आग लग जाने के कारण उनका अधिकतर घरेलू सामान नष्ट हो गया था ; और

(ख) क्या इस अग्नि-काण्ड से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 31 मई, 1967 को लगी आग में मिन्टो ब्रिज, नई दिल्ली के पास 100 से अधिक झुग्गियां जल गईं ।

(ख) दिल्ली आग सेवा द्वारा तुरन्त ही आग पर काबू पा लिया गया था । नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा 40 रु० प्रति झुग्गी का तदर्थ अनुदान मंजूर किया गया है ।

Reported Hidden Treasure at Agra

2475. **Shri Bal Raj Madhok:**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri B. S. Sharma :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri T. P. Shah :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Ram Avtar Sharma
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that enormous treasure is hidden under the 'Hamam' of Alivardi Khan at Agra ;

(b) if so, whether Government are contemplating to get that 'Hamam' excavated; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in The Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad):

(a) Government have no information.

(b) and (c). Do not arise.

Reorganisation of Assam

2476. **Shri Bal Raj Madhok :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri B. S. Sharma :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri T. P. Shah :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received a memorandum for doing away with the Sixth Schedule of the Constitution;

(b) whether it is a fact that a suggestion has been offered therein for the constitution of a high-level Commission to make recommendations about the reorga-

nisation of the Eastern region, particularly about the security, geographica and historical aspects; and

(c) if so, the action taken in regard thereto ?

The Minisiter of Home Affairs Shri Y. B. Chavan (a) and (b) A memorandum containing these suggestions was received by me from the Assam Branch of the Bhartiya Jan Sangh a Gauhati on 20th May' 1967.

(c) At Gauhati, representatives of several other political parties and organisations also gave me memoranda containing their suggestions regarding reorganisation of Assam. During my discussions with them, most of them desired that an effort should be made to reach a consensus on this matter by a joint discussion between representatives of parties and areas holding different views on the subject. Later on, I had a discussion with the Members of Parliament from Assam and they also generally favourep such joint giscussions. Accordingly, it is proposed to arrange the joint eiscussion either at Delhi or at some palace in Assam early next month.

शरणार्थियों को ऋण

2479. श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नगरीय क्षेत्र में मकान बनाने के लिये एक शरणार्थी को अधिकतम कितनी राशि का ऋण दिया जाता है; और

(ख) पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों को गत तीन वर्षों में ऐसे कितने ऋण दिये गये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) पूर्व पाकिस्तान से आये एक प्रव्रजक परिवार को मकान बनाने के लिये अधिक से अधिक 1450 रु० मिल सकते थे। 1.1. 1964 के पश्चात जो व्यक्ति भारत आये हैं उन्हें गृह निर्माण ऋणों के अन्तर्गत अधिक से अधिक 2,000 रु० मिल सकते हैं।

(ख) गृह-निर्माण ऋण या पुनर्वास सहायता केवल नये प्रव्रजकों को ही पश्चिम बंगाल से बाहर जा कर बसने की सूरत में दी जाती है। पश्चिम बंगाल में पूर्व पाकिस्तान से आये 495 पुराने विस्थापित परिवारों में वितरण के लिये राज्य सरकार को पिछले वर्षों मंजूर किये गये ऋणों के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों में 7.39 लाख रु० दिये गये हैं।

तकनीकी शिक्षा के लिये अमरीकी ऋण

2480 श्री ज्योतिर्मय बसु:
डी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने भारत में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की शिक्षा के कार्यक्रम में सहायता देने के लिये 1 करोड़ 20 लाख डालर का ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो दिये गये इस ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ऋण का किस प्रकार उपयोग करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) ऋण की राशि और ब्याज लगभग 61 अर्धवार्षिक किस्तों (40 वर्ष) में अमरीकी डालरों में लौटाया जाना है, पहली किस्त ऋण की रकम के पहले भुगतान के 10 साल बाद दी जानी है। पहले दस वर्षों के लिए एक प्रतिशत वार्षिक और 30 वर्ष की शेष अवधि के लिए 2½ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज छमाही दिया जाना है ।

(ग) ऋण का, ऐसे वैज्ञानिक और तकनीकी उपस्कर, जिसका भारत में निर्माण नहीं होता है, पुस्तकें, शिक्षण-सहायक साधन तथा अन्य सामग्री प्राप्त करके तथा अध्यापकों के लिए ग्रीष्म संस्थान भी आयोजित करके वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के विकास और सुधार के लिए उपयोग किया जाएगा ।

उड़ीसा के बारे में केन्द्रीय जांच विभाग की रिपोर्ट

2481. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह:
श्री दी० चं० शर्मा:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने श्री बीजू पटनायक से सम्बद्ध कुछ कम्पनियों के सौदों के संबंध में केन्द्रीय जांच विभाग की रिपोर्ट की एक प्रति मांगी थी तथा केन्द्रीय सरकार ने उसे देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपरोक्त बात को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा सरकार केन्द्र को राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में समय समय पर दी जाने वाली रिपोर्टें देना बन्द करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) ध्यान-आकर्षण सूचनाओं के उत्तर में इस सभा में 8. 6. 1967 को गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

(ग) संघ सरकार को इसकी जानकारी नहीं है और राज्य सरकार से विधि तथा व्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्टें निरन्तर रूप से प्राप्त हो रही हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता

भूख हड़तालें

2482. श्री आत्म दास: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भूख हड़ताल करने पर प्रतिबन्ध लगाने तथा इस बारे में कोई कानून बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी कर्मचारियों की स्वायत्तशासी निकायों में बदली

2483. श्री एस० एम० जोशी: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सरकारी कर्मचारी को जो अपनी बेहतरी के लिये किसी ऐसे स्वायत्त-शासी निकाय अथवा परिषद में, जिसकी शतप्रतिशत वित्त व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाती है, किसी पद के लिये आवेदन पत्र भेजता है, तो उसे अपनी पिछली सेवा के लाभों से, जिनमें सेवा निवृत्ति का लाभ शामिल है, वंचित होना पड़ता है जबकि उन सरकारी कर्मचारियों को ये सब लाभ मिलते हैं, जो एक विभाग से दूसरे मंत्रालय के दूसरे विभाग में किन्ही पदों के लिये आवेदन-पत्र भेजते हैं अथवा जिन्हें किसी मंत्रालय के एक विभाग से ऐसे स्वायत्तशासी निकाय अथवा परिषद में भेजा जाता है जिनके लिये धन की शत प्रतिशत व्यवस्था भारत सरकार करती है ।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस नीति में परिवर्तन करने तथा भारत सरकार और उसके स्वायत्तशासी निकायों अथवा परिषद के सभी कर्मचारियों के साथ सभी प्रयोजनों के लिये समान रूप से व्यवहार करने का है ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) वर्तमान नियमों के अन्तर्गत, एक सरकारी विभाग से स्थानांतरित किया गया सरकारी कर्मचारी, अपने आवेदन पत्र पर अथवा अन्यथा सरकारी सेवा में जारी रहता है और इस प्रकार उसके द्वारा सरकार के अधीन की गई सभी सेवाएं नियमों के अधीन पेंशन और अन्य लाभों के लिये गिनी जायेंगी। दूसरी ओर एक स्वायत्तशासी निकाय या परिषद में स्थायी रूप से स्थानान्तरित किया गया सरकारी कर्मचारी अपने स्थायी स्थानान्तरण की तिथि से सरकारी कर्मचारी नहीं रहता और इस प्रकार सरकार पर उसकी पेंशन वाली सेवा का दायित्व नहीं रहता । तथापि, यह निर्णय किया गया है कि जहां पर यह स्थानान्तरण लोक हित में है, वहां पर सरकार के अधीन उसकी पेंशन वाली सेवा की अवधि के लिये यदि वह अधिकारी सरकार के अधीन अंशदायी भविष्य निधि का हकदार है तो सरकार उसको जितनी राशि अपनी तरफ से देती उसके समान राशि और उसपर दो प्रतिशत के हिसाब से ब्याज सहित स्वायत्तशासी निकाय के पास उसके भविष्य निधि खाते में वह रकम सरकार के नाम में दिखा दी जायेगी और इस भुगतान द्वारा पेंशन के बारे में सरकार का दायित्व समाप्त हो जायेगा ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

स्थगन प्रस्ताव
MOTION FOR ADJOURNMENT

चीन में रह रहे भारतीय राजनयिकों के सुरक्षित रखने में भारत सरकार की तथाकथित असफलता

अध्यक्ष महोदय : कल हम चीन के प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे। श्री मधुलिमये ने स्थगन प्रस्ताव के बारे में सूचना दी है। उनको सभा की अनुमति प्राप्त करनी चाहिये ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : प्रस्ताव को पढ़ कर सुनाया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"साम्यवादी चीन में रह रहे भारतीय राजनयिकों को सुरक्षित रखने में और शासन के साथ जो कि अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तथा राजनयिक व्यवहार में साधारण शिष्टाचार का भी पालन नहीं करता, राजनयिक सम्बन्धों को तोड़ने में सरकार की तथाकथित असफलता ।"

Shri Madhu Limaya (Monghyr) : I beg to more for leave to introduce the adjournment motion.

श्री अध्यक्ष महोदय : कोई भी सदस्य आपत्ति नहीं कर रहा है। इसलिए अनुमति दी जाती है ।

इस पर तीन बजे वित्त मंत्री के भाषण के पश्चात चर्चा की जायेगी ।

सभापटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, बम्बई के वर्ष 1965–66 का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, बम्बई के 1965–66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 611/67**]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम निगम के वर्ष 1965–66 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं ।

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) मैं श्री ल० ना० मिश्र की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ ।

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 610/67]**

(2) कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :-

(एक) आंध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (पहला संशोधन) योजना, 1967 जो दिनांक 20 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 743 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (पहला संशोधन) योजना, 1967 जो दिनांक 20 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 744 में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) नीवेली कोयला खान भविष्य निधि (पहला संशोधन) योजना, 1967 जो दिनांक 20 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 745 में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) कोयला खान भविष्य निधि (पहला संशोधन) योजना, 1967 जो दिनांक 27 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 777 में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 615/67]**

(1) संविधान के अनुच्छेद 323 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :-

(एक) 1 अप्रैल, 1965 से 31 मार्च, 1966 तक की अवधि के लिये संघ लोक-सेवा आयोग का सोलहवां प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल०टी० 616/67]**

(दो) उक्त प्रतिवेदन के पैरा 33 में निर्दिष्ट मामले में सरकार द्वारा आयोग की मंत्रणा स्वीकार न करने के कारण बताने वाला ज्ञापन **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 617/67]**

(2) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा सेवा) संशोधन नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 3 जून 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 824 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 618/67]**

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों, तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति चौथा प्रतिवेदन

PRIVATE COMMITTEE ON MEMBERS BILL & REVOLUTIONS.

श्री खाडिलकर (खेड़) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समिति के लिऐ निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

डा० त्रिगुण सेन : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं : "कि शिक्षा मंत्रालय के संकल्प सख्या एफ० 16-10/44-ई०, III दिनांक 30 नवम्बर, 1945, के पैरा 3 के खंड आई (एफ), समय-समय पर संशोधित रूप में, के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, 29 अप्रैल, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि शिक्षा मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० 16-10/44ई. III दिनांक 30 नवम्बर, 1945 के पैरा 3 के खण्ड आई (एफ), समय-समय पर संशोधित रूप में, के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, 29 अप्रैल, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

सामान्य आयव्ययक 1967–68 सामान्य चर्चा–जारी

GENERAL BUDGET 1967-68 GENERAL DISCUSSTION-Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 1967–68 के आयव्ययक पर आगे चर्चा करेगी। श्री हिम्मतसिंह का अपना भाषण जारी रखें।

श्री हिम्मतसिंह का (गोडा) : कल मैंने खाद्य उत्पादन के बारे में कुछ तथ्यों तथा आंकड़ों का उल्लेख किया था। यदि अनाज का उचित ढंग से वितरण तथा वसूली की जाये

तो हमारे देश में उत्पादित होने वाला अनाज देश के लिए पर्याप्त है। क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को यथासंभव शीघ्र समाप्त करने पर विचार किया जाना चाहिये।

गत पन्द्रह अथवा बीस वर्ष के कांग्रेस के शासन काल में औद्योगिक विकास में प्रर्याप्त प्रगति हुई है और औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। सरकार की सहायता से कई लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों की भी स्थापना हुई जो अन्यथा सम्भव नहीं था। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि उद्योगों पर कुछ परिवारों का एकाधिकार हो गया है। परन्तु गत दो अथवा तीन वर्षों से भारी कराधान के कारण पूंजी निर्माण नहीं हो सका और न ही नये उद्योग स्थापित हो सके हैं। चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमण के कारण भारी कराधान करना पड़ा था। परन्तु अब यह आवश्यक है कि वित्त मंत्री विनियोजन तथा पूंजी निर्माण के लिए अच्छा वातावरण अभी करने की ओर ध्यान दें।

बजट में जो रियायतें दी गई हैं मेरे विचार में वे पर्याप्त नहीं है। मेरे विचारों में माननीय मंत्री मानसून के बाद इस प्रश्न पर ध्यान देंगे।

कर छूट के लिए लाभांश की राशि को 500 रु० से बढ़ा कर 700 रुपये कर देना चाहिए। अन्यथा विनिधान के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं रहेगा।

कुछ भुगतानों में कर की राशि को घटाने के सम्बन्ध में दिया गया सुझाव उचित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को गत वर्ष के कर निर्धारण के आधार पर पेशगी भुगतान करना होता है। मेरे विचार में यदि इस प्रकार की कटौती की जाती है तो वह न्यायोचित नहीं होगी। इसलिए इस मामले पर भी विचार किया जाना चाहिये।

निर्यात शुल्क में भी कुछ रियायतें दी गई है परन्तु जहां तक बोरे आदि बनाने का सम्बन्ध है उस मामले में परिवर्तन की आवश्यकता है।

इस समय बहुतसी ऐसी तैयार वस्तुओं का आयात किया जाता है जो कि देश में भी आवश्यकता से अधिक तैयार की जाती है। इसलिए ऐसी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाई जानी चाहिये। देश में बिजली के तार बनाने की क्षमता आवश्यकता से 30 प्रतिशत अधिक है परन्तु फिर भी अभी हाल ही में तीन से चार करोड़ रुपये के बिजली के तार आयात किये गये हैं। वित्त मंत्री को सोडा एश, सोडा कास्टिक आदि वस्तुओं के आयात पर भी रोक लगानी चाहिये। इन वस्तुओं के आयात पर व्यर्थ में ही विदेशी मुद्रा व्यय की जा रही है क्योंकि इनका देश में ही पर्याप्त उत्पादन होता है।

इसी प्रकार कुछ और वस्तुओं का अर्थात् कैलसाईन्ड एन्थरामाईट कोल और मैथोनल-माईन्स का आयात किया जाता है। इन वस्तुओं के आयात पर भी रोक लगाई जानी चाहिए अर्थात् इनके स्थान पर कच्चा माल आयात किया जाना चाहिये। इससे पर्याप्त बचत हो सकती है।

मैं एक ओर छोटे से मामले की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अव-मूल्यन के समय तक कर समंजन दिया जा रहा है। परन्तु पिछले बारह महीनों से भी अधिक

समय से अर्जित किये गये का समंजन की राशि का नियातकों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। हकदार व्यक्तियों को इस राशि के भुगतान के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

सरकार को सरकारी उपक्रमों की त्रुटियों का पता लग गया है तथा उनके दूर करने के लिए सार्वजनिक उपक्रम संबंधी ब्यूरो आरम्भ किया गया है। परन्तु फिर भी कुछ मामलों में अपराधिक अपेक्षा की जाती है तथा इस सम्बन्ध में अवश्य ही कार्यवाही की जानी चाहिये।

जब किसी परियोजना को सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के रूप में आरम्भ किया जाता है तो उसकी लागत निर्धारित कर दी जाती है परन्तु बाद में धीरे-धीरे इस लागत में वृद्धि होती रहती है यद्यपि इस परियोजना के स्वरूप में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता। इसलिये सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि अनुमान इतने न बढ़ जाये कि परियोजना अनुत्पादक हो कर रह जाये।

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजरी) : चीन में पेकिंग स्थित भारतीय राजदूतावास के दो कर्मचारियों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया है। यद्यपि सरकार ने इस मामले में कुछ कार्यवाही की है तथापि सरकार को ऐसे देशों के साथ मिलने वाली हमारे देशों की सीमाओं के बारे में सतर्क रहना चाहिये।

हाल ही में हुए पश्चिम एशिया के संकट तथा संघर्ष के इसराइल द्वारा भारतीय सैनिकों की निर्दयता तथा जानबूझकर हत्या की गई है जो कि संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत शान्ति स्थापित करने वहां गये थे। इससे भारत की प्रतिष्ठा को जो धक्का लगा है उसके लिए इसराइल ने खेद भी प्रकट नहीं किया है। इसलिए सरकार को भी इस बारे में ठोस कार्यवाही करनी चाहिए।

परन्तु दूसरी ओर पश्चिम एशिया के संघर्ष के बारे में सरकार ने जो नीति अपनाई है उसके लिए वह बधाई की पात्र है। इस बारे में सरकार द्वारा अपनाई गई नीति से भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। यह नीति गुट निरपेक्षता की नीति का ही परिणाम है। स्वतन्त्रता से पूर्व तथा बाद भी हमारे नेताओं द्वारा ऐसी ही नीति का अनुसरण किया जाता रहा है। वास्तव में इस समूचे संकट के पीछे पश्चिमी शक्तियों का ही हाथ है जिन्होंने इसराइल को आधुनिक हथियारों से लैस किया है।

{ श्री चपलाकांत भट्टाचार्य पीठासीन हुए
Shri C. K. Bhattacharya *in the Chair* }

इसराइल ने न केवल स्थायी बल्कि चलते फिरते अस्पतालों पर भी बम वर्षा की है। उसने आग लगाने वाले बमों का भी प्रयोग किया है। इसलिए सरकार ने युद्ध के दौरान तथा बाद जो नीति अपनाई है उसके लिए वह बधाई की पात्र है।

हमारी सरकार ने मांग की है कि युद्ध-ग्रस्त देशों को युद्ध आरम्भ होने से पूर्व की सीमाओं पर वापिस आ जाना चाहिए। परन्तु इसराइल सरकार द्वारा जारी किये गये वक्तव्यों से प्रतीत होता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। पश्चिमी शक्तियों के समर्थन के कारण ही इसराइल इस प्रकार का रवैया अपना रहा है।

गत चुनाओं के परिणामस्वरुप कुछ राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बन गई है परन्तु उनको वह सब सुविधायें उपलब्ध नहीं है जो 20 वर्ष पूर्व शासन सम्भालते समय कांग्रेस वालों को उपलब्ध थी। लोगों में कर देने की पहले से क्षमता नहीं रही है। पहले की अपेक्षा अब मूल्य बहुत बढ़े हुए हैं। इसलिए केन्द्रीय सरकार को लोकतन्त्र के हित में ऐसी सरकारों की विशेषरुप से सहायता करनी चाहिए।

केरल के समक्ष इस समय प्रमुख समस्या खाद्य की है। समचे देश के लिए भोजन की व्यवस्था करना केन्द्र की जिम्मेदारी है। देश में खाद्य का समान वितरण होना चाहिए।

इस समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकारें भी पूरा प्रयत्न कर रही है। छोटी सिचाई योजनाओं को आरम्भ किया जाना चाहिए क्योंकि इससे तुरन्त परिणाम निकलने आरम्भ हो जाते हैं। यदि केरल तथा मद्रास सरकार को ब्याज की अदायगी की अवधि में कुछ छूट दी जाये तथा अनुदानों के रूप में कुछ धन दिया जाये तो वे राज्य इन योजनाओं को आरंभ कर पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। मद्रास राज्य ने केन्द्रीय सरकार को आश्वासन दिया है कि छोटी सिंचाई योजनाओं से राज्य एक वर्ष के भीतर मद्रास राज्य एक फालतू अनाज वाला राज्य बन जायेगा।

केंद्रीय अधिनियम के अन्तर्गत कुछ वक्फ संपत्तियों का प्रबंध किया जा रहा है। देश भर में ऐसी संपत्ति का स्वत्व हस्तान्तरित कर दिया गया है तथा इन संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए दावे दायर करने की अन्तिम तिथि 14 अगस्त, 1967 है। अभी काफी ऐसी सम्पत्ति के दावे दायर करना शेष है परन्तु समय बहुत कम रह गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस अधिनियम में संशोधन किया जाये और कम से कम दस वर्ष का समय अवश्य दिया जाना चाहिये

यद्यपि उर्दू एक राष्ट्रीय भाषा है तथापि इसको दूसरे दर्जे की भाषा समझा जाता है। इस बारे में भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

Shri K. N. Pandey (Padranua) : Many hon. Members have expressed their view that better budget than the present one can not possibly be presented in the prevailing conditions. I also support this view.

The hon. Finance Minister has not referred to the problem of unemployment in his budget speech. At present about two crores person in the country are unemployed. Unemployment is an curse and must be done away with. Efforts should be made to provide maximum opportunities for employment so that their purchasing power is increased.

The Government have no machinery to assess the manpower requirements of any undertaking. In the beginning large number of persons are recruited but soon afterwards retrenchment is made because it is felt that services of the most of the people are surplus to requirements of the undertaking. It results in discontentment among the people.

At a time where the grave unemployment problem is facing the country, retrenchment in the name of economy is unjustifiable.

Such sorts of tactics to affect economy will encourage the private industrialists to retrench their employees. I, would therefore, request that Government should not adopt such methods.

Sugar, Gur and Khandsari are being sold at very high prices putting more burden on the consumers. There is somewhere something definitely wrong with the sugar policy because all concerned i. e. Mill owner, farmers, consumers and labourer, are unhappy.

Government should bring improvement in its policy so that this industry is not put to any crisis.

इसके पश्चात् लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोकसभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
{Mr. Deputy Speaker *in the Chair*}

Shri K. N. Pandey : So far as the fertilizer is concerned we are completely dependent on the imports. Efforts should be made to become selfsufficient in this regard. Instead of spending huge amounts on imports we should establish new fertilizer plants in the country itself. It should also be realised that only fertilizer will not do in increasing the production. Alongwith that we have to provide other irrigation facilities to the farmers.

Our Planning has failed to achieve fixed targets. Even in sugar we have been able to produce only 22 Lakh tons as against our target of 37 lakh tons. We should proceed with this planning cautiously and should also try to depend on our own resources for the implementation of the schemes instead of imports.

After the attainment of independence conciliation machinery was established by the Government to settle the labour disputes. But the people donot intend to approach this machinery because it takes too long a time in settling the disputes. For similar reasons people are also not knocking at the doors of the High and Supreme Court for getting justice instead they have resorted to 'Gheraos' which endangers peace in the industrial field. I warn the Government that this is only a beginning and if suitable steps are not taken to satisfy the people more dangreous consequences are likely to follow.

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : The increase in the postal charges of the small Newspapers is neither good for country not for democracy. It is, therefore, unjustified. It should be reduced and alongwith that postal charges of books should also be reduced. It is necessary to do so to help the villagers so that they could buy books and newspapers at cheap rates. The National book Development Committee has also recommended the reduction in the postal rates for registered books parcels to a reasonab'e extent to encourage the widest circulation of books. I, therefore, think that the reduction in postal charges on book parcels etc. will not make much difference to the exchequer but will help in expanding the education.

The retired persons have demanded on increase in their pensions. In my view their demand is justified because prices have gone up considerably. While considering the

question of revision of Dearness allowance of the Government employees on the basis of the Gajandragadkar Commission, the Government should ensure full neutralization of the prices.

Government can affect savings by reducing the useless expenditure and revenues can be increased by stopping tax-evasion. Government can learn much this respect from Jan Sangh held Delhi Municipal administration In Delhi have tackled the problem of tax-evasion successfully.

It is a matter of regret that 85 lakhs of rupees are going to be spent on the construction of the Revolving Restaurant in Ashok Hotel. On the other hand about two and a half lakh acres of land are lying idle for want of funds. The Delhi Administrations' demand for more funds to bring this idle land under cultivation is not being met.

It is being said that the present difficult economic situation is the result of the two conflict forced on us by China and Pakistan. But I would say that those were the result of the wrong policies of the Government which need reconsideration.

So far as Kashmir is concerned, the Government should review its politics because the situation there is deteriorating day by day inspite of the fact that huge amounts are being spent by the Government there. So far as the release of Sheikh Abdullah is concerned, I would like to know from the Government whether he has since changed his mind and if not, why he is being released as reported ?

China and Pakistan are creating nuisance on our eastern borders in collaboration with each other. Nagaland, NEFA, and Nexalbari troubles are all parts of that great scheme which have made our whole eastern border alive. Nexalbari is a strategic area. We should sever all diplomatic relations with that country i. e. China who is creating trouble at our borders and who has also humiliated our diplomats in China. We should also change our policy in regard to the entry of China in United Nations. We should adopt positive policy in this regard.

It is true that Suez Canal is situated in Egypt but it is a life line for India as well as for many other countries of the world. If the entry of the ships of one country in the Suez Canal is banned to-day, entry of our ships can also be banned to-morrow. There is no doubt that to-day we are at friendly terms with Egypt but to-morrow that situation can alter. I would, therefore, suggest that we should adopt a positive policy in the interest of the nation, Our interest is in the internationalization of this water-way. We should support this cause in the United Nations also. If egypt intend to annex the earnings of the Suez Canal then she should also guarantee the free passage in Suez Canal to the ships of all countries.

The need of the hour is that we should adopt nationalistic and realistic policies. All the national-minded people of the various parties in India should join hands and I am sure that will benefit the country most.

I have read the report published in the New York Times that some political parties got financial help from abroad during the elections. In this respect I would say that Jan Sangh did not get any sort of help from any foreign countries. We depend at own resources and on the co-operation of the people. I would, suggest that a Commission may be appointed to look into the matter.

Shri Yashpal Singh (Debra Dun): I would request that time for discussion may be extended by two hours.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : I record the proposal,

उपाध्यक्ष महोदय : यदि समय बढ़ाने का प्रस्ताव कल किया जाता तो उचित था । इस समय मैं मजबूर हूं । समय बढ़ाना सम्भव नहीं है ।

Shri Y. S. Kushwah (Bhind) : The people have been disappointed by this budget. Their all hopes have been bellied.

The need of the hour is that we should defend ourselves at all costs. Large tracts of our land are still in the possession of China and Pakistan. No indication is available in the budget in regard to increasing our armed strength. There is no provision in the Budget for manufacturing modern and atomic weapons in the country. Instead of increasing the defence budget has been reduced. The Government should pay more attention to the defence of the country.

The food problem has, too, been not valued so far. The primary need of our country is, that food, cloth and shelter should be provided to its each and every citizen howsoever poor he may be, Medical and free educational facilities atleast upto the matric should have also been provided to the people. There is no provision in the budget to fulfil these essentialities.

Many things have been said for increasing food production. But Government's attitude towards this problem seems to be indifferent. Large tract of cultivable land are lying idle in the Madhya Pradesh. They have not been brought under cultivation so far.

The community development programmes started under the Five Year Plans have proved a failure. The villages are being deserted as they lack even elementary facilities such as mediciens, pucca roads etc. No attention has been paid for the development of the people.

Some States rejected the report of the Balwant Rai Mehta Committee for setting up the Panchayats in village. Elections to the Panchayats and District Councils have not been held since long in many States. Some steps should also be taken in this regard.

During the last elections many irregularties were committed in Madhya Pradesh. The elections were not fair. Entire Government machinery was at the disposal of the Congress Candidates. Dak-Bungalows were used by the State Ministers during the election compaign. Even now the State Government is not behaving properly. Centre should give them proper advice.

श्री नारायण (पोलाची) : मैं बजट का विरोध करता हूं क्योंकि इसमें जनता तथा साधारण व्यक्ति की कठिनाईयों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है ।

लोगों पर करों का पहले ही बहुत अधिक बोझ था परन्तु इस बजट द्वारा उन पर और अधिक बोझ डाल दिया है । इससे देश में विद्यमान आर्थिक समस्या हल नहीं होगी बल्कि इससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी ।

हमारी अर्थ व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है और पिछली तीन योजनाओं से न तो वांछनीय परिणाम ही निकले हैं और न ही अपेक्षित लक्ष्य ही प्राप्त हुए हैं ।

{ श्री मनोहरन पीठासीन हुए
Shri Manoharan *in the Chair* }

योजनाएं देश के प्राकृतिक साधन, लोगों की कर देने की क्षमता तथा जनशक्ति के आधार पर बनाई जाती है । परन्तु यह खेद की बात है कि हमारी योजनाएं विदेशी सहायता, ऋण तथा तकनीकी जानकारी पर निर्भर है । इस समय देश के भीतर के स धनों को जुटाने की आवश्यकता है । प्रशासन में भी सुधार की आवश्यकता है क्योंकि इसमें लालफीताशाही, भाई भतीजावाद, अदक्षता आदि का बोलबाला है ;

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य भी असंतोषजनक रहा है । विभिन्न एजेंसियों द्वारा उनके बारे में चलने के समाचार मिलते रहते हैं । दुर्गापुर इस्पात कारखाने में प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है ।

मैं यह आरोप लगाता हूँ कि सरकार पूंजीवादी है तथा वह टाटा, बिड़ला, जैन तथा अन्य बड़े बड़े उद्योगपतियों पर निर्भर रहती है । भारत के समूचे आर्थिक जीवन पर 60 या 70 परिवारों का नियन्त्रण है ।

जन साधारण के प्रयोग की वस्तुओं अर्थात् काफी, चाय, तम्बाकू एल्यूमिनियम और जूतों आदि पर कर लगाया है । इससे सामान्य व्यक्ति पर और अधिक बोझ पड़ा है । परन्तु दूसरी ओर शराब पर कोई कर नहीं लगाया गया है । सरकार की मद्यनिषेध नीति असफल रही है । मैं जानना चाहता हूँ कि शराब पर कर क्यों नहीं लगाया गया ।

कोयमम्बतूर जिले को दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है । यह चारों ओर से पुन्य मन्दिरों द्वारा घिरा हुआ है । इसके समीप ही उटकमण्ड का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान है जहां विश्वभर से हजारों पर्यटक आते हैं । यदि कोयम्बतूर में भी आवश्यक सुविधायें दी जाये तो इसको एक पर्यटक केन्द्र पर परिवर्तन किया जा सकता है । इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सलेम इस्पात परियोजना के प्रारम्भिक कार्य पर लाखों रुपये व्यय करने पर भी छोड़ दिया गया है । इस संबंध में ठोस कार्यवाही की जानी चाहिये,

Shri Sheo Narain (Basti) : The hon. Finance Minister has presented a balanced budget and I hope that it will not affect the common man.

Basti, Balia and other districts of Eastern U. P. are very backward and are also inhabited by the poor people. Small scale industries and a fertilizer plant should be established there. More attention should be paid for the upliftment of the people of that area.

The Government should implement its policy of Harijan upliftment expeditiously. Elementary necessities of hope i. e. shelter, cloth and food should be provided to Harijans in adequate quantities.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

I assume the Minister of Finance that the common people and the poor people are with the Congress. I request him to take steps to reduce the prices. Zonal system should be dispensed away with. The services of those officers of the Food Department, who fail to arrange for the supply of foodgrains, should be terminated.

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : यदि किसी आयव्ययक पर आलोचना न की जाये तो वह आयव्ययक नहीं रहता मैं यह दावा तो नहीं करता कि यह आय-व्ययक सर्वोत्तम आयव्ययक है, मुझे स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कोई अन्य व्यक्ति उससे अच्छा आयव्ययक प्रस्तुत कर सकता है। मैं सदस्यों को यह आश्वासन देता हूँ कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये सुझावों पर अगली बार पूरा पूरा विचार किया जायेगा।

आयव्ययक में सभा के सामने आर्थिक स्थिति का यथा सम्भव स्पष्ट मूल्यांकन प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है और सरकार की उस आर्थिक नीति के सम्बन्ध में भी बताने का प्रयत्न किया गया है जिसका हम अनुसरण करना चाहते हैं।

इस आयव्ययक को यथापूर्व स्थिति वाला आयव्ययक, राष्ट्र विरोधी आयव्ययक तथा जनता विरोधी आयव्ययक बताया गया है। यह भी कहा गया है कि इस में समाजवाद की कोई बात नहीं है। हमने अभी तक यह दावा नहीं किया है कि कल्याणकारी शासन बन चुका हैं। हम केवल कल्याणकारी शासन बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसे देश में स्थापित करने में कुछ वर्ष लगेंगे। हम यह भूल जाते हैं कि जिस समय हमने आरम्भ किया तब देश की स्थिति बहुत गिरी हुई थी। हमारी राष्ट्रीय आय प्रति वर्ष कम होती जा रही थी। हमें उस गड्ढे से बाहर निकलना था। अर्थव्यवस्था का निर्माण करते समय हमारे मार्ग में बाधायें आई। पहली दो योजनाओं में वांछनीय प्रगति हुई परन्तु तृतीय योजना में भिन्न भिन्न दिशाओं से रुकावटें पैदा हुई।

कहा गया है कि योजना में कुछ दोष है और कृषि पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। केवल धन की व्यवस्था करने से ही कृषि की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। सभी लोगों के कठोर परिश्रम, सहयोग तथा सम्मिलित प्रयत्न से इसमें सुधार सम्भव है। हम अपनी 50 से 60 प्रतिशत तक राष्ट्रीय आय के लिये कृषि पर आश्रित हैं और यदि हम अपने 15 प्रतिशत कृषि उत्पादन से हाथ धो बैठते हैं तो यह भली भांति समझा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय का क्या हाल होगा।

यह गलत है कि विदेशी ऋण लेकर हमने अपनी स्वतन्त्रता को गिरवी रख दिया है। अधिक तेजी से प्रगति करने के लिये ऋण लेने आवश्यक है, परन्तु हमने समान शर्तों पर सहायता के लिये हाथ बढ़ाया है। हमें यह ऋण वापिस रखने होंगे। हमें मालूम नहीं था कि इन 3 वर्षों में हम पर दो आक्रमण होंगे, यदि हम आरम्भ से ही सैनिक तैयारी करते तो शायद ऐसा नहीं होता। जहां तक प्रतिरक्षा का सम्बन्ध है, उस समय हम उस पर व्यय कम नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपने सीमा क्षेत्रों की प्रतिरक्षा करनी है, परन्तु यह ठीक है कि इस पर अपव्यय नहीं है, प्रतिरक्षा दलों की कार्यकुशलता को हानि पहुंचाये बिना हम कम व्यय करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें अपनी स्वतन्त्रता बचाने के लिये तथा किसी आक्रमणकारी का सामना करने के लिये प्रतिरक्षा के लिये सब कुछ व्यय करना होगा।

अब हम ऐसी परिस्थिति में पहुंच गये हैं जब दो परस्पर विरोधी बातें चल रही हैं, एक ओर तो कृषि की परिस्थिति के कारण मूल्य बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर कच्चे माल तथा समय पर पर्याप्त विदेशी ऋण की कमी के कारण उद्योग पीछे पड़े हुये हैं। आयव्ययक इन्हीं परिस्थितियों में प्रस्तुत किया गया है।

कहा गया है कि सरकारी परियोजनायें देश पर भारी बोझ हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि कार्य कर रही 40 सरकारी परियोजनाओं में से 31 लाभ पर चल रही हैं। केवल 9 में हानि हो रही है, परन्तु इस हानि के कई कारण हैं और उन पर ध्यान दिया जा रहा है। हम यह देखेंगे कि यह परियोजनायें उचित रूप से संगठित की जायें ताकि हम पिछली त्रुटियां पूरी कर सके। हम यह भी देखेंगे कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में जो कुछ हुआ उसकी पुनरावृति न हो। सरकारी क्षेत्र के कारखाने ने देश के हित के लिये बहुत अच्छा कार्य किया है।

यह कहना ठीक नहीं है कि हमने कृषि की उपेक्षा की है। 1950–51 में कृषि उपज 510 अथवा 520 लाख टन थी और दो वर्ष पहले यह बढ़कर 890 लाख टन हो गई है। आशा है अगले वर्ष और वृद्धि होगी परन्तु यह मानसून पर निर्भर रहता है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि हम 20 वर्ष में सभी भूमि के लिये जल की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं ऐसा कहना सम्भव नहीं है। यदि 50 प्रतिशत भूमि में भी सिंचाई की व्यवस्था हो सके और उसे कृषि योग्य बनाया जा सके तो हम भाग्यशाली होंगे। यदि ऐसा किया जावे तो उसके बाद खाद्यान के अभाव का प्रश्न नहीं उठता।

यह कहा गया है कि ग्रामों में विद्युतीकरण का काम अभी आरम्भ होना है, परन्तु वे यह भूल गये हैं कि स्वतन्त्रता से पूर्व केवल 36,00 नगरों में बिजली की व्यवस्था थी जबकि आज 50,000 गावों को बिजली की सुविधा उपलब्ध है। यह कोई मामूली सफलता नहीं है।

यह कहा गया है कि करों से बचा जा सकता था और 150 करोड़ रुपये की बचत करके अधिक धन लाया जा सकता था। हम दक्षता के साथ साथ मितव्ययता के पक्ष में हैं। हमें अपने दो पड़ौसी देशों से अपनी सीमा की रक्षा करनी होती है। हम देश की सुरक्षा के प्रति सजग हैं। प्रशासन में मितव्यता की ओर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। यह राजस्व की वसूली पर 1947–49 में हमारा व्यय 3.75 प्रतिशत था। आज यह व्यय कुल राजस्व की 1.4 प्रतिशत है। हम उनमें और बचत करना चाहते हैं। कुछ क्षेत्रों में यह व्यय और भी कम हो गया है।

यह आलोचना की गई है कि उप प्रधान मंत्री बनने के बाद मैं अधिक उदार हो गया हूं क्योंकि मैंने मदिरा पर कर नहीं लगाया है, यह कहना गलत है कि नशाबन्दी के बारे में मेरा विचार बदल गया है। मैं नशाबन्दी यथा सम्भव शीघ्र लागू करना चाहता हूं। कर लगाने के मामले में केवल विदेशी मदिरा ही केन्द्रीय अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। मैंने उस पर शुल्क 1963 में 40 रुपये प्रति लिटर शुल्क लगाया था। विलास की वस्तुओं पर 30 से 35 प्रतिशत कर लगाया गया है। उन पर और कितना कर लगाया जा सकता है।

यह कहा गया है कि मैंने जूतों पर कर लगा कर निर्धन लोगों पर कर लगाया है । जूतों पर कर पहले भी था, मैं ऐसे कुछ कदम उठाने का विचार कर रहा हूँ जिससे सस्ते जूतों की कीमत न बढ़े । संश्लिष्ट धागों तथा ऐल्यूमीनियम पर भी कर न बढ़ाने के बारे में विचार करूंगा ।

ब्याज, दलाली, शुल्कों तथा ऐसी सभी मदों पर 22 प्रतिशत कर स्रोत पर ही काटने के बारे में कहा गया है । ऐसा काले धन की आमदनी के अनेक साधनों को बन्द करने के लिये किया जा रहा है, परन्तु मैं यह भी चाहता हूँ कि इससे किसी प्रकार की कठिनाई न हो । हमने इसके लिये पहले ही उपाय किये हैं कि जो लोग अपनी आय पर आय-कर नहीं देते, उन पर कोई प्रभाव न पड़े । हम इस बात पर भी सावधानीपूर्वक विचार कर रहे हैं कि इसे 22 प्रतिशत रखा जाये अथवा उसे कम किया जाय ।

मैं चाय तथा काफी के बारे में यह नहीं कहता कि मैं लोगों को उनकी आदत से बचाना चाहता हूँ । मैं यह नहीं चाहता कि लोगों को कम चाय अथवा काफी पीने के लिये कहूँ । मैं उनका उपभोग कम करना चाहता हूँ ताकि उनका अधिक निर्यात किया जा सके । हमें उनकी निर्यात सम्बन्धी आवश्यकताओं को देखना होगा ।

यह भी कहा गया है कि पैट्रोलियम तथा डीज़ल का उपभोग जनसाधारण करते हैं, परन्तु बसों के किराये में कोई वृद्धि हुई है । वास्तव में हम लाभ का कुछ अंश ही ले रहे हैं ।

यह आरोप लगाया गया है कि मैं राज्यों को पर्याप्त धन नहीं दे रहा हूँ । राज्यों को धन देने के लिये मुझे कर लगाने होंगे । राज्यों को 98 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है ।

यह कहना ठीक नहीं है कि जनसाधारण इस आयव्ययक को पसंद नहीं करते । आय-व्ययक की आलोचना तथा प्रशंसा के मुझे कई पत्र मिले हैं ।

स्थगन प्रस्ताव
MOTION FOR ADJOURNMENT

चीन में रह रहे भारतीय राजनयिकों को सुरक्षित रखने में भारत सरकार की कथित सफलता ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I beg to move :

" that the House do now adjourn."

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सभा स्थगित हो "

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) This whole matter diplomatic relations with China appears to be a matter of action and recation. Whatever step was taken by the Chinese Government in this connection was followed by a counter-measure by us. We are following a week foreign policy. We only express our reaction to the steps taken

by the other Government but we never take any initiative in such matters. We should leave the habit of indecision and adopt a definite policy. We should try to increase our power in order to become more effective.

On the one hand, we say that China is an aggressor while on the other hand we plead for her entry into the United Nations. It appears that our foreign policy is formulated neither by the Prime Minister nor the Finance Minister. It is formulated by that section of bureaucracy which has learnt nothing during last twenty years. It is high time that there should be a change in this regard.

The treatment meted out by Chinese to our diplomatic personnel leaves no alternative but to severe our diplomatic relations with China. It is wrong to think that we will be deprived of the means of negotiation with China, if we severe relations with her. China does not have any diplomatic relations with U. S. A. but the representatives of the two countries have met about 150 times in warsaw. Agreements have also been reached wherever there was any scope for agreement.

So far as economic progress concerned. I think, Japan has gone much ahead than any other country in Asia. Japan is also pursuing a free and independent foreign policy

We should also give up the policy of indecision, insted a more determined foreign policy should be pursued. It seems that our foreign poleicy is being framed by bureaucrats sitting in the Ministry of External Affairs who have also not learnt any lesson during the last twenty years. It should be framed either by the Prime Minister or by the Minister of External Affairs.

Keeping in view the recent Chinese treatment meted out to our diplomats in Peking we should break all diplomatic relations with them. I, think, there is no other alternative. It is not correct to think that we will not be able to hold talks with them after breaking of the diplomatic retations. In this correction I may mention that although America and China have no diplomatic relations yet they hold talks in Europe.

We should follow a long range and definite policy instead of taking a decision on the matters as they arose. An example of the policy is seen with U. S. A. who is spending as much as Rs. 20 lakh for killing one Vietcong.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

We, in our own interest, allowed Dalai Lama to come to India, so that he could express his views fully and independently. Dalai Lama is not merely a religious head but also the head of the State. Now after we have allowed him, one should provide him all opportunities for expressing himself.

I am glad to know that Shri Chagla will raise the question of fundamental rights of Tibetans in the United Nations. But along with that should pursue a long range policy and break of all diplomatic relations with China.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह उचित होगा कि कोई माननीय सदस्य दस मिनट से अधिक समय न लें।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : हम इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करते हैं । क्योंकि सरकार पिछले दो दिनों में कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं कर पायी जो राष्ट्रहित तथा देश के आत्म-सम्मान में हो ।

इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हमारी दब्बू तथा तुष्टीकरण की नीति के कारण ही चीनी साम्यवादियों का व्यवहार हमारे राजनयिकों के प्रति इतना अभद्र तथा अपमानजनक रहा है । अभी अभी पेकिंग से जो समाचार प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है कि हमारे दो राजनयिकों सर्व श्री रघुनाथ तथा विजय को पेकिंग हवाई अड्डे पर गले तथा बाहों से पकड़ कर घसीटा गया तथा उनको ठोकरें मारी गई । उनके उपर माओं के उद्धाणों वाली लाल पुस्तकें भी फेंकी गई । सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण ही देश ने दो देशभक्त अधिकारियों को यह अपमान जनक व्यवहार सहन करना पड़ा है ।

अक्तूबर-नवम्बर 1962 के चीन के आक्रमण के पश्चात भी तुष्टीकरण की इस नीति का त्याग नहीं किया गया । उस समय भी हमारे दल ने चीन के सभी राजनैतिक सम्बन्धों के विच्छेद के लिए कहा था । कम से कम अब तो अपने देश के आत्म-सम्मान के लिए हमें चीन से राजनैतिक सम्बन्ध समाप्त कर लेने चाहिए ।

जैसा कि डा० राय मनोहर लोहिया ने कहा है कि तिब्बत के अपने मित्रों के प्रति जो रवैया अपनाया वह हमारे डरपोकपन का एक और उदाहरण है । दलाई लामा के प्रति हमारा व्यवहार हरेक प्रकार से बुरा रहा है । हमने माननीय अधिकारों के लिए तो तिब्बती मित्रों का समर्थन किया है परन्तु हमने आज तक उनको आत्मनिर्णय और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के अधिकार दिलाने का साहस नहीं किया ।

सबसे अधिक शर्म की बात तो यह है कि चीन द्वारा इस प्रकार निरादर किये जाने के पश्चात भी हम उसको संयुक्त राष्ट्र में उचित स्थान दिलाने के लिए प्रयत्नशील हैं । सरकार ऐसे करते समय यह महसूस नहीं करती कि इससे हमारी सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो जावेगा । इसका अर्थ यह होगा कि यदि 1962 की तरह चीन फिर हम पर आक्रमण करता है तो वह हमारे विरुद्ध ' वीटो' का प्रयोग कर सकेगा ।

यह तर्क देना बिल्कुल गलत है कि यदि चीन के साथ हम राजनैतिक सम्बन्ध समाप्त कर देते हैं तो चीन हम पर आक्रमण करेगा । कई देशों से चीन के साथ राजनैतिक सम्बन्ध नहीं है फिर भी चीन उन पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता । बल्कि जापान के साथ उसके वाणिज्यक तथा आर्थिक सम्बन्ध है, जबकि जापान ने उसको मान्यता तक नहीं दी है । थाईलैंण्ड ने भी उसको मान्यता नहीं दी है ।

यदि हम अपने राजनयिकों को चीन से वापस नहीं बुलाते और बदले की कार्यवाही नहीं करते तो चीन को यह सोचने का पूर्ण अधिकार होगा कि हमारी सरकार बुजदिल है और कि वह लड़ेगी नहीं, परन्तु चीन के लिए ऐसा सोचना गलत होगा । यदि हम पर 1962 की तरह युद्ध थोपा गया तो यह सरकार लड़े चाहे नहीं परन्तु भारत अवश्य लड़ेगा ।

श्री म० ता० सांधी (नई दिल्ली) : चीन के साथ हमारा संकट लगातार बना हुआ है। भारत सरकार के विदेश तथा प्रतिरक्षा मंत्रियों द्वारा सुरक्षा की समस्याओं को अच्छी प्रकार न समझने के कारण हमारी समस्याएं और अधिक जटिल हो गई हैं। हम एशिया में रहते हुए भी अपने आसपास के भू-राजनैतिक परिणामों को समझने में असफल रहे हैं।

इस समय हमें रूस के साथ खुलकर बातचीत करने की विशेषरुप से आवश्यकता है जिससे कि ऐसे बहुत से दूसरे देशों के विपरीत जिनकी रूस के साथ मित्रता हो संकट के समय में अलग न पड़ जायें।

पेकिंग में हमारे राजनयिकों के साथ किये गये दुर्व्यवहार से हमारे प्रति चीन की घृणा की नीति का पता चलता है। हम भी अपनी सरकार से यह आशा रखते हैं कि सरकार कोई ठोस तथा रचनात्मक कार्यवाही करे जिससे हमारी संस्थाओं, देश, और राजनयिकों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करें।

मैं तो यहां तक कहूंगा कि चीन के बारे में हमारी कोई नीति नहीं रही है। विदेश मंत्रालय के हमारे चीनी मामलों के विशेषज्ञों की विचारधारा केवल नकल पर ही आधारित है। उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है।

चीन ने हमारी हजारों वर्गमील भूमि पर कब्जा कर रखा है। अब यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि चीन आगे बढ़ेगा क्योंकि उसके लिए वर्तमान स्थिति लाभदायक है। परन्तु हम इस स्थिति को स्थायी रुप दे रहे हैं। सरकार के समक्ष सम्मानजनक मार्ग यही है कि वह चीन के साथ सम्बन्ध विच्छेद करे।

सरकार को इस समूचे का पुनः विचार करना चाहिए। 1954 का करार वास्तव में सरकार का एक आत्म-समर्पण पत्र है। हमें तिब्बत को बहुत पहले ही मान्यता दे देनी चाहिए थी। तिब्बत का मामला समाप्त नहीं हुआ। सरकार को उसकी पूरी तरह व्याख्या करनी चाहिए। रूस भी इस मामले पर पुनः विचार कर रहा है। हमें भी इस मामले पर पुनः विचार करना चाहिए।

इस सम्बन्ध में रूस तथा युगोस्लाविया के प्रमाण दिये जा सकते हैं कि यदि पर्याप्त दृढ़ता और राष्ट्रीय आत्म-विश्वास के साथ चीनियों के साथ व्यवहार किया जाये तो उनको उचित मार्ग पर लाया जा सकता है। वह दिन अभी दूर है जबकि चीन और भारत एक ही मेज पर बैठकर बातचीत करेंगे। इस समय सरकार से यही अपेक्षा की जा सकती है कि वह चीन को हमारे राजनीतिज्ञों के प्रति किये गये दुर्व्यवहार के लिए क्षमायाचना के लिए कहे।

हम यह भी मांग करते हैं कि संयुक्तराष्ट्र में चीन के प्रवेश का समर्थन करना बन्द किया जाये।

श्री रा० कृ० सिंह (फैजाबाद) : मैं विरोधी दलों द्वारा रखे गये स्थगन प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं, परन्तु मैं चीन के बारे में कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। चीन न तो साम्यवादी और न ही प्रगतिशील देश है। यह एक अवसरवादी देश है जो शेष विश्व से

अलग-अलग है। इसलिए मेरा कहना है कि चीन के मामले के बारे में सोचते समय हमें साम्यवाद को चीन के विस्तारवाद से नहीं मिलना चाहिए।

चीन की असभ्य सरकार को बता दिया जाना चाहिए कि वह गलती पर है। जिस प्रकार हिटलर और नेपोलियन के स्वप्न पूरे नहीं हुए उसी प्रकार माओत्सेतुंग के स्वप्न भी पूरे नहीं होंगे। परन्तु चीन की इन बातों के कारण हमें अपना मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। हम सभ्य लोग और सभ्य ढग से काम करते हैं। हमें अपना यह ढंग नहीं छोड़ना चाहिए।

आज चीन एक बहुत ही चतुर खेल खेल रहा है। वह चाहता है कि गुटों से अलग रहने तथा शान्तिपूर्ण प्रगति का मार्ग छोड़ दें। वह चाहता है कि हमारा प्रतिरक्षा बजट इतना अधिक हो जाये जिससे कि हमारी समूची अर्थ-व्यवस्था ठप हो जाये। हमारी नैतिक नीतियां निःसन्देह अच्छी है और हमें उनकी नीतियों को नहीं छोड़ना चाहिए। गुटों से अलग रहने की नीति चीन को अन्य समाजवादी देशों से अलग करने में सफल हुई है। सरकार ने दिल्ली के चीनी दूतावास के प्रथम सचिव के राजनैतिक रुतबे को समाप्त कर ठीक उत्तर दिया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : जहां तक पैकिंग स्थित हमारे प्रतिनिधियों के साथ चीन के प्राधिकारियों द्वारा किये गये दुर्व्यवहार का सम्बन्ध है कल सभी लोगों ने एक आवाज़ होकर इसकी निन्दा की थी। परन्तु यह शर्म की बात है कि हम में से कुछ लोग सरकार को अपने मौलिक नीतियों में परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं। जहां तक हमारे देश की मौलिक नीतियों का सम्बन्ध है चीन के साथ राजनैतिक सम्बन्ध तोड़ना, तिब्बत के मामले को पुनः उठाना, तैवान को मान्यता देना जो शताब्दियों से चीन का भाग है, एक लज्जा की बात होगी। हमारा देश इन मौलिक नीतियों में परिवर्तन नहीं करेगा।

बहुत से देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराओं तथा आदर्शों को ठुकरा दिया है। परन्तु चीन इस कार्य में सबसे आगे निकल गया है। चीन बहुत ही गलत ढंग से व्यवहार कर रहा है। भारत के अतिरिक्त अनेक देश के प्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार का गलत व्यवहार किया गया है। इससे सभ्यता के स्तर पर आदान-प्रदान की सभी सम्भावना खत्म हो गई है।

कुछ ओर से सुझाव दिया गया है कि हमें चीन के साथ अपने राजनैतिक सम्बन्ध समाप्त कर देने चाहिए। परन्तु ऐसा करने से पूर्व हमें अपने मित्र देशों से इसकी प्रतिक्रिया जान लेनी चाहिए। हम अमरीका की मित्रता पर भरोसा नहीं कर सकते जो कि हमें हर प्रकार से समाप्त करने पर अटल है।

चीन हर प्रकार से रूस के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। उसको गालियां भी दे रहा है फिर भी रूस ने चीन के साथ राजनैतिक सम्बन्ध विच्छेद के बारे में कभी नहीं सोचा। हमें भी चीन से सम्बन्ध विच्छेद के बारे में नहीं सोचना चाहिए।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : यदि माननीय सदस्य श्री मधु लिमये इसको स्थगन प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत न कर केवल एक आम प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करते तो अधिक शक्तिशाली ढंग से इस विषय पर चर्चा हो सकती थी।

यद्यपि इस समय सरकार ने चीन के प्रति तुरन्त बदले की कार्यवाही की है तथापि मैं माननीय मंत्री यह जानना चाहती हूँ कि क्या चीन के प्रति ऐसी ही स्थिति का मुकाबला करने के लिए कोई ठोस नीति बनाई गई है। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि मित्र देशों द्वारा कूट-नीतिक प्रयत्नों से मैकमोहन रेखा को मान्यता दिये जाने के बारे में क्या प्रयास किये गये हैं ? दुर्भाग्य की बात है कि अमरीका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा संयुक्त अरब गणराज्य में से किसी ने भी मैकमोहन लाइन को अभी तक मान्यता नहीं दी है। मैं जानना चाहती हूँ कि इतना समय क्यों निकल जाने दिया गया और इस लाइन को मान्यता दिलाने के लिए राजनैतिक स्तर पर प्रयत्न न किये जाने के क्या कारण हैं ? चीन अभी भी हमारे 89,000 वर्गमील क्षेत्र का दावा करता है यदि चीन कल फिर हम पर आक्रमण कर देता है तो क्या माननीय मंत्री यह कहने की स्थिति में है कि यह देश हमारे साथ है और इन्होंने मैकमोहन लाइन को मान्यता दी हुई है।

कल अपने वक्तव्य में माननीय वैदेशिक कार्य मंत्री ने कहा कि हमारे व्यक्तियों को सदा परेशान किया जाता रहा है। इसके पीछे उनका कुछ उद्देश्य है और वह यह कि चीन अपने देश के भीतर कर रही घटनाओं से लोगों का ध्यान हटाना चाहता है। यही कारण है कि वह न केवल भारत के प्रतिनिधियों से बल्कि लगभग सभी देशों के प्रतिनिधियों से इसी प्रकार का व्यवहार कर रहा है।

हमारे देश की जनसंख्या भी काफी अधिक है और हमें चीनी तरीकों तथा जीवन-प्रणाली की पूरी जानकारी है। हम जातीय आधार पर चीनी लोगों से मिलते जुलते हैं। पर क्या हमने अपने लोगों को चीनी कूटनीति का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षण दिया है। खेद से कहना पड़ता है कि हमने इस बारे में कुछ भी नहीं किया है। हमें इस ओर कुछ कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री वे० राममूर्ति (मदुरै) : स्थगन प्रस्ताव डा० राममनोहर लोहिया द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिन्होंने कहा है कि अन्ततः भारत और चीन को मिलकर रहना होगा। यही कारण है कि हम चाहते हैं कि चीन के साथ राजनैतिक सम्बन्ध न तोड़े जायें। जो लोग चीन के साथ राजनैतिक सम्बन्ध समाप्त करने की बात करते हैं वे वास्तव में भारत को साम्राज्यवादी शक्तियों के आश्रय में ले जाना चाहते हैं। इस बात को हमारा देश कभी स्वीकार नहीं करेगा।

चीन और भारत के बीच कोई समस्याओं का सैनिक समाधान नहीं है दोनों देशों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इनको परस्पर शान्तिपूर्वक ढंग से मिलकर रहना होगा। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। दोनों देशों के बीच किसी न किसी समय बातचीत के लिए प्रयास अवश्य करने होंगे। दोनों देशों की समस्याओं का राजनैतिक हल ही ढूंढना होगा। इसलिए मेरा विचार है कि राजनैतिक सम्बन्ध तोड़ देने से राजनैतिक हल ढूंढना सम्भव नहीं होगा।

चाहे कोई दल इस बात को पसन्द करे अथवा नहीं परन्तु यह सच है कि 1954 के करार के अन्तर्गत हमने तिब्बत को चीन का एक भाग स्वीकार किया है। यदि तिब्बत के बारे में

कोई अविवेकपूर्ण रुख अपनाया गया तो इससे भारत और चीन के बीच और कटुता बढ़ेगी। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि हमें चीन के साथ राजनैतिक सम्बन्ध बनाये रखने चाहिए ताकि बातचीत के लिए मार्ग खुला रहे।

श्री रा० डो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मेरे विचार से स्थगन प्रस्ताव के बजाये कुछ अन्य ढंग अपनाया जाना चाहिए जिससे कि चीन के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में पूरी तरह चर्चा हो सकती है।

मुझे श्री राममूर्ति से यह सुनकर आश्चर्य हुआ तथा धक्का लगा है कि भारत और चीन के बीच मित्रता होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य को यह पता नहीं है कि चीन ने भारत के प्रति ऐसा रवैया क्यों अपनाया है ?

चीन में इस समय दो विचारधाराओं का प्रभाव है। एक तो उनकी जीवन पद्धति तथा दूसरी चीज उनकी विस्तारवादी नीति है। 1948 में जब चीन में साम्यवादी सत्तारूढ़ हुए तो उन्होंने तानाशाही को अपनाया। जबकि 1949 में भारत ने लोकतन्त्र की जीवन पद्धति को अपनाया। इसलिए दोनों देशों की जीवन पद्धति में बहुत अन्तर है।

अतः जो लोग यह तर्क देते हैं कि चीन और भारत के बीच मित्रता होनी चाहिये, उन्हें चीन की सरकार के स्वरूप, चीनियों द्वारा अपनाई गई जीवन पद्धति तथा हमारे द्वारा अपनाई गई जीवन पद्धति पर ध्यान देना चाहिये।

चीन एक विस्तारवादी देश है। वह अपने साम्राज्य के विस्तार के लिये बाहरी मंगोलिया के बारे में अपने मित्र रूसियों से भी झगड़ रहा है। जिस देश की नीति विस्तारवादी है उसकी भारत से कोई मैत्री नहीं हो सकती।

हमारे विदेश मंत्री ने तिब्बत के सम्बन्ध में कुछ कहा है। मुझे खुशी है कि 1950 में की गई गलती को सुधारा जा रहा है। दलाई लामा को तिब्बत की एकता बनाये रखने के लिये वहां के प्रभुसत्ता के रक्षक के रूप में मान्यता दी जानी चाहिये।

जब तक तिब्बत स्वतंत्र नहीं हो जाता और चीन और भारत के बीच में कोई मध्यवर्ती राज्य कायम नहीं होता तब तक चीन से कोई मित्रता नहीं हो सकती। पहले की गई गलती को ठीक किया जाना चाहिये। मुझे याद है कि जब 1954 में हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नारे लगाये गये थे तो डा० अम्बेडकर ने देश को चेतावनी दी थी कि चीन से सावधान रहे क्योंकि वह साम्यवादी विस्तारवादी शक्ति है। वह यह मित्रता बनाये नहीं रखेगा वह किसी न किसी दिन हमारी पीठ में पीछे से छुरा भोंपेगा।

श्री हेम बरूआ (मंगलदायी) : झगड़ालू चीन ने कभी भी भारत का अपमान करने का अवसर नहीं छोड़ा। यदि ऐसा करने का उसे कोई मौका नहीं मिला तो उसने इसे खोजा। पैकिंग में हमारे राजनयिकों का अपमान इस बात का स्पष्ट उदाहरण है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि अभी भी लद्दाख में 14500 वर्गमील का हमारा क्षेत्र गैर कानूनी तौर पर चीन के कब्जे में है।

हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो चीन से हमारी समस्या को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने को कहते हैं। कोई भी युद्ध पसन्द नहीं करता। परन्तु दुर्भाग्य से जो लोग चीन से शान्तिपूर्ण समझौते के विषय में बातें करते हैं उन्होंने इसका कोई सूत्र नहीं बताया है।

वे यह चाहते तो अवश्य है, पर उनके यह कहने का साहस नहीं है कि जो भारत राज्य-क्षेत्र चीन ने अवैध रूप से अपने अधिकार में ले लिया है इसे चीन को ही सौंप दिया जाये और चीन से समझौता कर लिया जाये। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि चीन ने हजारों मील के हमारे क्षेत्र पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और कोलम्बो प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वह पाकिस्तान को भी हमारे विरुद्ध हथियार और युद्ध सामग्री दे रहा है।

हमारी सरकार को चीन को सैनिक तथा राजनयिक दोनों क्षेत्रों में मात देने का प्रयास करना चाहिये। परन्तु राजनयिक मामलों में पहल करने का हमने हमेशा चीन को ही मौका दिया है।

विश्व में किसी भी राष्ट्र का तब तक आदर नहीं होता जब तक वह आर्थिक तथा सैनिक रूप से शक्तिशाली न हो। चीन से मात खाने के बाद हमारी प्रतिष्ठा गिर गई है।

भारतीय राजनयिकों के अपमान का बदला लेने से कुछ नहीं बनेगा हमें दूसरे देशों को सलाह देने की आदत को छोड़ना चाहिये। संयुक्त राष्ट्र संघ में हम यह कह रहे हैं कि पश्चिमी एशिया के युद्धग्रस्त पक्षों को 4 जून से पहले वाली क्षेत्रीय सीमा पर वापिस आ जाना चाहिये। कोलम्बो प्रस्तावों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी कि दोनों पक्षों को 8 सितम्बर की सीमा रेखा पर लौट जाना चाहिये परन्तु इसके लिये हम चीन सरकार को राजी न कर पाये। इससे हमारी बुनियादी कमजोरी का पता लगाता है।

प्रोफेसर मुकर्जी ने कहा है कि हमें अपनी आधारभूत नीति में परिवर्तन नहीं करना चाहिये। यदि आधारभूत नीति का आधार आत्म समर्पण, तुष्टिकरण और अनिश्चितता है तो बदली हुई परिस्थितियों में ऐसी नीति को बदलना आवश्यक है।

मेरा विचार है कि अब चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध बनाने में कोई सार नहीं है। हमें अपने कूटनीति स्तर को ऊंचा उठाना चाहिये और अपनी कूटनीति को मजबूत करना चाहिये। हमें अपनी आर्थिक और सैनिक शक्ति बढ़ानी चाहिये ताकि चीन के अवैध कब्जे से हम अपना राज्य क्षेत्र छुड़ा सकें।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : यह एक मामूली मामला नहीं है। इसमें तो एक देश के राजनयिक को अदालत तक घसीटा गया है। यदि इस पर जासूसी करने का सन्देह था तो उसको देश से निष्कासित कर दिया जा सकता था। इसके विपरीत चीन ने हमारे देश के साथ कपटपूर्ण नीति के आधार पर व्यवहार किया है। परन्तु यह भी आवश्यक है कि हमें अपना संतुलन नहीं खोना चाहिये।

चीन के मनसूबों से यह सभा भली-भांति परिचित है। वह चाहता है कि भारत अपने संसाधनों को शस्त्रास्त्रों पर लगाता रहे जिससे इसकी आर्थिक योजनाएं विफल हो जाये। हमारी नीति हमारे लिये सुरक्षा का आधार है। हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए जहां राजनयिक और सैनिक प्रयत्नों को आर्थिक विकास के साथ सम्बद्ध किया जा सके।

प्रतिशोध कोई हल नहीं है। कुछ हद तक हम बदला ले सकते हैं, परन्तु इसका अर्थ यह तो नहीं कि हमारी राष्ट्र की प्रतिष्ठा बदला लेने तक सीमित हो जाये।

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : पेकिंग में हमारे प्रतिनिधियों के साथ जो घटना घटी उससे बड़ा दुःख होता है और उस पर क्रोध आता है। अतः सभा में इस मामले का उठाया जाना तर्कसंगत है। सदस्यों की चीन से बदला लेने की मांग उचित है। भावावेश में भी जो व्यक्ति संयम से काम लेता है, जीत उसी की होती है। केवल चिल्लाने से जीत नहीं हो जाती।

मैं यह कहूंगा कि पैकिंग में जो भी हमारे साथ हुआ, वह पहला उदाहरण नहीं है। पिछले तीन महीनों में इसी प्रकार की सात घटनाएं पैकिंग स्थित विभिन्न राजनयिक मिशनों के साथ घटी है।

कुछ हफ्ते पहले चीन ने ब्रिटेन के प्रतिनिधि के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया था जैसा कि उसने भारतीय प्रतिनिधि के साथ किया है। ब्रिटेन के प्रतिनिधि को घर के चारों ओर दौड़ाया गया और ठोकरें मारी गई। चीन से राजनयिक सम्बन्ध तोड़ने का सबसे अच्छा अवसर जब था जब चीन ने 1962 में हमारे देश पर आक्रमण किया। यदि हमने उस समय ही चीन से सम्बन्ध तोड़ना उचित नहीं समझा, तो आज ऐसा करना बेवकूफी प्रतीत होगी।

अपने देश के प्रतिनिधि के अपमान को आधार मानकर देश की पूरी विदेश नीति को बदल देने का मतलब यह होगा कि हम बड़े ही गैर जिम्मेदार तरीके से काम कर रहे हैं।

मैं यह चाहता हूं कि सरकार को चीन में घटित घटनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना चाहिये। जब कभी भी चीन कोई ऐसा काम करता है तो इसके बाद वह कोई आक्रमक कार्यवाही भी करता है। यदि यह ठीक है तो सरकार को अपनी सम्पूर्ण विदेश नीति पर विचार करना चाहिये और उसे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जैसा कि उसने पश्चिमी एशिया के सम्बन्ध में किया।

डा० सुशीला नायर (झांसी) : हमारे राजनयिकों के प्रति चीन के अभद्र व्यवहार के कारण जो रोष उत्पन्न हुआ है, उसके बारे में दो मत नहीं हैं। केवल श्रीराममूर्ति का भाषण ही इसका अपवाद है।

चीनी द्वितीय सचिव के विरुद्ध विदेश मंत्री द्वारा की गई शीघ्र कार्यवाही की सराहना की जानी चाहिये। परन्तु हमें उस गिरे स्तर पर नहीं उतरना है जिस पर चीनी उतर आया है। हमारी प्रकृति और संस्कृति हमें ऐसा नहीं सिखाती। अतः हमें इस पर गम्भीरता से

विचार करना है कि हम इस अपमान का कैसे मुकाबला करें। आखिर हमारे बहुत से लोग वहां है और वह उनका दिन प्रतिदिन अपमान करते हैं।

किसी ने कहा था कि पडित नेहरू ने यह स्वीकार किया था कि तिब्बत चीन का अंग है। पंडित नेहरू ने यह कभी भी स्वीकार नहीं किया। पंडित नेहरू ने स्पष्टत: सभा में तथा सभा के बाहर भी यह बताया था कि श्री चाऊ एन-लाई ने उन्हें आश्वासन दिया था कि हालांकि तिब्बत पर चीन का अधिराज्य है फिर भी तिब्बत चीन नहीं है और तिब्बत का अपना स्वायत्त शासन होगा। हमें आशा है कि तिब्बत स्वतन्त्र हो जायेगा। मुझे प्रसन्नता है कि विदेश मंत्री इस सम्बन्ध में अपनी नीति में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं।

श्री जी० भा कृपलानी (गुना) : जब से चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया है तब से इसकी विस्तारवादी नीति के विरुद्ध मैंने आवाज उठाई। मैं तिब्बत को स्वतन्त्र राज्य और मध्यवर्ती राज्य समझता हूं। जब मध्यवर्ती राज्य नष्ट किया जाता है तो वह देश जो इसे नष्ट करता है अपने पड़ोसी के प्रति शत्रुता की कार्यवाही करता है। परन्तु यह दु:ख की बात है कि पंडित नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस दल ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया और हमारी सरकार ने तिब्बत को चीन का अंग स्वीकार किया।

जब हमारे 14,500 वर्गमील के क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया तो हमारे प्रथम प्रधान मंत्री ने यहां सभा में यह कहा कि वह ऐसी भूमि है जहां घास की एक भी पत्ती नहीं उगती।

श्री पारितकर और श्री आर० के० नेहरू ने हमेशा चीन का पक्ष लिया और देश का पथ भ्रष्ट किया।

चीन के आक्रमण के समय स्वयं श्री नेहरू ने कहा था कि चीन से राजनयिक सम्बन्ध तोड़ देना उचित होगा। परन्तु हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का मामला न उठाकर गलती की है। आखिर हमारी सरकार को समझ आई और उसने कहा कि वे माननीय आधार पर इस प्रश्न को उठायेंगे।

यह पहला अवसर नहीं है जबकि हमारे राजनयिकों का अपमान किया गया है। ऐसा अनगिनत बार हो चुका है। हमें अपनी नीति बदलनी होगी। यह कहना ही पर्याप्त नहीं होगा कि हम तटस्थ हैं। यदि हम चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध तोड़ दें तो वह न्यायोचित होगा।

हम चीन के साथ बातचीत करने के लिये तैयार हैं लेकिन क्या वह भी तैयार है। कूट-नीति का अर्थ है दो तरफा कार्यवाही। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में हम शत्रुओं से प्रेम नहीं कर सकते। हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं और शत्रुओं के साथ न्याय करते हैं।

Shri Yashpal Singh (Dehradun) : The gratest mistake the Congress Government has committed is that of adopting the wrong policy. Our Government commit'ed blunder

by agreeing on Panch Sheel. Punch Sheel is meant for civilized persons and not for mean enemies.

During the last twenty years Government could not find any reliable friends. The slogan of national is not, correct.....

You should try to rectify your mistakes.

It is better to die than to lead a disrespectful life. Tit for tat is the only solution to save our honour.

श्री समरगुह : **

श्री मु० क० चागला : मैं श्री सोंधी के इस विचार से सहमत हूं कि भारत का सम्मान और प्रतिष्ठा एक राष्ट्रीय महत्व का मामला है। मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि हमने चीन के बारे में जिस नीति का अनुसरण किया है इसके द्वारा हमने सदैव अपने देश की प्रतिष्ठा और सम्मान बनाये रखने का प्रयत्न किया है। यह कहना गलत है कि चीन सम्बन्धी हमारी नीति एक अस्थिर नीति है। मेरे विचार से वह एक संगत और समुचित नीति रही है।

भारत शान्ति का अनुयायी रहा है। भारत सभी देशों के साथ मित्रता के सम्बन्ध बनाये रखने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ रहा है। इसके अनुरूप ही हमने दूसरे देशों की तरह चीन से भी मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम किये थे। परन्तु चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया और हमारे देश पर आक्रमण किया।

समस्त देश इस आक्रमण की निन्दा करता है। हमने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार किया। यद्यपि हम गलती पर नहीं थे फिर भी हम चीन से इस शर्त पर बातचीत करने के लिये तैयार हो गये थे कि वह भी सम्मानजनक शर्तों पर संघर्ष का हल निकालने के लिये तैयार हो। परन्तु चीन ने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया और तब से लगातार भारत विरोधी नीति अपना रहा है।

1965 में चीन ने पाकिस्तान से सांठगांठ की। जब ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर किये गये तो चीन ही एक ऐसा देश था जिसने इस समझौते की निन्दा की और 1965 के बाद वह लगातार पाकिस्तान को शस्त्र देता आ रहा है और नागा और मीजो लोगों को हमारे देश के विरुद्ध तोड़-फोड़ के तरीके अपनाने के लिये भड़काता रहा है। समस्त देश ने इसकी निन्दा की है।

पैकिंग में हाल में घटी घटनाओं से जो रोष पैदा हुआ है मैं भी उसमें शामिल हूं। हमने प्रथम सचिव को न केवल राजनयिक ओहदे से ही वंचित किया है अपितु इसे देश छोड़कर चले जाने का भी आदेश दिया है। हमने तृतीय सचिव को भी अमान्य घोषित कर दिया है और उसे 72 घन्टे के अन्दर देश छोड़ जाने का आदेश दिया है।

** कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not recorded.

हमारे पास रूस के साथ निरन्तर कितने ही दिन और महीनों तक चीन द्वारा अपमान और अभद्र व्यवहार किये जाने के उदाहरण हैं। परन्तु फिर भी रूस चीन से राजनयिक सम्बन्ध बनाये हुए है।

हमें अपने दूतावास द्वारा चीन के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना प्राप्त होती रहती है। हमें राजनयिक सम्बन्धों के विषय में गम्भीरता से विचार करना चाहिये और इस विशेष प्रश्न से इसे नहीं जोड़ना चाहिये। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि राजनयिक सम्बन्ध बनाये रखने से राष्ट्रीय प्रतिष्ठता या आत्म सम्मान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि इससे हमारी प्रतिष्ठा या आत्म सम्मान पर प्रभाव पड़ेगा तो मैं इन सम्बन्धों को समाप्त करने को कहने वाला प्रथम व्यक्ति हूंगा।

जहां तक चीन का राष्ट्रसंघ में प्रवेश करने का प्रश्न है, हमारा शुरू से ही यही दृष्टिकोण रहा है कि चीन को राष्ट्रसंघ में मान्यता देने का यह अर्थ नहीं है कि हम चीन की नीति से सहमत हैं या हम चीन को एक मित्र देश समझते हैं। अमेरीका और दूसरे देशों में भी यह विचार जोर पकड़ता जा रहा है कि चीन को राष्ट्रसंघ में मान्यता न देकर एक बड़ी गलती हुई है। यदि चीन राष्ट्रों के परिवार में स्थान पा गया होता तो शायद उसकी नीति भिन्न होती। हम निशस्त्रीकरण कैसे कर सकते हैं जब तक कि चीन इस समझौते में सम्मिलित न हो।

मैं तिब्बत के प्रश्न पर भी कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि इसके सम्बन्ध में लगभग प्रत्येक सदस्य ने प्रश्न उठाया है।

जब हमने तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता स्वीकार की थी तो हमने चीन को यह बात भी स्पष्ट की थी कि चीन भी तिब्बत की स्वायत्तता का सम्मान करेगा। परन्तु चीन ने ऐसा नहीं किया और इस प्रकार समझौते का उल्लंघन किया है। जब हम तिब्बत के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि इसकी हमारी आन्तरिक घरेलू नीतियों पर क्या प्रतिक्रिया हो सकती थी। हमारा सदैव ही यह रवैया रहा है कि किसी भी बाह्य देश को किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

मैं यह बात दूसरे सदन में भी कह चुका हूं और यहां भी दोहरा रहा हूं कि हम निश्चित तौर पर तिब्बत की नीति के सम्बन्ध में पुनः विचार करेंगे। दलाई लामा हमारे सम्मानीय अतिथि है, हमने उनका हार्दिक स्वागत किया है। हमने अपने देश में हजारों तिब्बती शरणार्थियों को शरण दी है। हमने उनके लिये बहुत कुछ किया है। दलाई लामा ने उनके प्रति किये गये व्यवहार के विरोध में कभी भी कुछ नहीं कहा।

डा० लोहिया ने अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा है कि भारत में किये गये व्यवहार से दलाई लामा प्रसन्न नहीं है। यह बिल्कुल असत्य है। यह हो सकता है कि उन्होंने हमारी तिब्बत सम्बन्धी नीति में परिवर्तन के लिये कहा हो परन्तु भारत ने जो उनके लिये तथा तिब्बती शरणार्थियों को बसाने के लिये जो कार्य किया है उसकी सरहाना की है।

Shri Madhu Limaye : If there had been some basic principle of our foreign policy we would have not found us weak before the Chinese aggression. I remember that in the

Asian Conference in Delhi 1947, Tibet had participated as a free nation on our invitation. We should have tried to get the admission of Tibet in the U. N in 1946-47. But our policy towards Tibet had been a very wrong policy. We must accept our mistake and revise that policy. Russia had revised her stand on Mongolia in regard to their 1924 agreement with China.

What had happened in Peking to our diplomats was the result of a Chain of events that had taken place due to our diplomatic failures and had policies in th past.

China has taken our territory. Therefore, it is our duty to severe diplomatic relations with China, We should bring industrial, social and economic revolution in our country to remove the present weakness. I, therefore, request that the House should accept the adjournment motion.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा अब स्थगित हो"।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The Motion Ueas Negatved

भ्रष्टाचार निरोध विधियां (संशोधन) विधेयक
ANTI. CORRUPTION (AMENDMENT) BILL

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भ्रष्टाचार निरोध विधियों में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है कि भ्रष्टाचार निरोध विधियों में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1947 की धारा 5(3) के अन्तर्गत, जैसा कि :

उपाध्यक्ष महोदय : वह इसे कल जारी रखें। सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार 15 जून, 1967/25 जेष्ठ, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday June 15, 1967. Jyaistha 25, 1889 (शक)